

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

जनपद—इलाहाबाद

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) (बी) के अनुसार जनपद इलाहाबाद के पुलिस विभाग के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाती है—

1— पुलिस बल के संगठन कार्य तथा कर्तव्यों का विवरण

पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 3 के अनुसार जिले में पुलिस का अधीक्षण उस राज्य सरकार में निहित में होगा जिसके अधीन ऐसा जिला होगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जैसा प्राधिकृत हो उसके सिवाय कोई व्यक्ति, अधिकारी या न्यायालय राज्य सरकार द्वारा किसी पुलिस कर्मचारी को अधिक्रमित या नियंत्रित करने के लिये सहमत नहीं किया जाएगा।

पुलिस का मूल कर्तव्य कानून व्यवस्था व लोक व्यवस्था को स्थापित रखना तथा अपराध नियंत्रण व निवारण तथा जनता से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करना है। समाज के समस्त वर्गों में सदभव स्थापित रखने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करना, महत्वपूर्ण व्यक्ति व संस्थानों हेतु सुरक्षा करना तथा समस्त व्यक्तियों के जान व माल की सुरक्षा करना है। लोक जमावों और जुलूसों को विनियमित करना तथा अनुमति देना व सार्वजनिक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाये रखना है।

जनपद पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करती है जनपद में कुल 05 अपर पुलिस अधीक्षक, 14 पुलिस उपाधीक्षक व 39 थानाध्यक्षों के पद सृजित हैं। अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ/पंचम/प्रज्ञान/सी0एफ0ओ0 कार्य करते हैं। अपर पुलिस अधीक्षक गंगापार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी हंडिया, फूलपुर तथा सोरांव, क्षेत्राधिकारी कार्यालय/पासपोर्ट कार्य करते हैं। अपर पुलिस अधीक्षक, जमुनापार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी करछना, बारा, मेजा/लाइन्स/आंकिक कार्य करते हैं। अपर पुलिस अधीक्षक यातायात के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी यातायात कार्य करते हैं एवं अपर पुलिस अधीक्षक (अपराध) के द्वारा समस्त जनपद के अपराधों का पदेन पर्यवेक्षण रहता है।

1.1— जनपद में पुलिस का संगठन

जनपद में पुलिस का संगठन निम्नलिखित प्रकार से है—

अपर पुलिस अधीक्षक	क्षेत्राधिकारी	थाना क्षेत्र
1	2	3
अपर पुलिस अधीक्षक नगर	क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम	कोतवाली
		शाहगंज
		खुल्दाबाद
		करैली
	क्षेत्राधिकारी द्वितीय	सिविल लाइन्स
		कैन्ट
		धूमनगंज
	क्षेत्राधिकारी तृतीय	मुट्ठीगंज
		कीडगंज
		अतरसुइया
	क्षेत्राधिकारी चतुर्थ	कर्नलगंज
		जार्जटाउन
		शिवकुटी
	क्षेत्राधिकारी पंचम	दारागंज,
		झूसी

		महिला थाना
अपर पुलिस अधीक्षक गंगापर	क्षेत्राधिकारी पंचम	झूँसी
	क्षेत्राधिकारी हण्डिया	हण्डिया
		उत्तरांव
		सरायमरेज
	क्षेत्राधिकारी फूलपुर	फूलपुर
		थरवई
		बहरिया
		सरायइनायत
	क्षेत्राधिकारी सोरांव	सोरांव
		मऊआइमा
		नबावगंज
		होलागढ़
अपर पुलिस अधीक्षक जमुना पार	क्षेत्राधिकारी करछना	करछना
		घूरपुर
		नैनी
		औद्योगिक क्षेत्र
	क्षेत्राधिकारी मेजा	मेजा
		माणडा
		कोराव
		खीरी
	क्षेत्राधिकारी बारा	बारा
		शंकरगढ़
		लालापुर
		कौधियारा
अपर पुलिस अधीक्षक यातायात	क्षेत्राधिकारी यातायात	सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र की यातायात व्यवस्था
अपर पुलिस अधीक्षक अपराध		कार्य वितरण अभी नहीं हुआ है

1.2—जनपद में स्थित विभिन्न इकाइयों के कार्यों के पर्यवेक्षण अधिकारी—

क्र0सं0	इकाई का नाम	पर्यवेक्षक क्षेत्राधिकारी	पर्यवेक्षक पुलिस अधीक्षक
1	2	3	4
1	वायरलेस शाखा	सहायक रेडियो अधिकारी	पुलिस उप महानिरीक्षक
2	स्थानीय अभिसूचना, इकाई	क्षेत्राधिकारी एल0आई0यू0	पुलिस उप महानिरीक्षक
3	फायर सर्विस	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	पुलिस उप महानिरीक्षक
4	नगर नियन्त्रक कक्ष	क्षेत्राधिकारी नगर—प्रथम	अपर पुलिस अधीक्षक नगर
5	यातायात पुलिस	क्षेत्राधिकारी यातायात	अपर पुलिस अधीक्षक यातायात
6	एनटी ट्रेनिंग सेल		पुलिस अधीक्षक यमुनापार
7	अवैध मादक पदार्थ		अपर पुलिस अधीक्षक नगर
8	पुलिस लाइन्स	क्षेत्राधिकारी लाइन्स	अपर पुलिस अधीक्षक यमुनापार

9	भवन	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	अपर पुलिस अधीक्षक यमुनापार
10	फील्ड यूनिट	क्षेत्राधिकारी चतुर्थ	अपर पुलिस अधीक्षक यमुनापार
11	पत्रव्यवहार शाखा	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	अपर पुलिस अधीक्षक गंगापार
12	आंकिक शाखा	क्षेत्राधिकारी अंकिक	अपर पुलिस अधीक्षक यमुनापार
13	विझॉच प्रकोष्ठ	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	अपर पुलिस अधीक्षक यमुनापार
14	महिला सहायता प्रकोष्ठ	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	अपर पुलिस अधीक्षक यमुनापार
15	डी०सी०आर०बी०	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	अपर पुलिस अधीक्षक यमुनापार
16	न्यायालय प्रकरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	अपर पुलिस अधीक्षक यमुनापार
17	सम्मन सेल	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	अपर पुलिस अधीक्षक गंगापार
18	मानवाधिकार प्रकोष्ठ	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	अपर पुलिस अधीक्षक गंगापार
19	अंगुरठ छाप प्रकोष्ठ	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	अपर पुलिस अधीक्षक यमुनापार
20	परिवार परामर्श केन्द्र	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	अपर पुलिस अधीक्षक यमुनापार
21	पासपोर्ट सेल	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	अपर पुलिस अधीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक

पुलिस अधिनियम की धारा 22 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ रहेगा और उसे जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है। पुलिस अधिकन्यम 1861 की धारा 23 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह पुलिस विभाग के संचालन हेतु विहित विभिन्न नियमों एवं कानूनों तथा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसे विधिपूर्वक जारी किये गये सब आदेशों एवं वारण्टों का पालन एवं निष्पादन करें, लोक शांति को प्रभावित करने वाले गुप्त वार्ता का संग्रह करें, अपराधों व लोक न्यूसेन्स का निवारण करें, अपराधियों का पता लगाये और न्यायालय के समक्ष लाये।

2— अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य।

पुलिस अधिनियम, पुलिस रेगुलेशन, द०प्र०सं०, अन्य अधिनियमों तथा विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत पुलिस के अधिकारियों/ कर्मचारियों के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य हैं—

2.1—पुलिस अधिनियम।

धारा	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य
7	आन्तरिक अनुशासन बनाये रखने हेतु राजपत्रित अधिकारियों को किसी समय अधीनस्थ पदों के ऐसे किसी अधिकारी को दण्डित करने की शक्ति होती है जो कि अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिल एवं उपेक्षावान पाये जायें।
17	विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में जब यह प्रतीत हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव, बलवा या शान्ति भंग हुई हो या होने की गम्भीर संभावना हो विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति होती है।
22	पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ माने जाते हैं तथा उन्हें जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है।
23	प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्वक जारी किये गये सब आदेशों का पालन व निष्पादन करे, लोक शान्ति को प्रभावित करने वाली गुप्त वार्ता का संग्रह करे, अपराधों व लोक न्यूसेन्स का निवारण करें, अपराधियों का पता लगाये तथा उन सब व्यक्तियों को गिरफ्तार करे जिनको गिरफ्तार करने के लिए वैधतः प्राधिकृत है तथा जिनको गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान है। इसके लिए उसे बिना वारण्ट किसी शराब की दुकान, जुआघर या भ्रष्ट या उदण्ड व्यक्तियों के समागम के अन्य स्थान में प्रवेश करना और उसका निरीक्षण करना विधिपूर्ण होगा।
25	लावारिस सम्पत्ति को पुलिस अधिकारी अपने भार साधन में लें तथा इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को दें तथा नियमानुसार उस सम्पत्ति को निस्तारित करेंगे।
30	लोक जमावों और जुलूसों को विनियमित करने और उसके लिए अनुमति देने की शक्ति।
30 (क)	उपरोक्त अनुमति की शर्तों के उल्लंघन करने पर थाने के भार साधक अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों को जुलूस या किसी जमाव का रोकने या बिखर जाने के आदेश देने की शक्ति।
31	सार्वजनिक सड़कों व मार्गों, आम रास्तों, घाटों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर व्यवस्था बनाये रखने का कर्तव्य।
34	किसी व्यक्ति द्वारा किसी ढोर का बध करने, उसे निर्दयता से मारने या यातनादेने, ढोर गाड़ी से यात्रियों को बाधा पहुंचाने, मार्ग पर गन्दगी व कुड़ा फेकने, मतवाले या उपद्रवी व्यक्तियों व शरीर का अशिष्ट प्रदर्शन करने पर किसी पुलिस अधिकारी के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को बिना वारण्ट के अभिरक्षा में ले ले।
34 (क)	उपरोक्त अपराध के शमन करने की शक्ति राजपत्रित पुलिस अधिकारियों में निहित है।
47	ग्राम चौकीदारों पर प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का दायित्व।

2.2—पुलिस रेगुलेशन —

प्रस्तर	कर्तव्य
12 से 16 पुलिस अधीक्षक	<p>पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस बल के प्रधान होते हैं वे अधीनस्थ पुलिस बल के दक्षता, अनुशासन एवं कर्तव्यों के पालन के लिए दायित्वाधीन होते हैं। मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स के मध्य सभी संव्यवहार पुलिस अधीक्षक के माध्यम से ही किये जाते हैं।</p> <p>पुलिस अधीक्षक यदि मुख्यालय पर उपस्थित है तो जनता की समस्या सुनने के लिए कार्यालय में बैठेंगे। उन्हें स्वतन्त्रतापूर्वक वैचारिक संस्चना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए सूचना के जितने साधन होंगे तदनुरूप उनकी दक्षता होगी। पुलिस पेंशनर्स से उनका संपर्क होना चाहिए और उन्हें विर्तिदिष्ट रीति से जिले में थानों व पुलिस लाइन का निरीक्षण करना चाहिए। आबकारी विषयों पर आयोजित होने वाले वार्षिक समारोह में पुलिस अधीक्षक की व्यक्तिगत मौजूदगी एवं पर्यवेक्षण आवश्यक है।</p>

	पड़ोसी जनपदों के पुलिस अधीक्षकों से यथासम्भव वर्ष में एक बार भेंट आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक द्वारा शासकीय आदेश की पुस्तिका में जिले का प्रभार सौंपे जाने वाले रापत्रित अधिकारी द्वारा गोपनीय ज्ञापन तैयार किये जाने संबंधित अंतर्विष्ट अनुदेशों का अनुसारण किया जाना चाहिए।
17 सहायक पुलिस अधीक्षक एवं उपाधीक्षक	सहायक पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर किसी भी उस कार्य को किया जाता है, जो व्यक्तिगत रूप से विधि व नियमों द्वारा पुलिस अधीक्षक के लिए बाध्यकारी न हो।
18 से 23 प्रतिसार निरीक्षक	प्रतिसार निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाइन के भार साधक अधिकारी होते हैं जो कि जवानों की साज सज्जा, अनुशासन, प्रशिक्षण के उत्तरदायी होंगे। आयुध व गोला बारूद की सुरक्षित अभियान के लिए उत्तरदायी होते हैं।
24 रिजर्व सबइंस्पेक्टर	प्रतिसार निरीक्षक की सहायता हेतु नियुक्त होते हैं जो गार्ड एवं स्कोर्ट को निर्देशित करने, यातायात नियंत्रण तथा कानून एवं व्यवस्था के संबंध में प्रतिसार निरीक्षक द्वारा आदेशित प्रत्येक आवश्यक कार्य को करते हैं।
40 से 43 सर्किल इंस्पेक्टर	सर्किल इंस्पेक्टर के कर्तव्यों के सम्बन्ध में उल्लेख है, जिसमें उसका प्रमुख कर्तव्य जांच पड़ताल की देख-भाल और अपराध का निवारण करना, पुलिस थाना क्षेत्र में निवारक और अन्वेषण कार्यों में सामन्जस्य रखना, थानों का निरीक्षण करना, सभी महत्वपूर्ण विषयों, घटना स्थलों का निरीक्षण व अन्वेषण में मार्गदर्शन करना, पुलिस अधीक्षक को प्रत्येक आवश्यक घटना की सूचना देना, लाइसेन्सी दुकानों का निरीक्षण करना, अधीनस्थ पुलिस के आचरण की निगरानी करना, अपराधों का दमन और सामन्जस्य बनाये रखने के उत्तरदायित्व से निरन्तर आबद्ध रहना। (वर्तमान में सर्किल इंस्पेक्टर का पद विभाग में नहीं है इन कार्यों का निर्वहन क्षेत्राधिकारी के द्वारा यथा निर्देशित रूप में किया जाता है।)
43 से 50 थानाध्यक्षों	थानाध्यक्ष अपने प्रभार की सीमा के अन्तर्गत पुलिस प्रशासन का संचालन करता है तथा बल की सभी शाखाओं पर प्राधिकार रखता है। वह सभी रिजिस्टरों, अभिलेखों, विवरणियों और रिपोर्टों की शुद्धता के लिये अधीनस्थों के प्रति दायित्वाधीन होगा। उसे क्षेत्र के सभी सभान्त व्यक्तियों से सुपरिचित एवं उनके प्रति मैत्रीपूर्ण सहयोग सुनिश्चित करना चाहिये। उसे थाने की परिधि के अन्दर बुरे व्यक्तियों की निगरानी समुचित तरीके से करते रहना चाहिये। थाने पर किसी भी अधिकारी के न उपस्थित होने पर सीनियर कान्स्टेबिल थाने का भार साधक अधिकारी होगा किन्तु वह तपतीश नहीं करेगा। थानाध्यक्ष द्वारा थाने का चार्ज लेने पर पुलिस फार्म नं 299 भरकर पुलिस अधीक्षक को सूचना भेजेंगे।
51	थाने के द्वितीय अफसर का कर्तव्य प्रातः कालीन परेड कराना, भारसाधक अधिकारी द्वारा सौंपे गये समस्त निर्देशों को अधीनस्थों को बताना अन्वेषण करना होता है।
55	हेड मोहर्रिं के कर्तव्य <ul style="list-style-type: none"> ➤ रोजनामचा आम और अपराधों की प्रथम सूचना लिखना। ➤ हिन्दी रोकड़ बही (पुलिस फार्म नं 224) ➤ यदि पुलिस अधीक्षक आदेश दें तो धारा 174 द०प्र०सं० के अन्तर्गत पंचायतनामा लिखना।
61 से 64 बीट आरक्षी	कान्स० नागरिक पुलिस द्वारा जनता की समस्याओं पर नम्रता पूर्वक विचार करना चाहिए। उनका मूल कर्तव्य अपराधों की रोकथाम करना तथा मालखना एवं थाने के अन्य सम्पत्तियों की रक्षा करेगा। बीट कान्स० के रूप में संदिग्ध अपराधियों, फरार अपराधी तथा खानाबदोश अपराधियों की सूचना प्रभारी अधिकारी को देगा।
65 से 69 सशस्त्र पुलिस	सशस्त्र पुलिस के रूप में खजानों, हवालातों के संरक्षक, कैदियों और सरकारी सम्पत्ति की रास्ते में देखभाल, आयुद्ध भण्डार, अपराध दमन तथा खतरनाक अपराधियों की गिरफ्तारी तथा उनका पीछा करना मूल दायित्व है।
79 से 83	घुड़सवार पुलिस द्वारा उत्सवों या अन्य आयोजनों में भीड़ नियंत्रण का कार्य किया

घुड़सवार	जाता है।
89 से 96 चौकीदार	ग्राम चौकीदार द्वारा आपने प्रभाराधीन गाँवों की देखरेख करना, अपराध एवं अपराधियों की सूचना देना व विधि के प्राधिकार के अधीन अपराधियों को गिफ्तार कराने का दायित्व होता है।

2.3 दण्ड प्रक्रिया संहिता

द०प्र०सं० की अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्तव्य

धारा

- 36 पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस थाना क्षेत्र में नियुक्त हैं उसमें सर्वत्र उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के अन्दर थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा किया जाता है।
- 41 बिना वारण्ट की गिरफ्तारी निम्नलिखित दशाओं में करने की शक्तियों
 1. संज्ञेय अपराध की दशा में।
 2. कब्जे में गृह भेदन का उपकरण
 3. उद्घोषित अपराधी
 4. चुराई गयी सम्पत्ति की संभावना।
 5. पुलिस अधिकारी के कर्तव्य पालन में बाधा।
 6. सशस्त्र बलों का भगोड़ा।
 7. भारत के बाहर भारत में दण्डनीय किया गया अपराध।
 8. छोड़े गये सिद्धदोष बन्दी द्वारा नियम उल्लंघन पर वांछित अपराधी।
- 42 नाम व निवास बताने से इन्कार करने पर गिरफ्तारी।
- 46 गिरफ्तारी वचन से, छूकर और आवश्यकतानुसार बल प्रयोग करके की जाएगी।
- 47 उस संस्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्टि हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है।
- 48 गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति।
- 49 गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत पुलिस अधिक अवरुद्ध नहीं किया जायेगा जितना की उसके निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है।
- 50 गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना।
- 51 गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की तलाशी।
- 52 गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से आक्रामक आयुधों को अधिग्रहण करने की शक्ति।
- 53 पुलिस अधिकारी के आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना।
- 54 गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना।
- 56 गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अनावश्यक विलम्ब के बिना अधिकारिता मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना।
- 57 गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को 24 घण्टे से अधिक पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध न रखना।
- 58 बिना वारण्ट गिरफ्तारियों की सूचना कार्यकारी मजिस्ट्रेट को देना।
- 60 अभिरक्षा से भागे अभियुक्तों को सम्पूर्ण भारत में कहीं भी गिरफ्तार की शक्ति।
- 100 बन्द स्थान के भार साधक व्यक्ति, उस अधिकारी को जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा है, तलाशी लेने देंगे।
- 102 ऐसी वस्तुओं को अभिग्रहीत करने की शक्ति जिनके सम्बन्ध में चोरी की हुई या होने का सन्देह हो।
- 129 उपनिरीक्षक व उससे उच्च समस्त अधिकारियों को पुलिस बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर-बितर करने की शक्ति।
- 130 ऐसे जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग।

131	जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के राजपत्रित अधिकारियों की शक्ति।
132	धारा 129, 130, 131 के अधीन सद्भावना पूर्वक किये गये कार्यों के सन्दर्भ में अभियोजन से संरक्षण।
149	प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किये जाने का निवारण करेगा।
150	संज्ञेय अपराधों के किये जाने की परिकल्पना की सूचना।
151	उक्त के सन्दर्भ में बिना वारण्ट गिरफ्तारी का अधिकार।
152	लोक सम्पत्ति की क्षति रोकने का अधिकार।
153	खोटे बॉट मामों का निरीक्षण / अधिग्रहण।
154	संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भार साधक अधिकारी के निर्देशानुसार लेखबद्ध की जायेगा। इत्तिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को निःशुल्क दी जायेगी। भार साधक अधिकारी द्वारा इत्तिला को अभिलिखित करने से इंकार करने पर किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इत्तिला डाक द्वारा दी जा सकती है।
155	असंज्ञेय मामलों में थाने के भार साधक अधिकारी को ऐसी इत्तिला का सार संबंधित पुस्तिका में प्रविष्टि करायेगा और इत्तिला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए निर्दिष्ट करेगा।
156	संज्ञेय मामलों अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।
160	अन्वेषण के अन्तर्गत साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।
161	पुलिस द्वारा साक्षियों का परीक्षण किये जाने की शक्ति।
165	अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए किसी स्थान में ऐसी चीज़ के लिए तलाशी ली जा सकती है जो अन्वेषण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो। तलाशी एवं जप्ती के कारणों को लेखबद्ध किया जायेगा।
166	अन्वेषणकर्ता अन्य पुलिस अधिकारी से भी तलाशी करवा सकता है।
167	जब 24 घण्टे के अन्दर अन्वेषण न पूरा किया जा सके तो अभियुक्त का रिमाण्ड लेने की शक्ति।
169	साक्ष्य अपर्याप्त होने पर अभियुक्त को छोड़ा जाना।
170	जब साक्ष्य पर्याप्त हो तो मामलों को मजिस्ट्रेट के पास विचारण के लिए भेज दिया जाना।
172	अन्वेषण में की गयी कार्यवाहियों को केस डायरी में लेखबद्ध किया जाना।
173	अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी द्वारा सशक्त मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजना।
174	आत्म हत्या आदि पर पुलिस द्वारा मृत्यु समीक्षा करना और रिपोर्ट देना।
175	धारा 174 के अधीन कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारी को अन्वेषण के प्रयोजन से व्यक्तियों को शमन करने की शक्ति।
176	पुलिस अभिरक्षा में मृत व्यक्ति की मृत्यु समीक्षा मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी।

2.4 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानव अधिकार संरक्षण संबंधी निर्देश

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी०के०० बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के बाद के निर्णय में गिरफ्तारी या निरुद्धीकरण के प्रकरणों में पुलिस जनों के निम्नलिखित दायित्व अवधारित किये गये हैं।

1. गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारकर्ता पुलिस अधिकारी को अपने पद सहित नाम पट्टिका धारण की जानी चाहिए। गिरफ्तारी का सम्पूर्ण विवरण एक रजिस्टर में अंकित किया जाये।
2. गिरफ्तारी की फर्द गिरफ्तारी के मौके पर ही तैयार की जायेगी जो क्षेत्र के सभान्त व्यक्ति अथवा गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य द्वारा सत्यापित होगी। गिरफ्तार व्यक्ति के प्रति पर हस्ताक्षर होगे व एक प्रति उसे

निःशुल्क दी जायेगी।

3. पुलिस अभिरक्षा में उसे अपने रिश्तेदार या मित्र से मिलने दिया जायेगा तथा उसकी गिरफतारी की सूचना उसके निकट संबंधी को दी जायेगी।
4. गिरफतार किये गये व्यक्ति के रिश्तेदार को निरुद्ध रखने के स्थान के बारे में बताया जायेगा।
5. गिरफतार किये गये व्यक्ति को अवगत कराया जायेगा कि उसे अपनी गिरफतारी के संबंध में सूचित करने हेतु वह अधिकृत है।
6. गिरफतारी की सूचना को थाने के गिरफतारी रजिस्टर में ही अंकित किया जायेगा।
7. गिरफतार किये गये व्यक्ति के अनुरोध पर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।
8. गिरफतार किये गये व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा की प्रत्येक 48 घण्टे पर प्रशिक्षित डाक्टर से चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।
9. गिरफतारी के सभी अभिलेखों की प्रतियाँ क्षेत्रीय दण्डाधिकारी के पास भेजी जायेगी।
10. जॉच काल में गिरफतार व्यक्ति को अपने अधिवक्ता से मिलने की अनुमति दी जा सकती है।
11. गिरफतारी की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष में नोटिस बोर्ड पर भी अंकित की जाएगी।

2.5 अपर पुलिस अधीक्षक के कर्तव्य एवं दायित्व

पुलिस महानिदेशक उ०प्र०० के परिपत्र संख्या 35/2005 दिनांक 9 जुलाई के द्वारा जनपद नियुक्ति के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक की शक्तियों और दायित्वों का निर्धारण किया गया है।

2.5.1 कर्तव्य

2.5.1.1 संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही संबंधी:-

1. संगठित अपराधियों तथा भाड़े पर हत्या, फिरौती हेतु अपहरण, रोड होल्ड अप, बैंक डकैती, आटोलिफ्टर, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले, हवाला व्यापार करने वाले, नक्सलवादी गैंग एवं राष्ट्र विरोधी तत्व, माफिया आदि को चिन्हित कर उनकी गैंगवार सूची तैयार करना एवं तत्संबंधी सभी सूचनायें एकत्र कर उन्हें पंजीकृत करने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करना।
2. पंजीकृत अपराधियों का डोजियर तैयार करना।
3. संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्ययोजना तैयार करके जनपदीय पुलिस अधीक्षक के अनुमोदन से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराना।
4. संगठित अपराधियों की गिरफतारी होने पर विस्तृत पूछ—ताछ आख्या तैयार करना।

2.5.1.2 सक्रिय एवं वांछित अपराधी सम्बन्धी:-

1. सक्रिय एवं वांछित अपराधियों की सूची तैयार करना, हिस्ट्रीशीट खुलवाना, गिरफतारी हेतु कार्ययोजना बनाकर दबिश दिलवाना।
2. फ्राड अपराधियों के विरुद्ध पुरस्कार घोषित करवाना।

2.5.1.3 अपराधिक अभिसूचना का एकत्रीकरण:-

1. पेशेवर अपराधियों की अभिसूचना एकत्रिकरण हेतु स्रोत बनाना।
2. जेल में बन्द पेशेवर अपराधियों की जानकारी करना।
3. जेल से छूटने वाले पेशेवर अपराधियों की निगरानी।
4. अन्य माध्यमों से अपराधिक अभिसूचना एकत्रीकरण।

2.5.1.4 विशेष अपराधों के संबंध में:-

1. समस्त विशेष अपराधों के घटना स्थल का निरीक्षण।
2. क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचनाओं की पर्यवेक्षण आख्या।
3. क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचना वाले एस०आर० केस, राजनीतिक हत्या, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की हत्या, बलात्कार के साथ हत्या, ऐसी हत्या जो सामान्य कानून को प्रभावित करती हो, डकैती, फिरौती, हेतु अपहरण, हत्या सहित लूट, सनसनीखेज लूट, पुलिस अभिरक्षा से पलायन, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, (गैंगस्टर एक्ट के केसों को छोड़कर) शेष समस्त एस०आर० केस की क्रमागत आख्या का अनुमोदन (प्रथम व अन्तिम को छोड़कर) अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा

		किया जायेगा।	
य—		क्षेत्र के थाना प्रभारियों एवं क्षेत्राधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित करना।	
र—		फिल्स पिकेट एवं गश्त की योजना बनाकर प्रभावी व्यवस्था करना।	
ल—		क्षेत्र के समस्त थानों का दो माह में एक बार अर्दली रूम करना।	
2.5.1.5		अभियोजनः—	
		न्यायालय में लंबित वादों की प्रभावी पैरवी, पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिंग की मासिक गोष्ठी तथा सेशन ट्रायल अभियोगों में विमुक्ति आख्या का विश्लेषण करना।	
2.5.2		अपर पुलिस अधीक्षकों के अधिकार	
2.5.2.1		स्थानान्तरण संबंधी—	
		पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के अद्वृशासकीय पत्र संख्या एक—252—82 दिनांक 08.01.1985 के प्रस्तर 5 के बिन्दु सं0 4 में निहित निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही स्थानान्तरण के संबंध में की जायेगी।	
2.5.2.2		वार्षिक मन्तव्यः—	
		शासनादेश संख्या: 1460 / छ:—पु—1—99—51 / 99 के अनुसार वार्षिक मन्तव्य का अंकन करना।	
2.5.2.3		दण्ड सम्बन्धीः—	
		अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रचलित नियमावली के अनुरूप अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जांच करायी जा सकती है परन्तु जांच आख्याओं पर दण्ड पत्रावली खुलवाने का अधिकार जनपदीय पुलिस अधीक्षक का ही होगा।	
2.4		संसद व विधानमण्डल द्वारा समय समय पर पारित अन्य विविध अधिनियमों और शासनादेशों द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ तथा उनसे अपेक्षित कर्तव्यः—	
		संसद व विधानमण्डल द्वारा समय समय पर पारित अन्य अधिनियमों व शासन व उच्चाधिकारी स्तर से समय—समय पर निर्गत आदेशों व निर्देशों द्वारा भी पुलिस बल को दिशा—निर्देश न प्राप्त होते रहते हैं जिनके आधार पर पुलिस बल से अपेक्षित कार्यों का सम्पादन किया जाता है।	
3.		निर्णय लेने की प्रक्रिया की कार्यविधि के पर्यवेक्षण व उत्तरदायित्व के स्तर	
3.1		अनुसंधान/विवेचना	
क्र0 सं0	कार्यवाही	कार्य स्तर	अवधि
1.	प्र0सू0रि0 का पंजीकरण	154द0प्र0सं0 के अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा निर्देशानुसार लेखबद्ध की जायेगी। इत्तिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को निः शुल्क दी जायेगी। भार साधक अधिकारी द्वारा इत्तिला को अभिलिखित करने से इन्कार करने पर किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इत्तिला डाक द्वारा दी जा सकती है।	अविलम्ब
2.	साक्षियों का परीक्षण	161 द0प्र0सं0 के अनुसार	यथाशीघ्र
3.	अन्वेषण द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण	द0प्र0सं0 के अनुसार	यथाशीघ्र
4.	पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण	विशेषाअपराधों की स्थिति में संबंधित क्षेत्राधिकारी व अन्य पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया जाता है।	यथाशीघ्र
5.	साक्ष्य का संकलन	द0प्र0सं0 के अनुसार	कार्यवाही यथाशीघ्र

6.	नक्शा नजरी तैयार करना	द0प्र0सं0 के अनुसार	निरीक्षण के समय
7.	अभियुक्तों की गिरफतारी	"	"
8.	संस्वीकृति का लिखा जाना	"	"
9.	पुलिस / न्यायिक अभिरक्षा का रिमाण्ड प्राप्त करना	"	"
10.	तलाशी	"	"
11.	निरुद्धि	"	"
12.	अभियोग दैनिकी का तैयार किया जाना	"	"
13.	आरोप पत्र का दाखिल करना	"	"

3.1 नियन्त्रण कक्ष

जनपद के नियन्त्रण कक्ष कमाण्ड और कन्ट्रोल संघटक के रूप में जनपद के तंत्रिका तन्त्र की तरह कार्य करता है जो कानून व्यवस्था, अपराध, यातायात समस्या व अन्य संगत समस्याओं की सूचना प्राप्त करता है तथा स्थानीय पुलिस को उस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश देता है। बाढ़ व अन्य दैवीय आपदाओं के सम्बन्ध में तत्परता से कार्य करता है। जनपद में वर्तमान में निम्नलिखित नियन्त्रण कक्ष स्थापित हैं।

कक्ष सं0	नियन्त्रण कक्ष	टेलीफोन नं0	कार्य
1	जिला नियन्त्रण कक्ष	100, 9454402863	जनपद के संबंध में सूचनाओं को प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही हेतु संबंधित को तत्काल अवगत कराया जाता है।
2	नगर नियन्त्रण कक्ष	100, 9454402863	नगर नियन्त्रण कक्ष में चार चीता मोबाइल विभिन्न क्षेत्रों में नियोजित है जो किसी सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंच कर स्थिति को नियन्त्रित करते हैं।
3	फायर नियन्त्रण कक्ष	101	फायर नियन्त्रण कक्ष में फायर सर्विस की गाड़ियां उपलब्ध रहती हैं। पूरी एक टीम प्रत्येक समय टर्न आउट की स्थिति में रहती है जो किसी भी आग लगने की सूचना पर 05 मिनट के अन्दर पर अपने गनतव्य को रवाना होती है।

इन नियन्त्रण कक्षों पर 24 घन्टे कन्ट्रोल रूम आपरेटर की नियुक्ति रहती है। इन पर दी गयी सूचनाओं को तत्काल लागबुक में लाग किया जाता है तथा संबंधित को कार्यवाही हेतु सूचित किया जाता है। वर्षाकाल में बाढ़ नियन्त्रण कक्ष की भी स्थापना आवश्यकतानुसार की जाती है।

3.2 शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

3.2.1 थाना पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया

कक्ष सं0	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि
1	थाने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी प्राप्ति स्वीकार करना	थानाध्यक्ष / दिवसाधिकारी / उपस्थित कां0 कलर्क द्वारा	तत्काल
2	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाले का नाम आगन्तुक रजिस्टर में अंकित करना	दिवसाधिकारी / उपस्थित कां0 कलर्क द्वारा	अविलम्ब
3	प्रार्थना पत्र की जनशिकायत रजिस्टर में अंकित करना	उपस्थित कां0 कलर्क द्वारा	अविलम्ब
4	जाँच अधिकारी नियुक्त करना व जाँच हेतु सौंपना	थाना प्रभारी द्वारा	1 दिवस
5	जाँच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जाँच अधिकारी द्वारा	जाँच अधिकारी द्वारा	5 दिवस

	जाँच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना		
6	थानाध्यक्ष द्वारा जाँच की समीक्षा करना	थानाध्यक्ष द्वारा	1 दिवस
7	जाँच रिपोर्ट पर अग्रेतर कार्यवाही यदि आवश्यक हो, कराना।	थानाध्यक्ष द्वारा	अविलंब
8	जाँच रिपोर्ट का रखरखाव	सम्बन्धित कां० कलर्क द्वारा	01 वर्ष तक

3.3.2 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

क्रम सं०	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि
1	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय की प्रधान लिपिक शाखा में उसकी प्राप्ति स्वीकार करना	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
2	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं या इस कार्य हेतु निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा लिफाफे को खोला जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी (क्षेत्राधिकारी मुख्यालय) द्वारा	1 दिवस
3	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना।	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	1 दिवस
4	प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर में अंकित करना	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
5	सत्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर या तो स्वयं जाँच हेतु रखना या सम्बन्धित थानाध्यक्ष को जाँच हेतु भेजना	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा	2 दिवस
6	क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कां० कलर्क द्वारा आर्डर बुक करना	क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कां० कलर्क द्वारा	अविलम्ब
7	सत्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर या तो स्वयं जाँच हेतु रखना या सम्बन्धित उपनिरीक्षक/बीट आरक्षी को जाँच हेतु भेजना	थानाध्यक्ष द्वारा	2 दिवस
8	जाँच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जाँच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना	जाँच अधिकारी द्वारा	8 दिवस
9	थानाध्यक्ष द्वारा जाँच रिपोर्ट की समीक्षा करके सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित करना	थानाध्यक्ष द्वारा	अविलम्ब
10	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा जाँच सही पाये जाने पर जाँच रिपोर्ट को दाखिल दफतर किया जाना	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा	अविलम्ब
11	जाँच रिपोर्ट का रखरखाव	क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कां० कलर्क द्वारा	02 वर्ष तक

3.3.3 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक को शासन, आयोगों व अन्य उच्च अधिकारीगणों के स्तर से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया :-

क्रम सं०	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि
1	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन करके संबंधित अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी या थानाध्यक्ष को जाँच हेतु आदेशित करना	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा	01 दिवस
2	प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर में अंकित	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब

	करना व संबंधित को जाँच हेतु प्रेषित करना		
3.	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर स्वयं जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना व रिपोर्ट देना।	क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष द्वारा	07 दिवस में
4.	क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष कार्यालय के कां० कलर्क द्वारा आर्डर बुक करना	क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष/ कार्यालय के कां० कलर्क द्वारा	अविलम्ब
5.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जाँच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर संबंधित को रिपोर्ट प्रेषित करना।	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा	2 दिवस
6.	जाँच रिपोर्ट का रखरखाव	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के गोपनीय कार्यालय के कां० कलर्क द्वारा	02 वर्ष तक

3.3.4 थाना पंचायत दिवस में थाना स्तर पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

(उ०प्र० शासन के पत्र संख्या:2021 पी/छ:-पु-३ / 2005, दिनांक 21.6.2005 गृह (पुलिस) अनुभाग थाना पंचायत दिवस में प्राप्त जनसमस्याओं के निस्तारण की प्रक्रिया)

जन समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निस्तारण किया जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शासन द्वारा यह अनुभव किया जा रहा है कि अधिकारियों से मिलने के समय केवल पीड़ित पक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करता है, परन्तु उसकी समस्या का समाधान तब तक सम्भव नहीं हो सकता है जब तक कि दोनों पक्षों को एक साथ बुलाकर उनका पक्ष जानकर साम, दण्ड, भेद की नीति के पंचायती तरीके से सुलझाने का प्रयास न किया जाय। इसके लिये थाना सर्वाधिक उपयुक्त स्थल हो सकता है, क्योंकि अधिकांश समस्यायें भूमि विवाद, सरकश व्यक्तियों द्वारा उत्पीड़न, शारीरिक हिंसा तथा जोर दबरदस्ती से सम्बन्धित होती है।

1. थाना स्तर पर उभय पक्ष तथा राजस्व एवं पुलिस विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में पक्षकारों की एक साथ सुनवाई कर पंचायती तरीके से अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही त्वरित निदान सम्भव हो सकता है।
2. थाना स्तर पर जन सामान्य के प्रति संवेदनशीलता का अभाव होने और लोगों के मन में थाना जाने के प्रति भय की भावना विद्यमान होने के कारण यह आवश्यक है कि इस प्रकार की कार्यवाही के दिन प्रत्येक थाने पर एक राजपत्रित अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर थानाध्यक्ष व पुलिस के विरुद्ध भी यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उक्त अधिकारी उसका संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक/जिलाधिकारी को अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं, इससे लोगों का थाने पर जाने में संकोच हटेगा तथा उनमें थाना जाने के प्रति व्याप्त भय की भावना भी समाप्त होगी और थाने में प्रभुत्व एवं अधिकारिता के माहौल में पंचायती ढंग से समस्याओं को निपटाने का प्रयास अपेक्षाकृत अधिक परिणामदायक हो सकता है।
3. इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु थाना पंचायत दिवस का आयोजन कराये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। इस सम्बन्ध में निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-
 - क. प्रत्येक शनिवार को थाना पंचायत दिवस का आयोजन प्रातः 10 बजे से किया जाय और उस दिन समस्त राजस्व एवं पुलिस कर्मी थाने पर उपस्थित रहेंगे।
 - ख. थाना पंचायत दिवस के अवसर पर उपस्थित होकर नेतृत्व प्रदान करने हेतु राजस्व एवं पुलिस विभाग के समस्त राजपत्रित अधिकारियों का एक रोस्टर बनाया जाय तो प्रत्येक तैमास बदला जाया करेगा।
 - ग. थाना पंचायत दिवस के अवसर पर प्राप्त शिकायतों में उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित कराकर राजस्व एवं पुलिस विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में उनका पक्ष जानकर आपसी सहमति से समस्या का निराकरण किया जायेगा। ऐसे निस्तारित प्रत्येक मामले का इन्द्राज जी०डी० में किया जायेगा, ताकि भविष्य में इसी सम्बन्ध में पुनः शिकायत का अवसर उत्पन्न होने पर उक्त इन्द्राज के आधार पर वैधानिक कार्यवाही करना सम्भव हो सके।

- घ. जिन मामलों में मौका मुवायना की आवश्यकता हो, उसमें 12.00 बजे के बाद पुलिस व राजस्व कर्मियों की टीमें गठित कर मौके पर भेजी जायेगी। महत्वपूर्ण प्रकरणों में थानाध्यक्ष, तहसीलदार, उप जिला मजिस्ट्रेट तथा क्षेत्राधिकारी की टीमें समस्या का निराकरण करेंगे।
- ड. थाना पंचायत दिवस में प्रधानों की भी उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाये। इससे समस्याओं के निराकरण में सुविधा रहेगी।
- च. थाना पंचायत दिवस का पूरा लाभ जनसामान्य को मिल सके, इसके लिये सभी सम्भव उपायों द्वारा इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाय।
- छ. इस सम्बन्ध में प्रगति समीक्षा जिलाधिकारी एवं मंडलायुक्त के स्तर पर की जायेगी। उनके द्वारा शासन को भी प्रति माह अवगत कराया जायेगा।

3.3.5 फायर सर्विस इकाई द्वारा किये जाने वाले निरीक्षणों की प्रक्रिया

क्र0 सं0	प्रतिष्ठान	पत्र/आदेश प्राप्ति का स्थान	निरीक्षण (द्वारा)	समयावधि
1	पेट्रोल/डीजल पम्प	जिलाधिकारी कार्यालय से	अग्निशमन अधिकारी	15 दिवस
2	पेटी/डीलर (फुटकर डीजल/पेट्रोल)	जिलाधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारी कार्यालय से	प्रभारी अग्निशमन अधिकारी	उपरोक्त
3	गैस एजेन्सी	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त
4	विस्फोटक पदार्थ	जिलाधिकारी कार्यालय से	उपरोक्त	उपरोक्त
5	सिनेमा हाल	जिलाधिकारी/मनोरंजनकर अधिकारी कार्यालय से	उपरोक्त	उपरोक्त
6	होटल/लाज/ रेस्टोरेन्ट धर्मशाला	जिलाधिकारी/पर्यटन अधिकारी कार्यालय से	उपरोक्त	उपरोक्त
7	व्यावसायिक भवन	कार्यालय विकास प्राधिकरण/ आवास विकास निगम	उपरोक्त	उपरोक्त
8	फैक्ट्री	कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र	उपरोक्त	उपरोक्त

3.3.6 जनपद इलाहाबाद में नियमन

3.3.6.1 जनपद इलाहाबाद नगर क्षेत्र में भारी व्यवसायिक वाहनों के प्रवेश व संचालन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश:-

(अ) भारी व्यावसायिक वाहन

- माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जो भारी वाहन कानपुर की तरफ से वाराणसी लखनऊ अथवा रीवां रोड की तरफ, लखनऊ से कानपुर या वाराणसी की तरफ अथवा वाराणसी से आने वाले कानपुर अथवा लखनऊ की तरफ जाना चाहते हैं सबका प्रवेश नगर क्षेत्र में समय 06.00 से 10.30 तक एवं 12.30 से 18.00 बजे तक पूर्णतः वर्जित है। प्रतिबन्धित समय के उपरान्त समस्त वाहन बिना रोक टोक के आते जाते हैं रविवार को यह प्रतिबन्ध नहीं है।
- कानपुर की तरफ से आने वाली भारी वाहन लोकसेवा जी0टी0 जवाहर होते हुए वाराणसी अथवा रीवा रोड को एवं लखनऊ जाने हेतु लोक सेवा, तेलियरगंज होते हुए जाते हैं।
- वाराणसी की तरफ से आने वाले व्यवसायिक वाहन जी0टी0 जवाहर लोकसेवा, हाई कोर्ट की तरफ से कानपुर व लखनऊ जाने के लिए लोकसेवा से तेलियरगंज की तरफ से तथा रीवां रोड जाने के लिए बिना रोक टोक के जी0टी0 जवाहर चौराहे होकर बांगड़ धर्मशाला से चले जाते हैं।
- लखनऊ की तरफ से वाराणसी जाने हेतु तेलियरगंज लोकसेवा जी0टी0 जवाहर की ओर से अथवा फाफामऊ से बांये सहसो होते हुए चली जाती है। कानपुर जाने के लिए लोकसेवा से हाईकोर्ट की तरफ से या रीवां रोड जाने हेतु लोकसेवा जी0टी0 जवाहर से बांगड़ धर्मशाला से होते हुए चले जाते हैं।
- रीवा की तरफ से वाराणसी जाने हेतु बेरोक टोक के बांगड़ जी0टी0 जवाहर होते हुए लखनऊ जाने हेतु जी0टी0 जवाहर लोकसेवा तेलियरगंज होते हुए एवं कानपुर जाने हेतु जीटी जवाहर लोकसेवा हाईकोर्ट हेतु चले जाते हैं।
- कानपुर से वाराणसी जाने वाले वाहन जी0टी0 रोड बाईपास से चले जाते हैं। प्रयास किया जा रहा है कि वाराणसी से कानपुर व कानपुर से वाराणसी की ओर जाने वाले भारी वाहन शहर में प्रवेश न करने पाये।

(ब) यात्री वाहनों के संबंध में:-

(प) परिवहन निगम की बसों के संबंध में :-

- (अ) सिविल लाइन्स डिपो— शहर क्षेत्र से वाराणसी तथा जौनपुर जाने के लिए मेडिकल चौराहा, जी0टी0 सीमेन्टी, जी0टी0 जवाहर से शास्त्री ब्रिज होते हुए, लखनऊ/प्रतापगढ़/फैजाबाद/सुल्तानपुर जाने हेतु लोकसेवा आयोग, तेलियरगंज, फाफामऊ होते हुए रोडबेज की बसें जाती हैं।
- (ब) लीडर रोड डिपो— कानपुर/झाँसी/दिल्ली जाने के लिए पानी की टंकी चौफटका, धूमनगंज होते हुए चली जाती है।

(स) जीरो रोड बसेः— मिर्जापुर/रीवां/म०प्र० की तरफ जाने वाली समस्त बसे रामबाग, बांगड़ धर्मशाला, न्यू ब्रिज नैनी होते हुए चली जाती है।

(प) टैम्पो/टैक्सी स्टैण्ड व रूट

स्टैण्ड

कचहरी चौराहा:-

1. कचहरी, म्योहाल, लोक सेवा, मिश्र भवन, हनुमान मंदिर पूर्वी, मेडिकल चौराहा से रामबाग
2. कचहरी से म्योहाल, धोबी घाट, हाईकोर्ट, पानी टंकी रेलवे स्टेशन व चौफटका, धूमनगंज, मुण्डेरा को जाती है।
3. कचहरी से लक्ष्मी टाकीज चौराहा, बैंक रोड, तेलियरगंज।

रेलवे स्टेशन:-

रेलवे स्टेशन, जानसेनगंज, रामबाग बैरहना, आलोपीबाग होकर जाती है। वह पानी टंकी चौफटका, धूमनगंज, बमरौली तक जाती है। रेलवे स्टेशन से जानसेनगंज, लोकसेवा, म्योहाल कचहरी।

रामबाग:-

रामबाग बागड़ धर्मशाला, लेप्रोगी तिराहा, नैनी तक जाते हैं।

नगरीय एवं उप नगरीय बस सेवा:-

जे०एन०एन० यू०आर०ए० के अन्तर्गत लो फ्लोर बसें अंदावा से बम्हरौली तथा रेमण्ड से फाफामऊ तक चलती हैं एवं इसी योजना के अन्तर्गत मिनी बसें कचहरी से हनुमानगंज, कचहरी से कोरांव, शंकरगढ़, हण्डिया, कुण्डा आदि जगहों को जाती हैं। पूर्व में प्रचलित महानगर बस सेवा को जनपद की परिवहन विभाग की डिपो से सम्बद्ध कर दिया गया है।

नगर क्षेत्र में एकल दिशा यातायात व्यवस्था :-

निरंजन टाकिज की तरफ से आने वाला यातायात जानसेनगंज चौराहे से रेलवे स्टेशन की ओर एवं बायें स्वामी विवेकानन्द मार्ग की ओर जा सकेगा किन्तु नेताजी सुभाष मार्ग पर नहीं जायेगा। घण्टाघर चौराहे से जानसेनगंज की तरफ जाने वाला यातायात जानसेनगंज चौराहे से बाये रेलवे स्टेशन सामने निरंजन टाकिज एवं दाहिने विवेकानन्द मार्ग की ओर जा सकता है। इस मार्ग से किसी तरफ का यातायात घण्टाघर की ओर नहीं जायेगा।

जीरो रोड से स्वामी विवेकानन्द मार्ग जाने के लिए हिन्दी साहित्य सम्मेलन मार्ग का प्रयोग किया जायेगा।

घण्टाघर से जी०टी० रोड की ओर आने वाला यातायात बिसाता पटरी की ओर से आयेगा। जीटी रोड से घण्टाघर की ओर जाने वाला यातायात बिसाता पटरी की तरफ से जायेगा।

3.3.6.2 मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध व जुर्माना

क्र. सं.	अपराध का विवरण	धारा	अधिकतम जुर्माना व सजा
1	मोटर चालक द्वारा बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना	3 / 181	250—500
2	किसी अवयस्क द्वारा मोटर गाड़ी चलाना या उससे चलवाना	4 / 181	500 व 3 माह का कारावास व दोनों
3	बिना लाइसेंस गाड़ी चलवाना	5 / 181	1000 व 3 माह करावास या दोनों
4	बिना पंजीकरण गाड़ी को चलाना	39 / 192	2000—3000 जुर्माना या 6 माह का कारावास या दोनों
5	बिना फिटनेस कराये गाड़ी चलाना	56 / 192	2000—3000 या 6 माह का कारावास या दोनों
6	परमिट के नियमों का उल्लंघन करना या बिना परमिट गाड़ी चलाना	66 / 192	2000—3000 या 6 माह का कारावास या दोनों
7	गति सीमा से अधिक गाड़ी चलाना	112 / 183	400—1000
8	एकल दिशा मार्गों के नियमों का उल्लंघन करना	115 / 194	1000—2000
9	वैधानिक प्रतिबन्धों का उल्लंघन करना या यातायात नियमों का उल्लंघन करना	115 / 194	1000—2000
10	शांति क्षेत्र में आज्ञाओं का उल्लंघन करना (वर्जित क्षेत्र)	115 / 194	1000—2000

11	प्रतिबन्धित क्षेत्र में गाड़ी खड़ी करना	115 / 194	1000–2000
12	बिना किसी संकेत के स्टेयरिंग का बायी तरफ होना	120 / 177	100–300
13	यातायात चिन्हों का पालन न करना	119 / 177	100–300
14	बिना संकेत के गाड़ी चलाना	121 / 177	100–300
15	खतरनाक दशा में गाड़ी खड़ी करना जिससे यातायात बाधित हो	122 / 177	100–300
16	गाड़ी की छत बोनट पायदान पर बैठकर यात्रा करना या ले जाना	123 / 177	100–300
17	बिना टिकट यात्री वाहन में यात्रा करना	124 / 178	200–300
18	किसी दुपहिया वाहन पर दो सवारी से अधिक बैठाना	128 / 177	150–300
19	बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चालाना	129 / 177	150–300
20	किसी मोटर चालक से लाइसेंस व गाड़ी के कागज मांगने पर पेश न करना	130 / 177	150–300

21	किसी कन्डेक्टर के द्वारा उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांगने पर पेश न कर पाना	130 / 177	150–300
22	किसी टैक्सी या तिपहिया टैम्पो द्वारा सवारी ले जाने से इन्कार करना	178(3)	50–200
23	पुलिस अधिकारी द्वारा गाड़ी रोकने पर न, रोकना	132 / 179	250–500
24	स्टाप लाइन का उल्लंघन	17 / 177	100–300
25	दोषपूर्ण नम्बर प्लेट का वाहन में लगा होना	16 / 177	100–300
26	अधिक धुआँ वाहन से निकलना	190(2)	1000–2000
27	बिना इन्श्योरेंस के वाहन चलाना	146 / 196	100 व 3 माह का कारावास या दोनों
28	भार वाहन में पशुओं को ले जाना	59 / 177	150–300
29	भार वाहन में अधिक यात्री बैठाकर चलाना	46 / 177	150–300
30	पुलिस द्वारा दिये गये संकेतों का उल्लंघन	119 / 177	300–500
31	बांये से गाड़ी को ओवरट्रैक करना	110 / 177	100–300
32	बेतहाशा खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना	184 / 202	1000–2000 2 वर्ष कारावास या दोनों
33	शराब या अन्य किसी मादक पदार्थ का सेवन करके वाहन चलाना	185 / 202	1000–2000 2 वर्ष का कारावास या दोनों
34	मालिक की बिना अनुमति के गाड़ी ले जाना अथवा चलाना	197 / 202	1000–2000 2 वर्ष कारावास या दोनों
35	चालक द्वारा अपने दाहिने बैठाकर वाहन चलाना	125 / 177	100–300
36	गाड़ी के रनिंग बोर्ड में सवारी लादना, पायदान, छत पर, बोनट पर या गाड़ी के बाहर लटकाकर चलना	123 / 177	100–300

उपरोक्त धाराओं में किसी भी वाहन के अभिलेखों को चेक करने तथा संगत अपराध के अनुसार चालान करने की शक्ति जनपद के हेठों (प्रोन्नति वेतनमान) एवं उसके ऊपर के समस्त अधिकारियों में निहित है। अधिनियम के अन्तर्गत उक्त धाराओं के उल्लंघन पर मौके पर ही संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा चालान किया जाता है। तीन प्रतियों में चालान की प्रविष्टियां की जाती हैं जो कि तीन विभिन्न रंगों की होती हैं। लाल रंग की प्रति को न्यायालय/क्षेत्राधिकारी कार्यालय भेजा जाता है, पीले रंग की प्रति को वाहन चालक को दिया जाता है तथा सफेद प्रति को कार्यालय में रिकार्ड के रूप में रखा जाता है। जनपद में उक्त अधिनियमों में समायोजन संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा 15 दिवस तक किया जाता है। 15

दिवस के अन्दर यदि वाहन चालक समायोजन कराने हेतु उपस्थित नहीं होता है तो संबंधित प्रपत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यालय भेज दिये जाते हैं। साथ ही वाहनों की चेकिंग एवं उनका समायोजन/समन शुल्क जमा करने का अधिकार समस्त थाना प्रभारियों को दे दिया गया है। समन शुल्क से प्राप्त धन पुलिस कार्यालय के आंकिक शाखा में जमा कराया जाता है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या परमिट आदि के बिना उपयोग किये गये वाहनों को निरुद्ध किया जाता है जिनका समायोजन केवल संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही होता है।

3.3.7 स्थानीय अभिसूचना ईकाई द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया

3.3.7.1 एफ0आर0ओ0 (विदेशी पंजीकरण अधिकारी) के संबंध में

जनपद के प्रभारी पुलिस अधीक्षक एफ0आर0ओ0 होते हैं जिनके पाक/बांगलादेश व विदेशी नागरिकों के संबंध में अलग-अलग कर्तव्य हैं।

(अ) विदेशी शाखा/विदेशी नागरिकों के संबंध में:-

पाकिस्तान व बांगलादेश को छोड़कर अन्य देशों के नागरिक विदेशी कहलाते हैं विदेशी नागरिकों के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, विदेशी पंजीकरण अधिकारी के हैसियत से कार्य करते हैं। जनपद में विदेशी नागरिक 02 प्रकार के बीजा अवधि पर आते हैं। एक तो 180 दिन से कम के बीजा पर दूसरे 180 दिन के अवधि के अधिक के बीजा पर विदेशी जो आते हैं उनका पंजीकरण निम्न प्रकार होता है।

(1) 180 दिन से कम का बीजा लेकर जनपद में आये विदेशियों का पंजीकरण नहीं होता है केवल सूचना विदेशियों द्वारा या जिनके यहां ठहरे हैं के द्वारा दी जाती है।

(2) 180 दिन से अधिक के बीजा अवधि पर आये विदेशियों का 14 दिवस के अन्दर पंजीकरण होता है जिसकी सूचना गृह मंत्रालय नई दिल्ली व पुलिस अधीक्षक (एफ0) विंशाठ अभिंविंठ उठप्रो को प्रेषित की जाती है।

विदेशियों के निवास वृद्धि का अधिकार भी एफ.आर.ओ. निहित होता है।

(ब) पाकिस्तानी/बांगलादेशी नागरिकों के संबंध में :-

पाक बांगलादेशी नागरिकों के मामले में एफ0आर0ओ0 सिविल अथॉरिटी की हैसियत से कार्य करते हैं। जनपद में आये हुए पाक नागरिकों का पंजीकरण करके ठहरे हुए अवधि में उनके निगरानी कराते हुए समय से पाक रखाना करने की जिम्मेदारी भी सिविल अथॉरिटी/एस0एस0पी0 की होती है।

पाक/बांगलादेशी नागरिकों की बीजा वृद्धि करने के संबंध में सभी अधिकार शासन को प्रदत्त है। सिविल अथॉरिटी द्वारा संस्तुति सहित अग्रसारित करने पर एल0टी0वी0 पर रह रहे पाक नागरिकों को एक्सटेन्सन शासन स्तर पर प्राप्त होता है वर्तमान में एस0टी0वी0 पर (180 दिन से कम) आये हुए पाक नागरिकों की बीजा वृद्धि पर शासन द्वारा रोक लगायी गयी है।

पाक/विदेशी मामलों से संबंधित कार्यवाही एल0आई0यू0 कार्यालय में स्थित पाक/विदेशी शाखा से सम्पादित की जाती है जिसमें प्रभारी तौर पर एक उठनिंठ की नियुक्ति होती है।

3.3.7.2 पासपोर्ट

(अ) कार्यवाही का चरण:- पासपोर्ट आवेदन करने वाले व्यक्ति अपना आवेदन पत्रों को निम्न स्थानों पर जमा कर सकते हैं।

1. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी कार्यालय, लखनऊ।
2. कार्यालय जिलाधिकारी, इलाहाबाद।

जमा आवेदन पत्रों को संबंधित जनपद के पुलिस प्रमुख को प्रेषित किया जाता है। आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात् संबंधित जनपद के पुलिस अधिकारियों (उठनिंठ व हेठोकांप्रो०) द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के एक प्रति जिसमें आवेदन करने वाले व्यक्ति के वैयक्तिक विवरण अंकित होते हैं की जांच की जाती है तथा वैयक्तिक विवरण पत्र के दूसरे प्रति को आतंकवादी व अन्य राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के विषय में जानकारी करने हेतु अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ प्रेषित किया जाता है। अभिंविंठ मुख्यालय से प्राप्त जांच आख्या तथा जनपद के थानों व एल0आई0यू0 से प्राप्त जांच आख्या के आधार पर एक अलग आख्या बनाकर नोडल अधिकारी (जी0ओ0) के हस्ताक्षर द्वारा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ या जिलाधिकारी कार्यालय प्रेषित किया जाता है।

पासपोर्ट कार्यालय द्वारा प्राप्त जांच आख्या के आधार पर वरीयतानुसार पासपोर्ट जारी किये जाते हैं जो डाकखाना के माध्यम से आवेदक को प्राप्त कराये जाते हैं।

(ब) कार्यवाही किसके द्वारा अपेक्षित :— आवेदन पत्र जमा होने के पश्चात् निम्न स्तर पर कार्यवाही होती है।

(1) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी/ जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा संबंधित जनपदों के पुलिस प्रभारियों को

वैयक्तिक विवरण पत्र जांच हेतु उपलब्ध कराये जाते हैं।

- (2) जनपद पुलिस / एल0आई0य० / अभिसूचना मुख्यालय द्वारा जांच की जाती है।
- (3) जांच आख्या नोडल अधिकारी (जी0ओ0) के हस्ताक्षर से पासपोर्ट कार्यालय प्रेषित की जाती है।
- (स) कार्यवाही की अवधि:-

जनपद में प्राप्त पासपोर्ट आवेदन पत्रों की पुलिस/अभिसूचना जाँच रिपोर्ट 20 दिन के अन्दर पासपोर्ट कार्यालय को प्रेषित किया जाने का निर्देश है। इसके पश्चात् पासपोर्ट कार्यालय द्वारा वरीयता के आधार पर पासपोर्ट जारी किये जाने का प्राविधान है।

3.3.8 सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने से संबंधित प्रक्रिया

शासनादेश संख्या 1773/छ-पु-2-2001-700(1)/2001 दिनांक 25.04.01 के अनुसार गनर/शैडो की अनुमन्यता हेतु जीवन भय का सही आकलन करने के लिये जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित होती है जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक (अभिसूचना) स्थानीय अभिसूचना ईकाई सदस्य होते हैं।

जिन व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक हो, जनपदीय समिति द्वारा उनके जीवन भय का आकलन कर स्थानीय स्तर पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था निम्नलिखित मानकों के आधार पर उपलब्ध करायी जाती है।

3.3.7.1 सुरक्षा व्यवस्था संबंधी मानक

श्रेणी	सुरक्षा का स्तर	व्ययभार का प्रतिशत
सांसद/विधायक	(क) एक सुरक्षाकर्मी (ख) औचित्य पाये जाने पर एक अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी सादे वस्त्रों में	(क) निःशुल्क (ख) 25 प्रतिशत पर
निर्वर्तमान सांसद/विधायक	औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी	10 प्रतिशत पर
प्रदेश स्तरीय शासकीय निगमों के अध्यक्ष/जिला पंचायत अध्यक्ष नगर प्रमुख/कुलपति	औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी	10 प्रतिशत पर
प्रदेश स्तर पर पंजीकृत मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष	औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी	10 प्रतिशत पर
अन्य किसी व्यक्ति को आवश्यकतानुसार जनपदीय समिति की संस्तुति पर	औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षाकर्मी	10 प्रतिशत पर
जघन्य अपराध होने पर पैरवी करने वाला/गवाह	औचित्य पाये जाने पर सुरक्षा कर्मी की सामान्य व्यवस्था	समिति के निर्णय के अनुसार

शासनादेश सं0-2301/6-पु0-2-2004-700(1)-2001 दिनांक 18.06.04 द्वारा जिला पंचायत अध्यक्षों को पदेन एक गनर निःशुल्क देने का प्राविधान है।

किसी महानुभाव द्वारा सुरक्षा हेतु आवेदन पत्र देने पर जनपदीय समिति द्वारा उसके जीवन भय का आकलन किया जायेगा जनपदीय समिति की संस्तुति पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा एक माह के लिये सुरक्षाकर्मी स्वीकृत किया जा सकता है जिसे आवश्यकता पड़ने पर एक माह दो बार यानी कुल 3 माह तक बढ़ायी जा सकती है। इससे अधिक अवधि के लिये सुरक्षा की आवश्यकता होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से जनपदीय समिति की संस्तुति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी जिस पर विचारोपरान्त शासन द्वारा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जायेगा।

जनपद स्तर पर प्रदत्त सुरक्षा व्यवस्था (मान0 सांसद/विधायक/मामंत्री गण उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के मान0 न्यायमूर्ति एवं श्रेणी बद्ध संरक्षित महानुभावों को अनुमन्य सुरक्षा व्यवस्था को छोड़कर) की समीक्षा जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक माह की जाती है।

भुगतान पर सुरक्षाकर्मी देने से पूर्व कम से कम एक माह का व्यय भार अग्रिम जमा कराया जायेगा यदि उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व संरक्षित व्यक्ति द्वारा अग्रिम व्यय भार जमा नहीं कराया जाता है तो जमा करायी गयी धनराशि की अवधि समाप्त होते ही सुरक्षा कर्मी वापस ले लिया जाता है।

100 प्रतिशत निजी व्ययभार पर सुरक्षा कर्मी प्रदत्त करने पर ₹0 16130/- प्रतिमाह तथा 10 प्रतिशत पर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने पर ₹0 1613/- प्रतिमाह धनराशि पुलिस मुख्यालय उ0प्र0 इलाहाबाद के निर्देशानुसार पुलिस कार्यालय की आंकिक शाखा में जमा करायी जाती है।

3.3.9 शस्त्र लाइसेन्स संस्तुति किये जाने की प्रक्रिया

क्र0 सं0	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1.	जिलाधिकारी कार्यालय से शस्त्र प्रार्थना पत्र की प्राप्ति, सम्बन्धित एस0डी0एम0 / ए0सी0एम0 कार्यालय से	अपर पुलिस अधीक्षक	कार्य दिवस / कार्यालय अवधि में किसी भी समय
2	संबंधित थाने को अपराधिक इतिहास व आमशोहरत तथा सत्यापन हेतु जांच किया जाना	संबंधित प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष	15 दिवस में
3	डीसीआरबी द्वारा जनपद में किये जगये अपराध के संबंध में जांच किया जाना	प्रभारी डीसीआरबी	03 दिवस में
4	संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच किया जाना	संबंधित क्षेत्राधिकारी	06 दिवस में
5	अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच किया जाना	अपर पुलिस अधीक्षक	06 दिवस में
6	जिलाधिकारी कार्यालय को लाइसेन्स प्रार्थना पत्र संस्तुति/असंस्तुति सहित भेजा जाना	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नियुक्त कर्मी द्वारा	अविलम्ब

शस्त्र लाइसेन्स के नवीनीकरण के लिये आवेदक संबंधित थाने में प्रार्थना पत्र देता है, थानाध्यक्ष की आख्या के आधार पर जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा शस्त्र लाइसेन्स का नवीनीकरण किया जाता है। यह प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि के पश्चात् अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

3.3.10 विभिन्न प्रकार के चरित्र प्रमाण—पत्र निर्गत किये जाने की प्रक्रिया

3.3.10.1 प्राइवेट वेरीफिकेशन

क्र0 सं0	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1.	आवेदक द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2.	चरित्र प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित 20 रु0 शुल्क के रूप में लिया जाना	आंकिक कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
3.	चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	1 दिवस
4.	संबंधित थाने पर जांच व सत्यापन	संबंधित थानाध्यक्ष / उ0नि0 द्वारा	06 दिवस में
5.	एल0आई0यू0 द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	क्षेत्राधिकारी एल0आई0यू0 द्वारा	06 दिवस में
6.	चरित्र सत्यापन निर्गत किया जाना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा	01 दिवस में

3.3.10.2 पुलिस वेरीफिकेशन

क्र0 सं0	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1	पुलिस विभाग में चयनित पुलिस कर्मियों के सत्यापन पुलिस कर्मी के नियुक्ति स्थल से कर्मी के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में

2	चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
3	संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	संबंधित थानाध्यक्ष/उ0नि0 द्वारा	03 दिवस में
4.	एल0आई0यू0 द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	क्षेत्राधिकारी एल0आई0यू0 द्वारा	03 दिवस में
5.	चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

3.3.10.3 सर्विस वेरीफिकेशन

क्र0 सं0	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1	सरकारी विभाग में चयनित सरकारी कर्मियों के सत्यापन सरकारी कर्मी के नियुक्ति स्थल से कर्मी के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2	चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
3	संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	संबंधित थानाध्यक्ष/उ0नि0 द्वारा	03 दिवस में
4.	एल0आई0यू0 द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	क्षेत्राधिकारी एल0आई0यू0 द्वारा	03 दिवस में
5.	चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजना जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

3.3.10.4. मिलिट्री सर्विस वेरीफिकेशन

क्र0 सं0	कार्य	किसे स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1.	मिलिट्री विभाग में चयनित सैन्य कर्मियों के सत्यापन सैन्य कर्मी के नियुक्ति स्थल से कर्मी के मूल निवास सिल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2.	चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	तत्काल
3.	संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	संबंधित थानाध्यक्ष/उ0नि0 द्वारा	03 दिवस में
4.	एल0आई0यू0 द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	क्षेत्राधिकारी एल0आई0यू0 द्वारा	03 दिवस में
5.	चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

3.3.10.5 ठेकेदारी वेरीफिकेशन

क्र0 सं0	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1	जिलाधिकारी कार्यालय से आवेदन पत्र मय शपथ—पत्र के पुलिस कार्यालय में प्राप्त	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2	चरित्र प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित 20 रु0 शुल्क के रूप में लिया जाना	आंकिक कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
3	चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
4	संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा सत्यापन को संस्तुति/असंस्तुति करना	संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा	07 दिवस में
5	एल0आई0यू0 द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	क्षेत्राधिकारी एल0आई0यू0 द्वारा	07 दिवस में
6	चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

4. कर्तव्यों के सम्पादन हेतु अपनाये जाने वाला मानदण्ड

4.1 जनपद स्तर पर विभिन्न प्रकार की जांचों के लिए निर्धारित किये गये मापदण्ड

क्र०सं०	कार्य	कार्यवाही हेतु निर्धारित मापदण्ड
1	अनुसंधान/विवेचना	दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं प्रचलित नियमों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में
2.	थानों पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना	07 दिवस
3	पुलिस अधीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना	15 दिवस
4	पुलिस अधीक्षक को विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना	12 दिवस
5	फायर सर्विस ईकाई द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण	15 दिवस
6	पासपोर्ट की जाँच	उ०प्र० शासन के पत्र सं० 616भा/छ: वीजा अनुभाग-4-2005- 17/2/64/99 दिनांक 21-10-2005 के अनुसार 20 दिवस में
7	शस्त्र लाइसेन्स की संस्तुति किया जाना	30 दिवस
8	प्राइवेट वेरीफिकेशन	14 दिवस
9	पुलिस वेरीफिकेशन	06 दिवस
10	सर्विस वेरीफिकेशन	06 दिवस
11	मिलीट्री सर्विस वेरीफिकेशन	06 दिवस
12	ठेकेदारी वेरीफिकेशन	21 दिवस

4.2 पुलिस आचरण के सिद्धान्त

1. भारतीय संविधान में पुलिस जन की सम्पूर्ण निष्ठा व संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गये अधिकारों का पूर्ण सम्मान करना।
2. बिना किसी भय पक्षपात अथवा प्रतिशोध की भावना के समस्त कानूनों का दृढ़ता व निष्पक्षता से निष्पादन करना।
3. पुलिस जन को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों की परिसीमाओं पर पूरा नियंत्रण रखना।
4. कानून का पालन कराने अथवा व्यवस्था बनाये रखने के काम में जहां तक सम्भव हो समझाने बुझाने का प्रयास यदि बल प्रयोग करना अनिवार्य हो तो कम से कम बल प्रयोग करना।
5. पुलिस जन का मुख्य कर्तव्य अपराध तथा अव्यवस्था को रोकना।
6. पुलिस जन को यह ध्यान में रखना कि वह जनसाधारण का ही अंग है तथा वे वही कर्तव्य कर रहे हैं जिनकी विधान ने समान नागरिकों से अपेक्षा की है।
7. प्रत्येक पुलिस जन को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सफलता पूरी तरह से नागरिक सहयोग पर आधारित है।
8. पुलिस जन को नागरिकों के कल्याण का ध्यान उनके प्रति सहानुभूति व सद्भाव हृदय में रखना।
9. प्रत्येक पुलिस जन द्वारा विषम परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन एवं धैर्य बनाये रखना और दूसरों की सुरक्षा हेतु अपने प्राणों तक को उत्सर्ग कराने के लिए तत्पर रहना।
10. हृदय से विशिष्टता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, आत्मगौरव व साहस से जनसाधारण का विश्वास जीतना।
11. पुलिस जन को व्यक्तिगत तथा प्रशासनिक जीवन में विचार, वाणी व कर्म में सत्यशीलता व ईमानदारी बनाये रखना।
12. पुलिस जन को उच्चकोटि का अनुशासन रखते हुए कर्तव्य का विधि अनुकूल सम्पादन करना।
13. सर्वधर्म सम्भाव एवं लोकतांत्रिक राज्य के पुलिस जन होने के नाते समस्त जनता में सौहार्द व भाई चारे की भावना जागृत करने हेतु सतत प्रयत्नशील रहना।

5. कर्तव्यों के निर्माण हेतु अपनाये जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, निर्देशिका व अभिलेख

क्र0स0 अधिनियम, नियम, रेग्युलेशन का नाम

1. पुलिस अधिनियम 1861
2. भारतीय दण्ड संहिता 1861
3. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973
4. उत्तर प्रदेश पुलिस रेग्युलेशन 1861
5. उत्तर प्रदेश पुलिस कार्यालय मैनुअल 1861
6. साक्ष्य अधिनियम 1872
7. आर्म्स एक्ट 1959
8. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955
9. अनु0जाति व अनु0जनजाति0 अधिनियम 1989
10. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949
11. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (उ0प्र0 संशोधन अधिनियम 1978)
12. चोर बाजारी नियम 1980 और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980
13. खाद्य अपमिश्रण नियम 1954
14. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
15. पशु अतिचार अधिनियम 1861
16. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988
17. बन्दी अधिनियम 1900
18. सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867
19. किशोर न्याय अधिनियम 1986
20. दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961
21. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980
22. स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985

23. स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988
 24. बन्दियों की शिनाख्त अधिनियम 1930
 25. लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1980
 26. विस्फोटक अधिनियम 1984
 27. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908
 28. कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984
 29. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958
 30. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956
 31. महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिशोध अधिनियम 1986
 32. भारतीय वन अधिनियम 1927
 33. वन संरक्षण अधिनियम 1980
 34. विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 2004
 35. बन्दी न्यायालयों में उपस्थिति अधिनियम 1955
 36. विष अधिनियम 1919
 37. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993
 38. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया विनियम 1994
 39. रेल अधिनियम 1989
 40. रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957
 41. रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1966
 42. पुलिस बल (अधिकारों पर निर्बन्धन) अधिनियम 1966
 43. पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम 1922
 44. राज्य सशस्त्र पुलिस बलों (कानूनों का विस्तार) अधिनियम 1952
 45. केबिल दूरदर्शन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995
 46. ब्याज अधिनियम 1978
 47. उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम 1986
 48. उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970
 49. उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग 1999
 50. उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण नियमावली 1970
 51. उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976
 52. उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सशस्त्र आरक्षक वर्ग अधिनियम 1948
 53. उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावी क्षेत्र अधिनियम 1983
 54. उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा नियमावली 1979
 55. उत्तर प्रदेश अग्नि शमन सेवा अधिनियम 1944
 56. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील नियमावली) 1991
 57. उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील नियमावली) 1999
 58. उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955
 59. उत्तर प्रदेश गोवध निवारण नियमावली 1964
 60. उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम 1964
 61. उत्तर प्रदेश गोशाला नियमावली 1964
 62. उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग अधिनियम 1994
 63. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000
 64. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
 65. वित्तीय हस्त पुस्तिका
 66. समय—समय पर निर्गत शासनादेश
 67. उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत परिपत्र व अन्य निर्देश
- इसके अतिरिक्त तत् समय प्रचलित अन्य विधियां भी पुलिस कार्य प्रणाली को सशक्त एवं विनियमित करती है।

6. विभाग द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों की श्रेणी

6.1 विभिन्न थानों व अन्य कार्यालयों में रखे जाने वाले अभिलेख

क्र० सं०	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1	प्रथम सूचना रिपोर्ट	अपराधों के संबंध में दी गई सूचनाएं एवं विवेचक के संबंध में	सभी पुलिस थानों पर	तीन साल
2	दैनिकी सामान्य	सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस अधिनीकन/कर्मचारीगण की रवानगी वापसी ड्यूटी का विवरण	सभी पुलिस थानों व पुलिस लाइन में	एक साल थाने पर उसके बाद 5 साल तक पुलिस कार्यालय के रिकार्ड रूम में
3	सभी स्टैण्डिंग आर्डर	पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस अधिनीकन/कर्मचारी दिये गये निर्देशों का विवरण	सभी शाखा व थानों पर	स्थायी रूप से रखा जाएगा राजपत्रित अधिनीकन के आदेश पर ही नष्ट होगी
4	भगोड़ा (मफरूर) रजिस्टर	सभी फरार अपराधियों का विवरण	सभी थानों पर	5 वर्ष
5	रोकड़ बही	धनराशि की आमद व खर्च का विवरण	सभी थाने/पुलिस लाइन में	एक वर्ष थाना इकाई उसके बाद 9 वर्ष तक पुलिस आफिस रिकार्ड रूम में
6	आरोप पत्र	अभियोगों में प्रेषित पुलिस रिपोर्ट	सभी पुलिस थाने पर	एक साल
7	चिक खुराक	अभियुक्तों के भोजन व्यय किराया व्यय आदि की प्रतिपूर्ति है	सभी थाने पर	तीन साल
8	356 द0प्र0सं० के अधीन दोष सिद्ध अपराधी रजिस्टर	उक्त नियमानुसार दोष सिद्ध अपराधियों का विवरण	"	जब सभी कैदियों की अवधि समाप्त हो चुकी हो
9	432 द0प्र0सं० के अधीन सशर्त मुक्त किये गये कैदी रिकार्ड रजिस्टर	"	"	"
10	गोपनीय साप्ताहिक रिपोर्ट	थाना क्षेत्र की साम्प्रदायिक राजनैतिक व अन्य गतिविधियों की गोपनीय सूचना	"	एक साल
11	अपराध रजिस्टर	थानाक्षेत्र में हुए अपराधिक घटनाओं का विवरण	सभी थाने पर	पांच साल
12	चौकीदारों का अपराध नोट बुक	चौकीदार के ग्राम में घटित घटनाओं का विवरण	सूची चौकीदारों के पास	चौकीदार को जब तक नई नोट बुक प्रदान न की जाय
13	ग्राम अपराध रजिस्टर (रजिनो 8)	उस गांव में घटित होने वाले अपराध का विवरण	सभी थानों पर	स्थायी रूप में
14	डिफाल्टर रजिस्टर	कर्मचारी की त्रुटि व उसके लिए दी गई हिदायत का उल्लेख	सथी थानों/पुलिस लाइन में	एक साल पूर्ण होने के बाद

15	केस डायरी	विवेचना में कृत कार्यवाही का विवरण	सभी थानों/विवेचकों के पास	पांच साल
16	अन्तिम रिपोर्ट	अभियोग में विवेचनोपरान्त प्रेषित रिपोर्ट	सभी थाने पर	एक साल
17	अगुष्ठ छाप रजिस्टर	अपराधियों का नाम पता जिसका अगुष्ठछाप लिया गया है।	सथी थाने पर	स्थायी रूप से
18	चिक गैरदस्तन्दाजी	अहस्तक्षेपीय अपराधों की सूची	”	तीन साल
19	गिरोह रजिस्टर	पंजीकृत गैगो का विवरण	सभी थाने पर व डीसीआरबी में	पूर्ण होने के पांच साल तक
20	मरम्मत रजिस्टर	मरम्मत के लिये प्राप्त धन व उसके व्यय का विवरण	सभी थानों पर	दो साल
21	जांच पर्ची 'अ'	थानाक्षेत्र के दुराचारियों के बाहर जाने पर जारी किया जाने वाला पत्र	”	तीन साल
22	जांच पर्ची 'ब'	थानाक्षेत्र में मिलने वाले संदिग्ध आचरण के व्यक्तियों के लिये जारी पत्र	”	”
23	सूची हिस्ट्रीशीट	दुराचारियों का विवरण	”	स्थायी रूप से
24	पंचायतनामा जिल्ड	अस्वाभाविक मृत्यु की जांच का विवरण	सभी थानों पर	एक साल
25	निरीक्षण पुस्तिका	निरीक्षण का विवरण	सभी थानों पर व शाखाओं में	पांच साल
26	माल मसरुका रजिस्टर	चोरी/लूटी गई एवं बरामद सम्पत्ति का विवरण	सभी थानों पर	पांच साल
27	रिमाण्डशीट पु0प्रपत्र	अभियुक्तों को रिमाण्ड के लिए अनुरोध पत्र	सभी थानों पर	एक साल
28	मजिस्ट्रेटों के लिए निरीक्षण पुस्तिका	मजिस्ट्रेटों के द्वारा निरीक्षण के दौरान उल्लेख	सभी थानों पर	पूर्णता से 5 साल तक
29	109 धारा के अन्तर्गत कार्यवाही	संदिग्ध अपराधियों को पाबन्द कराने हेतु	”	दो वर्ष
30	110 सीआरपीसी के अन्तर्गत कार्यवाही	अभ्यस्त अपराधियों को पाबन्द कराने हेतु	”	”
31	थानाध्यक्ष की गोपनीय पुस्तिका	क्षेत्र की गोपनीय अभिसूचनायें	”	स्थाई
32	परिपत्र अनुदेशों की फाइल	परिपत्रों संबंधी निर्देश	”	”
33	परिपत्र अनुदेशों की फाइल	परिपत्रों संबंधी निर्देश	”	”
34	अपराधी जनजातियों का रजिस्टर	अपराधियों जनजातियों के संबंध में	समस्त थानों पर	उनके मृत्यु तक
35	सक्रिय अपराधी रजिस्टर	क्षेत्राधिकारी द्वारा अनुमोदित क्षेत्र के सक्रिय अपराधों की सूची	”	निगरानी उचित समझे जाने तक
36	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	”	5 वर्षों तक
37	आर्डर बुक न्यायालय	कोर्ट प्रोसीजर की सूची	”	5 वर्षों तक
38	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	”	5 वर्षों तक

39	भवन रजिस्टर	थाने की खसरा खतौनी व भवनों के संबंध में।	"	स्थायी
40	गुमशुदगी रजिस्टर	गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में।	"	स्थायी
41	गिरफ्तारी रजिस्टर	गिरफ्तार व्यक्तियों के संबंध में सूचना	"	5 वर्षों तक
42	जमानत रजिस्टर	गिरफ्तार व्यक्तियों के संबंध में सूचना	"	5 वर्षों तक
43	काज लिस्ट रजिस्टर	न्यायालय द्वारा अभियोजन की तिथियों व कार्यवाही का विवरण	"	5 वर्षों तक
44	जनशिकायत रजिस्टर	थाना कार्यालय/अन्य कार्यालय में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र	समस्त थानों/कार्यालय में	2 वर्षों तक
45	किरायेदार सत्यापन रजिस्टर	क्षेत्र के किरायेदारों के सत्यापन के संबंध में	समस्त थानों पर	स्थायी
46	नियुक्ति रजिस्टर	थाने पर नियुक्त रहे कर्मचारियों के संबंध में	"	स्थायी
47	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	समस्त कार्यालयों में	1 वर्ष तक

6.2 क्षेत्राधिकारी स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख

क्र0 सं0	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1.	अपराध रजिस्टर	सर्किल में पंजीकृत अभियोगों व केस डायरियों का संक्षिप्त विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	05 वर्ष तक
2.	जेड रजिस्टर	केस डायरियों को न्यायालय भेजने के दिनांक सहित संक्षिप्त विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	स्थायी
3.	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	05 वर्ष तक
4.	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक
5.	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	05 वर्ष तक
6.	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	01 वर्ष तक
7.	विशेष अपराध पत्रावलियाँ	विशेष अपराधों का विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	05 वर्ष तक
8	जाँच पत्रावलियाँ	शिकायतों की जाँच के संबंध में	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	05 वर्ष तक

6.3 अपर पुलिस अधीक्षक स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख

क्र0	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/शाखा जहाँ	अवधि जब तक
------	-------------------	-----------------------	----------------	------------

सं0			उपलब्ध होगी	उपलब्ध होगी
1.	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	05 वर्ष तक
2.	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक
3.	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	05 वर्ष तक
4.	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	05 वर्ष तक
5.	नियुक्ति रजिस्टर	क्षेत्र के थानों पर नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	स्थायी
6.	जाँच पत्रावलियाँ	शिकायतों की जाँच के संबंध में	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	05 वर्ष तक

6.4 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख

क्र0 सं0	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1.	राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय सेवा	राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय सेवा अभिलेख	आशुलिपिक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोपनीय कार्यालय में	स्थायी
2.	हिस्ट्रीशीट इन्डेक्स	जनपद के दुराचारियों का विवरण	वाचक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	स्थायी
3.	पुरस्कार रजिस्टर	जनपद के पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियों की सूची	वाचक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	05 वर्ष तक
4.	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	शिकायत प्रकोष्ठ कार्यालय में	05 वर्ष तक
5.	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	प्रधान लिपिक कार्यालय	अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक
6.	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	वाचक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	05 वर्ष तक
7	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	वाचक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	01 वर्ष तक

8	नियुक्ति रजिस्टर	क्षेत्र के थानों पर नियुक्ति कर्मचारियों के संबंध में	वाचक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	स्थायी
9.	सर्विस बुक / चरित्र पंजिका	समस्त रैंकों के कर्मचारियों के सेवा इतिहास	प्रधान लिपिक कार्यालय	स्थायी
10	कैश बुक / पे-बिल रजिस्टर	समस्त भुगतानों के लेन-देन के संबंध में	आंकिक शाखा	स्थायी
11	आक्रिमिकता निधि रजिस्टर	आक्रिमिकता निधि पर भारित व्ययों के संबंध में	आंकिक शाखा	स्थायी
12	स्टाक रजिस्टर	सामान्य भण्डार की मदों का क्रय व वितरण	पुलिस लाइन	स्थायी
13	हिन्दी आदेश पुस्तिका	समस्त आदेश जिनका प्रभाव वित्तीय भार पर पड़ता है	पुलिस लाइन	40 वर्षों तक

7. जनता की परामर्शदात्री समितियां

जनपदीय पुलिस में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर नीति निर्धारण में विचार हेतु निम्नलिखित व्यवस्था विद्यमान है—

क्र0 सं0	समिति का नाम	समिति का गठन	भूमिका एवं दायित्व	गोष्ठियों की आवृत्ति
1.	ग्राम सुरक्षा समिति	प्रत्येक गांव में 15 से 20 व्यक्तियों की समिति थानाध्यक्ष द्वारा गठित की जाती है	गांव में घटित होने वाले अपराध एवं अपराधियों की सूचना पुलिस को देना व अपराधियों से मुकाबला करना	समय—समय पर
2	पुलिस पेन्शनर्स बोर्ड	जनपद के पुलिस पेंशनर्स के द्वारा गठित होती है	पुलिस पेंशनर्स के कल्याण हेतु पैरवी करना	त्रैमासिक
3	उद्योग बन्धु	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के उद्यमियों की बैठक	उद्योगों के विकास में आने वाली कानून व्यवस्था की समस्या के समाधान हेतु	त्रैमासिक
4	जिला सड़क सुरक्षा समिति	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा से संबंधित समस्त विभागों के अधिकारियों की समिति	दुर्घटनाओं के निवारण हेतु	त्रैमासिक
5	जिला स्तरीय पत्रकार समिति	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद के पत्रकारों की समिति	पत्रकारों की पुलिस से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु	त्रैमासिक
6	शांति समिति	क्षेत्र के सम्प्रान्त नागरिकों की समिति	सम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने हेतु	आवश्यकतानु सार
7	मेला समिति	मेले से संबंधित सम्प्रान्त व्यक्तियों की समिति	प्रमुख मेलों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु	मासिक
8	सासंद विधायकगण गोष्ठी	समस्त सांसद व विधायकगण की गोष्ठी	शिकायतों के निस्तारण व सुझाव / परामर्श के लिये	मासिक

8. बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकाय

पुलिस संगठन में इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्रचलित नहीं है।

9. अधिकारियों तथा कर्मचारियों की टेलीफोन डायरेक्ट्री

जनपद इलाहाबाद के पुलिस अधिकारियों के टेलीफोन नम्बर

पदनाम अधिकारीण	आवास नं	कार्यालय नं	सी.यू.जी. मो. नं
पुलिस उप महानिरीक्षक इलाहाबाद	0532—2440700	0532—2641902	9454400248
1. अपर पुलिस अधीक्षक नगर	2556695	2240438	9454401014
2. अपर पुलिस अधीक्षक गंगापार	2600777	2641902	9454401015
3. अपर पुलिस अधीक्षक यमुनापार		2641902	9454401013
4. अपर पुलिस अधीक्षक यातायात	2266784	2641902	9454401201
5. अपर पुलिस अधीक्षक अपराध	—	2641902	—
1. क्षेत्राधिकारी नगर —प्रथम	—	—	9454401273
2. क्षेत्राधिकारी नगर—द्वितीय	—	—	9454401274
3. क्षेत्राधिकारी नगर—तृतीय	—	—	9454401275
4. क्षेत्राधिकारी नगर—चतुर्थ	—	2641902	9454401277
5. क्षेत्राधिकारी नगर—पंचम		2641902	9454401278
6. क्षेत्राधिकारी / कार्यालय / यातायात	—	2641902	9454401279
7. क्षेत्राधिकारी हण्डिया	—	—	9454401282
8. क्षेत्राधिकारी फूलपुर	—	—	9454401281
9. क्षेत्राधिकारी सोरांव	—	—	9454401280
10. क्षेत्राधिकारी करछना	—	—	9454401283
11. क्षेत्राधिकारी मेजा	—	—	9454401284
12. क्षेत्राधिकारी बारा	—	—	9454401285
13. क्षेत्राधिकारी प्रज्ञान	—	2461097	9454401722
14. क्षेत्राधिकारी आंकिक	—	—	

थाना प्रभारियों का विवरण

क्रम सं	पद	थाना	टेलीफोन नम्बर	
			कार्यालय	सीयूजी
1.	प्र0निरीक्षक	कोतवाली	2240900	9454402839
2.	थानाध्यक्ष	शाहगंज	2242660	9454402851
3.	प्र0निरीक्षक	खुल्दाबाद	2655603	9454402837
4.	थानाध्यक्ष	करैली	2550510	9454402832
5.	प्र0निरीक्षक	सिविल लाइन्स	2560904	9454402822
6.	थानाध्यक्ष	धूमनगंज	2233007	9454402824
7.	थानाध्यक्ष	कैण्ट	2423004	9454402821
8.	थानाध्यक्ष	कीडगंज	2458464	9454402834
9.	थानाध्यक्ष	मुट्ठीगंज	2413736	9454402845
10.	थानाध्यक्ष	अतरसुइया	2242100	9454402818
11.	प्र0निरीक्षक	कर्नलगंज	2460205	9454402835
12.	थानाध्यक्ष	शिवकुटी	2250850	9454402853
13.	थानाध्यक्ष	जार्जटाउन	2468482	9454402825
14.	प्र0निरीक्षक	दारागंज	2500751	9454402841
15.	थानाध्यक्ष	महिला थाना	2560903	9454402841
16.	थानाध्यक्ष	झुंसी	2569100	9454402830
17.	प्र0निरीक्षक	हण्डिया	05332-284010	9454402827
18.	थानाध्यक्ष	उतरांव	05332-239395	9454402856
19.	थानाध्यक्ष	सराय ममरेज	05332-280564	9454402850
20.	थानाध्यक्ष	सराय इनायत	05332-220427	9454402849
21.	प्र0निरीक्षक	फूलपुर	05332-251224	9454402848
22.	थानाध्यक्ष	बहरिया	05332-220212	9454402819
23.	प्र0निरीक्षक	थरवई	2647164	9454402855
24.	थानाध्यक्ष	सोरांव	05335-282393	9454402854
25.	प्र0निरीक्षक	मजुआइमा	05335-233482	9454402843
26.	थानाध्यक्ष	होलागढ़	05335-233443	9454402828
27.	थानाध्यक्ष	नवाबगंज	05335-231406	9454402847
28.	प्र0निरीक्षक	नैनी	2697261	9454402846
29.	थानाध्यक्ष	करचना	05333-232597	9454402831
30.	थानाध्यक्ष	औद्योगिक क्षेत्र	2686848	9454402829
31.	थानाध्यक्ष	घूरपुर	0533-283452	9454402826
32.	थानाध्यक्ष	मेजा	0534-239749	9454402844
33.	थानाध्यक्ष	माण्डा	0534-234413	9454402842
34.	थानाध्यक्ष	कोरांव	0534-232481	9454402838
35.	थानाध्यक्ष	खीरी	0534-236353	9454402836
36.	थानाध्यक्ष	बारा	05333-284408	9454402820
37.	थानाध्यक्ष	शंकरगढ़	05333-222202	9454402852
38.	थानाध्यक्ष	कौंधियारा		9454402833
39.	थानाध्यक्ष	लालापुर	05335-245291	9454402840

10. अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन / पारितोषिक

10.1 सशस्त्र व नागरिक पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन

क्रम सं०	पद	वेतनमान	ग्रेड पे	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता	वर्दी भत्ता
1	पुलिस उपमहानिरीक्षक	₹९ 37400.67000	8900	.	150	3200 7 वर्ष पर
2	अपर पुलिस अधीक्षक	₹९ 15600.39100	7600	400	120	3200 7 वर्ष पर
3	पुलिस उपाधीक्षक	₹९ 15600.39100	5400	400	120	3200 7 वर्ष पर
4	निरीक्षक	₹९ 9300.34800	4600	550	30	1500 5 वर्ष पर
5	उप निरीक्षक	₹९ 9300.34800	4200	550	30	1500 5 वर्ष पर
6	मुख्य आरक्षी	₹९ 5200.20200	2000	700	30	1200 प्रति वर्ष
7	आरक्षी	₹९ 5200.20200	1900	700	30	1200 प्रति वर्ष
8	अनुचर	₹९ 4440.7400	1300	700	30	1000 प्रति वर्ष

10.2 रेडिया शाखा के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन

क्रम सं०	पद	वेतनमान	ग्रेड पे	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता	वर्दी भत्ता
1	सहायक रेडियो अधिकारी	₹९ 15600.39100	7600	400	120	3200 7 वर्ष पर
2	रेडियो निरीक्षक	₹९ 9300.34800	4600	550	30	1500 5 वर्ष पर
3	रेडियो अनुरक्षण अधिकारी / रेडी केन्द्र अधिकारी	₹९ 9300.34800	4200	550	30	1500 5 वर्ष पर
4	हेड आपरेटर	₹९ 9300.34800	4200	550	30	1200 प्रति वर्ष
5	सहायक परिचालक	₹९ 9300.34800	4200	550	30	1200 प्रति वर्ष
6	अनुचर / सन्देशवाहक	₹९ 4440.7400	1300	700	30	1000 प्रति वर्ष

10.3 फायर सर्विस के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन

क्रम सं०	पद	वेतनमान	ग्रेड पे	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता	वर्दी भत्ता
1	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	₹९ 15600.39100	7600	400	120	3200 7 वर्ष पर
2	अग्नि शमन अधिकारी	₹९ 9300.34800	4600	550	30	1500 5 वर्ष पर
3	द्वितीय अग्निशमन अधिकारी	₹९ 9300.34800	4200	550	30	1500 5 वर्ष पर
4	लीडिंग अग्निशमन अधिकारी	₹९ 5200.20200	2000	700	30	1200 प्रति वर्ष
5	फायरमैन	₹९ 9300.34800	1900	700	30	1200 प्रति वर्ष
6	अनुचर	₹९ 4440.7400	1300	700	30	1000 प्रति वर्ष

10.4 लिपिक वर्गीय अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन / पारितोषिक

क्रम सं०	पद	वेतनमान	ग्रेड पे	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता	वर्दी भत्ता
1	एस0आई० (एम०)	₹९३००.३४८००	४२००	५५०	३०	१५०० ५ वर्ष पर
2	ए०एस०आई०(एम)	₹५२००.२०२००	२४००	७००	३०	१२०० प्रति वर्ष
3	उर्दू अनुवादक कनिष्ठ लिपिक	₹९३००.३४८००	१९००	कृ	कृ	

10.5 परिवहन शाखा के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक

क्रम सं०	पद	वेतनमान	ग्रेड पे	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता	वर्दी भत्ता
1	उ०नि० परिवहन शाखा	₹९३००.३४८००	४२००	५५०	३०	१५०० ५ वर्ष पर
2	मुख्य आरक्षी	५२००.२०२००	२०००	७००	३०	१२०० प्रति वर्ष
3	आरक्षी चालक	५२००.२०२००	१९००	७००	३०	१२०० प्रति वर्ष
4	चतुर्थ श्रेणी	₹४४४०.७४००	१३००	७००	३०	१००० प्रति वर्ष

10.6 स्थानीय अभिसूचना इकाई के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक

क्रम सं०	पद	वेतनमान	ग्रेड पे	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता	वर्दी भत्ता
3	पुलिस उपाधीक्षक अभिसूचना	₹१५६००.३९१००	५४००	४००		३२०० ७ वर्ष पर
4	निरीक्षक अभिसूचना	₹९३००.३४८००	४६००	५५०		१५०० ५ वर्ष पर
5	उप निरीक्षक अभिसूचना	₹९३००.३४८००	४२००	५५०		१५०० ५ वर्ष पर
6	मुख्य आरक्षी अभिसूचना	५२००.२०२००	२०००	७००		१२०० प्रति वर्ष
7	आरक्षी अभिसूचना	५२००.२०२००	१९००	७००		१२०० प्रति वर्ष
8	अनुचर	₹४४४०.७४००	१३००	७००		१००० प्रति वर्ष

11. बजट विवरण वित्तीय वर्ष 2009—2010 दिनांक 31.03.2009 तक

लक्ट छज्जै प्र कवरै प्र ठन्कलम्च मच्छक्जन्तु तम्भज . थक जभ डल्हज्ज छ ड र.2010

जल्द	लक्शण	ठन्कलम्च	मच्छक्जन्तु ,कर्तप्पळ	चल्लण मच्छक्वन ,न्या	तम्ड छप्पळ	तम्ड छप्पळ
ब्वर	स्सज्जम्ब	डल्हज्जम्ब	डल्हज्जम्ब	डल्हज्जम्ब	डल्हज्जम्ब	ठन्कलम्च

लतदज . ;026द्व भउम कम्यतजउमदज ;च्सपबमद्व

कवर → ;2551द्व कल्हैच्छव्यग्याल्ह . न्याए |स्स|ठ |व

डरवत भंक ;2052द्व म्व्यज|त्प|ज . लम्हस्त |रैम्टर्है

नइ.डरवत ;00द्व

डपदवत भंक ;800द्व .

नइ भंक . 03 कमजंपसमक भंक . 00

छ ट	01	179546866ए00	2454396ए00	178449940ए00	1096926ए00	0ए61
अ ज्ज स		179546866ए00	2454396ए00	178449940ए00	1096926ए00	0ए61

डरवत भंक ;205द्व च्सर्ह

नइ डरवत ;00द्व

डपदवत भंक ;001द्व कस्म्भज्जठ |छव |कडफ्हैप्ज|ज्ज्ज

नइ भंक . 03 कमजंपसमक भंक . 00

छ ट	01	99000ए00	0ए00	0ए00	99000ए00	100ए00
छ ट	03	103800ए00	0ए00	0ए00	108800ए00	100ए00
क्व प						
छ ट	09	105000ए00	0ए00	0ए00	105000ए00	100ए00
म्सम्बज्जतपबपजल						
म्साच्य						
छ ट	15	106000ए00	43ए00	10600ए00	0ए00	0ए00
अ ज्ज स छ ट		179965666ए00	2454439ए00	178555940ए00	1409726ए00	0ए8

डरवत भंक ;2055द्व च्सर्ह

इ . डरवत ;00द्व

डपदवत भंक ;003द्व म्व्यज|ज्ज्ज |छव ज्ज|छप्पळ

इ भंक . 04 कमजंपसमक भंक . 00

छ ट	01	7042526ए00	531619ए00	6897873ए00	144653ए00	2ए05
छ ट	03	1569650ए00	278549ए00	1714303ए00	.144653ए00	.9ए22
क्व प						
छ ट	04	35000ए00	20087ए00	34979ए00	21ए00	0ए06
ज्ज प						
छ ट	06	883208ए00	0ए00	704827ए00	178381ए00	20ए20
व्यीमत ससवूद्वबम						
छ ट	08	1000ए00	1000ए00	1000ए00	0ए00	0ए00
वीपिबम म्साच्यमदेमे						
छ ट	11	2000ए00	2000ए00	2000ए00	0ए00	0ए00
‘जंपवदंतल — थ्वत्ते						
छ ट	12	2000ए00	1995ए00	1995ए00	5ए00	0ए25
वीपिबम थ्वत्ते — मुन्प						
छ ट	42	1500ए00	1500ए00	1500ए00	0ए00	0ए00
व्यीमत म्साच्यमदेमे						
छ ट	51	24800ए00	0ए00	24800ए00	0ए00	0ए00

ਟ |ਕੁ ਟਲ|ਲ।

ਜ਼ਿ.ਸ. ਛਟ	189527350 ^ੴ 00	3291189 ^ੴ 00	187939217 ^ੴ 00	1588133 ^ੴ 00	0 ^ੴ 84
ਜ਼ਿ.ਛੁੱਪੈ ਕਵਰੈਂਫ ਟਨਕਲਮ ਮਚਹੁਰਾਤ ਲਾਬੋਨ . ਥੜ ਜਮ ਡਲਾਜ਼ ਇ ਦ. 2010					
ਜਲਦੀ	ਲਾਬੋਨ	ਮਚਹੁਰਾਤ	ਲਾਬੋਨ	ਲਾਬੋਨ	ਲਾਬੋਨ
ਕਾਰ	ਲਾਬੋਨ	ਲਾਬੋਨ	ਲਾਬੋਨ	ਲਾਬੋਨ	ਲਾਬੋਨ
ਛ ਟ ਚੱਲ	01	6057080 ^ੴ 00	568974 ^ੴ 00	6056990 ^ੴ 00	90 ^ੴ 00
ਛ ਟ ਕਪ ਾ	03	1413204 ^ੴ 00	137376 ^ੴ 00	1413204 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00
ਛ ਟ ਜਪ ਾ	04	146000 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00	145733 ^ੴ 00	267 ^ੴ 00
ਛ ਟ ਜਤਾਂਦੇਮਿਤ ਜਪ ਾ	05	8800000	0 ^ੴ 00	6770 ^ੴ 00	2030 ^ੴ 00
ਛ ਟ ਕੀਮਿਤ ਸਸਵੂਦਬਮੇ	06	1458011 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00	1458011 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00
ਛ ਟ ਵੀਪਿਬਮ ਮਾਚਮਦੇਮੇ	07	2500 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00	2500 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00
ਛ ਟ “ਨੇਚਮਦੇਮ” ਮਤਅਪਬਮੇ ਮਾਚ	23	1600 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00	8000 ^ੴ 00	8000 ^ੴ 00
ਛ ਟ ਟ ਕੁ ਟਲ ਲ।	51	4500 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00	4500 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00
“ਕ ਜ਼ਿ.ਸ. ਛ ਟ	198633445 ^ੴ 00	3997539 ^ੴ 00	197034925 ^ੴ 00	1598520 ^ੴ 00	0 ^ੴ 80

ਡਰਵਤ ਭਮਕ ,2055ਵੰ ਕੱਸਕ

“ਨਿ.ਡਰਵਤ ,00ਵੰ

ਡਪਦਵਤ ਭਮਕ ,108ਵੰ ਭ |ਕਫਨ |ਤਜ਼ੈ ਕੱਸਕ

“ਨਿ ਭਮਕ . 03 ਕਮਯਾਪਸਮਕ ਭਮਕ . 00

ਛ ਟ ਚੱਲ	15	546000 ^ੴ 00	108 ^ੴ 00	546000 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00
“ਕ ਜ਼ਿ.ਸ. ਛ ਟ	198633445 ^ੴ 00	3997539 ^ੴ 00	197034925 ^ੴ 00	1598520 ^ੴ 00	0 ^ੴ 80	
ਛ ਟ ਚੱਲ	01	641967000 ^ੴ 00	50420032 ^ੴ 00	640256049 ^ੴ 00	1710951 ^ੴ 00	0 ^ੴ 27
ਛ ਟ ਹਮੇ	02	169000 ^ੴ 00	200 ^ੴ 00	169000 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00
ਛ ਟ ਕਪ ਾ	03	153614000 ^ੴ 00	21855966 ^ੴ 00	1585007129 ^ੴ 00	.1393129 ^ੴ 00	.0 ^ੴ 91
ਛ ਟ ਜਪ ਾ	04	27080700 ^ੴ 00	65966 ^ੴ 00	27080697 ^ੴ 00	3 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00
ਛ ਟ ਜਤਾਂਦੇਮਿਤ ਜਪ ਾ	05	1000000 ^ੴ 00	125651 ^ੴ 00	1000000 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00
ਛ ਟ ਕੀਮਿਤ ਸਸਵੂਦਬਮੇ	06	71525500 ^ੴ 00	679677 ^ੴ 00	71843049 ^ੴ 00	.317549 ^ੴ 00	.0 ^ੴ 44
ਛ ਟ ਵੀਪਿਬਮ ਮਾਚਮਦੇਮੇ	08	5007070 ^ੴ 00	698930 ^ੴ 00	5007070 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00
ਛ ਟ ਸਸਮਬਜਤਪਬਪਜਲ	09	11409364 ^ੴ 00	4216283 ^ੴ 00	11409364 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00
ਛ ਟ ਜਮਤ ਜ਼ਗੱਜਮਤ ਮਾਚਪ	10	11273460 ^ੴ 00	919354 ^ੴ 00	1127346 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00
ਛ ਟ ਜ਼ਾਜਪਵਦਤਲ – ਥਵਤਤੇ	11	2672971 ^ੴ 00	9855 ^ੴ 00	2625858 ^ੴ 00	47113 ^ੴ 00	1 ^ੴ 76

ਲੱਕ ਛੇ ਪੈ ਕਰੋਪੈ ਠਨਕਲਮੁ ਮਚਲਕਪਜ਼ਤ ਤੱਤਾ . ਥੰ ਜਾਂ ਡਲੁਜਾ ਲੈ ਦ ਦ 2010

ਲੱਕ	ਲੱਸ਼ਪ	ਠਨਕਲਮੁ	ਮਚਲਕਪਜ਼ਤ ,ਕੱਟਲ	ਚਲਣ ਮਚਲਕਪ ,ਨਵ	ਲੱਕ ਛੇਫਲ	ਲੱਕ ਛੇਫਲ
	ਕਲ	ਸੁਲਜ਼ਕ	ਡਲੁਜਾਛੁ	ਡਲੁਜਾਛੁ	ਠਨਕਲਮੁ	
ਛ ਟ	01	6057080400	568974400	6056990400	90400	0400
ਛ ਟ	03	1413204400	137376400	1413204400	0400	0400
ਛ ਟ	04	146000400	0400	145733400	267400	0418
ਛ ਟ	05	8800400	0400	6770400	2030400	23407
ਛ ਟ	06	1458011400	0400	1458011400	0400	0400
ਭੀਮਤ ਸਸਵੂਦਬਮੇ						
ਛ ਟ	08	2500400	0400	2500400	0400	0400
ਵੱਧਿਬਮ ਮਾਚਮਦੇਮੇ						
ਛ ਟ	23	16000400	0400	8000400	8000400	50400
“ਨੇਚਮਦੇਮ”ਮਤਅਪਬਮੇ ਮਾਚ						
ਛ ਟ	51	4500400	0400	0400	0400	0400
ਟ ਕਲ ਲ ਲ						
“ਅ ਜਾਂ ਸ ਛ ਟ		19863345400	3997539400	197034925400	1598520400	0400

ਡੁਰਵਤ ਭੰਕ ,2055ਵੰ ਚਲਣ

“ਨਿ.ਡੁਰਵਤ ;00ਵੰ

ਡਪਦਵਤ ਭੰਕ ,108ਵੰ “ਜ |ਜ ਮ |ਕਫਨ |ਤਜਮੈ ਚਲਣ

“ਨਿ ਭੰਕ . 03 ਕਮਜ਼ਾਪਸਮਕ ਭੰਕ . 00

ਛ ਟ	15	546000400	108400	546000400	0400	0400
ਕਲਬੀਮ ਵਿਚਯਤਵਸ						
“ਅ ਜਾਂ ਸ ਛ ਟ		199179445400	3997649400	197580925400	1598520400	0400

ਡੁਰਵਤ ਭੰਕ ,2055ਵੰ ਚਲਣ

“ਨਿ.ਡੁਰਵਤ ;00ਵੰ

ਡਪਦਵਤ ਭੰਕ ,108ਵੰ ਕੈਪਟਲ ਚਲਣ

“ਨਿ ਭੰਕ . 03 ਕਮਜ਼ਾਪਸਮਕ ਭੰਕ . 00

ਛ ਟ	01	641967000400	50420032400	640256049400	1710951400	0427
ਛ ਟ	02	169000400	200400	169000400	0400	0400
ਹਮੇ						
ਛ ਟ	03	153614000400	21855966400	1555007129400	.1393129400	.0491
ਕਲ ਉ						
ਛ ਟ	04	27080700400	65966400	27080697400	3400	0400
ਜਾਂ ਉ						
ਛ ਟ	05	1000000400	125651400	1000000400	0400	0400
ਜਤਾਂਦੇਮਿਤ ਜਾਂ ਉ						
ਛ ਟ	06	71525500400	679677400	71843049400	.317549400	.0444
ਭੀਮਤ ਸਸਵੂਦਬਮੇ						
ਛ ਟ	08	5007070400	698930400	5007070400	0400	0400
ਵੱਧਿਬਮ ਮਾਚਮਦੇਮੇ						
ਛ ਟ	09	11409364400	4216283400	11409364400	0400	0400
ਸਸਮਬਜਤਪਬਪਯਲ ਮਾਚਣ						
ਛ ਟ	10	11273460400	919354400	1127346400	0400	0400
ਜਮਤ ਜਾਂਝਯਮਤ ਮਾਚਣ						
ਛ ਟ	11	2672971400	9855400	2625858400	47113400	1476
“ਜਾਂਜਪਵਦਨਲ — ਥਵਤਾਏ						

ઝાડું	દાખલાની રીત	અનુભૂતિ	માનવબળ	અનુભૂતિ	અનુભૂતિ	અનુભૂતિ	અનુભૂતિ
છ ટ	51	1500૦૦૦	0૦૦૦	679૦૦૦	821૦૦૦	54૮૭૩	
ટ ત્ક્રિયાલ લ							
ઝ જજાસ છ ટ	177677943૦૦૦	96443709૦૦૦	1175681949૦૦૦	1995994૦૦૦	0૦૧૭		
દરવત ભંક ;2055દ્વારા ચ્યાન્સન							
નિઃદરવત ;00દ્વારા							
ડપદવત ભંક ;109દ્વારા ટપ્સસ લફ ચ્યાન્સન							
નિઃ ભંક . 05 કમાંપસમક ભંક . 00							
છ ટ	01	27316313૦૦૦	2368863૦૦૦	2731631૦૦૦	૦૦૦૦	૦૦૦૦	
ચલ							
છ ટ	03	6707220૦૦૦	1115964૦૦૦	6707220૦૦૦	૦૦૦૦	૦૦૦૦	
વણ એ							
છ ટ	04	66500૦૦૦	૦૦૦૦	66320૦૦૦	180૦૦૦	૦૮૨૭	
જણ એ							
છ ટ	05	5900૦૦૦	૦૦૦૦	4669૦૦૦	1231૦૦૦	20૮૮૬	
જંડેમિત જણ એ							
છ ટ	06	3096650૦૦૦	25520૦૦૦	3074653૦૦૦	21977૦૦૦	૦૮૭૧	
વીમત સસ્વદબમે							
છ ટ	15	19108000૦૦૦	2828952૦૦૦	19107972૦૦૦	28૦૦૦	૦૦૦૦	
ચન્તર્બીમ ચાજતવસ							
છ ટ	51	96900૦૦૦	૦૦૦૦	96000૦૦૦	900૦૦૦	૦૮૯૩	
ટ ત્ક્રિયાલ લ એ							
ઝ જજાસ છ ટ	1234075426૦૦૦	102783008૦૦૦	1232055096૦૦૦	2020330૦૦૦	૦૦૧૬		
દરવત ભંક ;2055દ્વારા ચ્યાન્સન							
નિઃદરવત ;00દ્વારા							
ડપદવત ભંક ;110દ્વારા ટપ્સસ લફ ચ્યાન્સન							
નિઃ ભંક . 03 કમાંપસમક ભંક . 00							
છ ટ	01	11051885૦૦૦	૦૦૦૦	10780000૦૦૦	271885૦૦૦	૨૮૪૬	
ચલ							
છ ટ	42	20530૦૦૦	૦૦૦૦	20524૦૦૦	૬૦૦૦	૦૦૦૩	
વીમત માચમદેમે							
ઝ જજાસ છ ટ	1245147841૦૦૦	102783008૦૦૦	1242855620૦૦૦	2292221૦૦૦	૦૦૧૮		
દરવત ભંક ;2055દ્વારા ચ્યાન્સન							
નિઃદરવત ;00દ્વારા							
ડપદવત ભંક ;110દ્વારા ટપ્સસ લફ ચ્યાન્સન							
નિઃ ભંક . 03 કમાંપસમક ભંક . 00							
છ ટ	42	454923૦૦૦	136702૦૦૦	454923૦૦૦	૦૦૦૦	૦૦૦૦	
વીમત માચમદેમે							
ઝ જજાસ છ ટ	1245602764૦૦૦	102919710૦૦૦	1243310543૦૦૦	2292221૦૦૦	૦૦૧૮		
દરવત ભંક ;2055દ્વારા ચ્યાન્સન							
નિઃદરવત ;00દ્વારા							
ડપદવત ભંક ;113દ્વારા મણિત છ ચ્યાન્સન ચ્યાન્સન							
નિઃ ભંક . 04 કમાંપસમક ભંક . 00							

લાટ છેર્પે વર્કર્પે ઠન્કલમંડ મચ્છવજીન્સ ત્યદ્વારા . થક જમ્બ ડલ્ફિઝ વે ડા. ૨૦૧૦

જલ્દી	લાટશ્રેણ	ઠન્કલમંડ	મચ્છવજીન્સ ,કાર્પોરેશન	ચ્લેણ મચ્છવજીન્સ	ત્યદ્વારા	ત્યદ્વારા	ત્યદ્વારા
	લાટ	લાટશ્રેણ	ડલ્ફિઝ	ડલ્ફિઝ	ડલ્ફિઝ	ડલ્ફિઝ	ડલ્ફિઝ
છ ટ	01	2372010ણી૦૦	143323ણી૦૦	2370806ણી૦૦	1204ણી૦૦	0ણી૦૫	
છ ટ	03	596922ણી૦૦	69257ણી૦૦	596922ણી૦૦	0ણી૦૦	0ણી૦૦	
છ ટ	06	165170ણી૦૦	1622ણી૦૦	162522ણી૦૦	2648ણી૦૦	1ણી૬૦	
છ ટ	08	3000ણી૦૦	3000ણી૦૦	3000ણી૦૦	0ણી૦૦	0ણી૦૦	
	વ્યીમત સસસુદ્દેષમે						
છ ટ	11	600ણી૦૦	600ણી૦૦	600ણી૦૦	0ણી૦૦	0ણી૦૦	
	‘જંજપવદતલ – થતારે						
છ ટ	12	570ણી૦૦	570ણી૦૦	570ણી૦૦	0ણી૦૦	0ણી૦૦	
	વિપિબમ થનતાર – મુનપણ						
	વ્યીમત સાચમદેષે						
“ભ જ્ઞાસ છ ટ	1248741036ણી૦૦	103138082ણી૦૦	1246444963ણી૦૦	2296073ણી૦૦	0ણી૧૮		

દરવત ભંક ,2055દ્વારા ચ્લેણ

“નિઃદરવત ,00દ્વા

દપદવત ભંક ,113દ્વારા ચ્લેણ ચ્લેણ ચ્લેણ

“નિ ભંક . 04 કમાંપસમક ભંક . 02

વળ ણ

“ભ જ્ઞાસ છ ટ	1248741036ણી૦૦	1031308082ણી૦૦	1246444963ણી૦૦	2296073ણી૦૦	0ણી૧૮
--------------	----------------	----------------	----------------	-------------	-------

દરવત ભંક ,2055દ્વારા ચ્લેણ

“નિઃદરવત ,00દ્વા

દપદવત ભંક ,113દ્વારા ચ્લેણ ચ્લેણ ચ્લેણ

“નિ ભંક . 05 કમાંપસમક ભંક . 00

છ ટ	42	132000ણી૦૦	118530ણી૦૦	132000ણી૦૦	0ણી૦૦	0ણી૦૦
-----	----	------------	------------	------------	-------	-------

“ભ જ્ઞાસ છ ટ	1248873036ણી૦૦	103256612ણી૦૦	1246576963ણી૦૦	2296073ણી૦૦	0ણી૧૮
--------------	----------------	---------------	----------------	-------------	-------

દરવત ભંક ,2055દ્વારા ચ્લેણ

“નિઃદરવત ,00દ્વા

દપદવત ભંક ,113દ્વારા ચ્લેણ ચ્લેણ ચ્લેણ

“નિ ભંક . 06 કમાંપસમક ભંક . 00

છ ટ	20	19258ણી૦૦	19258ણી૦૦	19258ણી૦૦	0ણી૦૦	0ણી૦૦
-----	----	-----------	-----------	-----------	-------	-------

“ભ જ્ઞાસ છ ટ	1248892294ણી૦૦	103275870ણી૦૦	1246596221ણી૦૦	2296073ણી૦૦	0ણી૧૮
--------------	----------------	---------------	----------------	-------------	-------

દરવત ભંક ,2055દ્વારા ચ્લેણ

“નિઃદરવત ,00દ્વા

દપદવત ભંક ,113દ્વારા ચ્લેણ ચ્લેણ ચ્લેણ

“નિ ભંક . 07 કમાંપસમક ભંક . 00

ક્રાંતિક કવરોફ રન્કલમ્બ મચ્છવજીત તસ્વિદ . થક જા ડાલું છે ડા.2010

જલ્દી	લદશ્રી	રન્કલમ્બ	મચ્છવજીત, કન્ટાક્ટ	ચલ્લણ મચ્છવજીત	તસ્વિદ પ્રાપ્તિ	તસ્વિદ એષ્ટિ
ખર્ચ	સ્ટેજન્યુ	ડાલું	ડાલું	ડાલું	ટાંકી	ટાંકી
છ ટ 42 વ્યોમિત માચમદેસે		121673ાંદી	30799ાંદી	121661ાંદી	12ાંદી	0ાંદી
અંગ્રેજિસ છટ 1249013967ાંદી			103306669ાંદી	1246717882ાંદી	2296085ાંદી	0ાંદી

દરવત ભંક ,2055દ્વારા ચ્યાન્સ
નિઃદરવત ,00દ્વારા
દપદવત ભંક ,113દ્વારા ત્રણ ચ્યાન્સ ચૈલ્ચાસ
નિઃ ભંક . 09 વમજાંપસમક ભંક . 00
છ ટ 42 વ્યોમિત માચમદેસે
અંગ્રેજિસ છ ટ 1249237388ાંદી
103358996ાંદી
1246941303ાંદી
2296085ાંદી
0ાંદી

દરવત ભંક ,2055દ્વારા ચ્યાન્સ
નિઃદરવત ,00દ્વારા
દપદવત ભંક ,113દ્વારા ત્રણ ચ્યાન્સ ચૈલ્ચાસ
નિઃ ભંક . 03 વમજાંપસમક ભંક . 00
છ ટ 01 ચલ
1645741ાંદી
39606ાંદી
1638784ાંદી
6957ાંદી
0ાંદી
છ ટ 03 કળ પણ
375020ાંદી
0ાંદી
375020ાંદી
0ાંદી
છ ટ 06 વ્યોમિત સસવૂદબમે
195280ાંદી
0ાંદી
195280ાંદી
0ાંદી
છ ટ 29 દનોંિત
18000ાંદી
18000ાંદી
0ાંદી
0ાંદી
છ ટ 12 વ્યોમિત અનતર - મુનપણ
99400ાંદી
98200ાંદી
98200ાંદી
1200ાંદી
1ાંદી
અંગ્રેજિસ છ ટ 1251570829ાંદી
103514802ાંદી
1249266587ાંદી
2304242ાંદી
0ાંદી

દરવત ભંક ,2055દ્વારા ચ્યાન્સ
નિઃદરવત ,00દ્વારા
દપદવત ભંક ,800દ્વારા
નિઃ ભંક . 03 વમજાંપસમક ભંક . 00
છ ટ 01 ચલ
2733502ાંદી
251594ાંદી
2733502ાંદી
0ાંદી
છ ટ 03 કળ પણ
631572ાંદી
56169ાંદી
631572ાંદી
0ાંદી
છ ટ 04 જળ પણ
8800ાંદી
0ાંદી
8793ાંદી
7ાંદી
0ાંદી
છ ટ 06 વ્યોમિત સસવૂદબમે
708599ાંદી
749ાંદી
708599ાંદી
0ાંદી
છ ટ 08 વ્યોમિત માચમદેસે
3800ાંદી
0ાંદી
3800ાંદી
0ાંદી
મસમબજાંપબપજલ માચણ
છ ટ 11 જંજપવદંતલ - થયતરુ
800ાંદી
0ાંદી
800ાંદી
0ાંદી

ક્રતા છેંચે કવરોફ રન્કલમ્બ મચ્છવજીત તસ્વિચ . થક જા ડલ્યુઝ છ ડ દ 2010

જલ્દ	લદ્ધિપ્ર	રન્કલમ્બ	મચ્છવજીત, કન્ટાલ	ચલ્લણ મચ્છવ, ન્યા	તસ્ડ છેંચેલ	તસ્ડ છેંચેલ
	લખ	સ્ટ્રેજીય	ડલ્યુઝન્દુ	ડલ્યુઝન્દુ	ટન્કલમ્બ	
છ ટ	12	900ણું	0ણું	900ણું	0ણું	0ણું
	વીપીબમત વિત - મુનપણ					
છ ટ	13	37400ણું	0ણું	37400ણું	0ણું	0ણું
	જમસમચીવદમ માચમદેમે					
છ ટ	42	500ણું	0ણું	500ણું	0ણું	0ણું
	વીમત માચમદેમે					
છ ટ	51	1800ણું	0ણું	0ણું	1800ણું	100ણું
	ટંતકપ ટલંલં					
“થ જ્જાસ છ ટ	1255698502ણું	103823314ણું	1253392453ણું	2306049ણું	0ણું	0ણું

ડરવત ભંક ,2055દ્વારાં ચ્યાન્સ

“નિઃદરવત ;00દ્વા
ડપદવત ભંક ,800દ્વા .
“નિ ભંક . 05 કમજાંપસમક ભંક . 00
છ ટ 04 3029319ણું 6835ણું 3029319ણું 0ણું 0ણું
જણ પ
છ ટ 08 29745ણું 30019ણું 297445ણું 5ણું 0ણું
વીપીબમ માચમદેમે
છ ટ 11 364900ણું 3222ણું 364895ણું 5ણું 0ણું
“જંજપવદંતલ - થયતારે
છ ટ 13 179242ણું 898ણું 179240ણું 2ણું 0ણું
જમસમચીવદમ માચમદેમે
છ ટ 15 5672000ણું 21511ણું 5665345ણું 6655ણું 0ણું
ચન્તબીમ વિચમજતવસ
છ ટ 42 5511089ણું 0ણું 5510945ણું 144ણું 0ણું
વીમત માચમદેમે
“થ જ્જાસ છ ટ 127072502ણું 103893799ણું 1268439642ણું

ડરવત ભંક ,2070દ્વારાં વીમત કાઉપદપેજતંજપઅમ્મતઅપબમ

“નિઃદરવત ;00દ્વા
ડપદવત ભંક ,108દ્વારાં થત્થ ચત્રજ્ઞાન્દુ છેં બ્લાઝન્સ
“નિ ભંક . 03 કમજાંપસમક ભંક . 00
છ ટ 01 26835301ણું 1896827ણું 26518255ણું 317046ણું 1ણું
ચંલ
છ ટ 03 6462640ણું 1009746ણું 6779686ણું .317046ણું .4ણું
કણ પ
છ ટ 04 250000ણું 150832ણું 250000ણું 0ણું 0ણું
જણ પ
છ ટ 05 26954ણું 0ણું 26681ણું 273ણું 1ણું
જતંદેમિત જણ પ
છ ટ 06 2918887ણું 7020ણું 2917322ણું 1565ણું 0ણું
વીમત એસવૂંડબમે
છ ટ 08 20000ણું 10000ણું 20000ણું 0ણું 0ણું
વીપીબમ માચમદેમે
છ ટ 09 400000ણું 0ણું 400000ણું 0ણું 0ણું
મ્સમબજતપબપજલ માચણ
છ ટ 10 10000ણું 10000ણું 10000ણું 0ણું 0ણું
જમત જંગ્ઝેજમત માચણ
છ ટ 11 17000ણું 10000ણું 17000ણું 0ણું 0ણું
“જંજપવદંતલ - વિતારે

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਨਕਲਮਜ਼ ਮਚਛਕਪਜ਼ਤ ਤੱਤਿਆ . ਥਾਂ ਜਾਂ ਦਲੋਂ ਇਹ ਤੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜਲਦੀ	ਲਾਗੂ ਕਰਾਵਾਂ	ਰਨਕਲਮਜ਼ ਸੁਖਾਵਾਂ	ਮਚਛਕਪਜ਼ਤ , ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਲੋਂ	ਕਲਾਣ ਮਚਛਕਪਜ਼ਤ , ਨਵਾਂ	ਤੱਤ ਪਾਇਲ	ਤੱਤ ਪਾਇਲ
ਛ ਟ	ਕ੍ਰਮ		ਦਲੋਂ	ਦਲੋਂ	ਦਲੋਂ	ਦਲੋਂ
ਛ ਟ	01	4000000	4000000	4000000	0000	0000
	ਵੱਧਿਬਾਸ ਵਿਨਤੇ - ਸੁਧਾਰ					
ਛ ਟ	13	3000000	27723000	29991000	9000	003
	ਜਮਸਮਾਵਦਮ ਸਾਚਮਦੇਸੇ					
ਛ ਟ	15	3900000	89994000	389991000	9000	000
	ਚਨਤਬੀਮ ਵੰਚਮਜ਼ਤਵਸ					
ਛ ਟ	26	8949000	14490000	89409000	8100	009
	ਡੰਬੀਪਦਮਤੇ - ਜਵਸੇ					
ਛ ਟ	42	6800000	6800000	6800000	0000	000
	ਭੀਮਤ ਸਾਚਮਦੇਸੇ					
ਛ ਟ	44	4500000	0000	41803000	3197000	710
	ਜਤਾਪਦਪਦਹ ਸਾਚਮਦਕਪਜ਼ਨਤਮ					
ਛ ਟ	47	4000000	4000000	4000000	0000	000
	ਬਾਉਚਨਜਮਤੇ ਜਾਂ ਜਪਵਦਮਤਲ					
ਛ ਟ	51	12960000	55200000	129600000	0000	000
	ਟੱਤਕਪ ਟਲਾਂ					
ਅ ਜਾਂ ਸ ਛ ਟ	130839217400	10719043100	13060741800	2317994000	0018	

ਡਰਵਤ ਭੰਕ ;2255ਫੁੰਕਾਈ ਸੰਤੁਪਲ | ਛਕੋ ਸੁਝ | ਤ

“ਨਿ.ਡਰਵਤ ;60ਫੁੰਕਾਈ ਸੰਤੁਪਲ | ਛਕੋ ਸੁਝ | ਤ ਚਲਣ | ਡਾਡੈ ਡਪਦਵਤ ਭੰਕ ;200ਫੁੰ

“ਨਿ ਭੰਕ . 10 ਕਮਜ਼ਾਪਸਮਕ ਭੰਕ . 00

ਛ ਟ 42 100000000
ਭੀਮਤ ਸਾਚਮਦੇਸੇ

“ਅ ਜਾਂ ਸ ਛ ਟ 130349217400 10719043100 130617413000 2317994000 0018

ਡਰਵਤ ਭੰਕ ;2255ਫੁੰਕਾਈ ਸੰਤੁਪਲ | ਛਕੋ ਸੁਝ | ਤ

“ਨਿ.ਡਰਵਤ ;60ਫੁੰਕਾਈ ਸੰਤੁਪਲ | ਛਕੋ ਸੁਝ | ਤ ਚਲਣ | ਡਾਡੈ ਡਪਦਵਤ ਭੰਕ ;800ਫੁੰ

“ਨਿ ਭੰਕ . 04 ਕਮਜ਼ਾਪਸਮਕ ਭੰਕ . 00

ਛ ਟ 42 1723000
ਭੀਮਤ ਸਾਚਮਦੇਸੇ

“ਅ ਜਾਂ ਸ ਛ ਟ 130850940400 10719573100 130617943000 2329924000 0018

ਡਰਵਤ ਭੰਕ ;4055ਫੁੰਕਾਈ ਸੰਤੁਪਲ | ਛਕੋ ਸੁਝ | ਤ ਚਲਣ

“ਨਿ.ਡਰਵਤ ;00ਫੁੰ

ਡਪਦਵਤ ਭੰਕ ;00ਫੁੰ “ਜਾਂ ਚਲਣ

“ਨਿ ਭੰਕ . 03 ਕਮਜ਼ਾਪਸਮਕ ਭੰਕ . 00

ਛ ਟ 25 400000000
ਚੌਥੀਨ ਡਪਤਾਂ

“ਅ ਜਾਂ ਸ ਛ ਟ 130890940400 10724543100 130657579000 233614000

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਨਕਲਮਜ਼ ਮਚਛਕਪਜ਼ਤ ਤੱਤਿਆ . ਥਾਂ ਜਾਂ ਦਲੋਂ ਇਹ ਤੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਲੱਤ ਛਜ੍ਹ ਪੈ ਕਰੋਪੈ ਠਨਕਲਮ ਮਚਲਕਪਤਾ ਤੰਤਰ . ਥੜ ਯਮ ਡਲਹਜ਼ ਵੇਂ ਦੁ.2010					
ਜਲਦੀ	ਲਕਿਆ	ਠਨਕਲਮ ਸੱਸਾਜ਼ਦ	ਮਚਲਕਪਤਾ ,ਕੱਟਲਾ	ਕੱਲਣ ਮਚਲਕਣ ;ਨਵੀ	ਤੁਲ ਪਾਲਾ
ਕਲ		ਡਲਹਜ਼ਮੁੰਦ੍ਰ	ਡਲਹਜ਼ਮੁੰਦ੍ਰ	ਡਲਹਜ਼ਮੁੰਦ੍ਰ	ਠਨਕਲਮ
ਲੱਤ ਯੰਸ਼ ਦੁ ਟ	130890940400	10724543100	130657579000	233361400	0018

ਲੱਤ ਛਜ੍ਹ ਪੈ ਕਰੋਪੈ ਠਨਕਲਮ ਮਚਲਕਪਤਾ ਤੰਤਰ . ਥੜ ਯਮ ਡਲਹਜ਼ ਵੇਂ ਦੁ.2010					
ਜਲਦੀ	ਲਕਿਆ	ਠਨਕਲਮ ਸੱਸਾਜ਼ਦ	ਮਚਲਕਪਤਾ ,ਕੱਟਲਾ	ਕੱਲਣ ਮਚਲਕਣ ;ਨਵੀ	ਤੁਲ ਪਾਲਾ
ਕਲ		ਡਲਹਜ਼ਮੁੰਦ੍ਰ	ਡਲਹਜ਼ਮੁੰਦ੍ਰ	ਡਲਹਜ਼ਮੁੰਦ੍ਰ	ਠਨਕਲਮ
ਦਜ . ,041ਦੁ ਸਸਮਬਜ਼ਪਵਦ ਮਹਮਤਜ਼ਤਮਦਜ					
□ ;2551ਦੁ ਕਟਾਈਅਧਕਾਪਲਾਂ . ਨਾਚ ਸੱਸੀਇੰਕ					
ਡਰਵਤ ਭਮਕ ;2015ਦੁ ਸਸਮਬਜ਼ਪਵਦੇ					
ਨਵੀ.ਡਰਵਤ ;00ਦੁ					
ਡਪਦਰਵਤ ਭਮਕ ;105ਦੁ ਬਾਤਲੈਂ ਥੱਕ ਲਹਕਲੜ ਵੇਂ ਸਸਮਕਲੜ ਜਦ ਚਾਤਸ ਫਾਲਾ					
ਨਵੀ ਭਮਕ . 03 ਕਮਯਾਂਪਸਸਮਕ ਭਮਕ . 00					
ਛ ਟ	07	12095800	12095800	12095800	0000
ਭਵਦਤਤਪਨਾਉ					
ਲੱਤ ਯੰਸ਼ ਦੁ ਟ	130903036200	10736638900	130669674800	233361400	0018
ਨੰ ਜਾਂਸ਼ ਦੁ ਟ	130903036200	10736638900	130669674800	233361400	0018
ਲੱਤ ਯੰਸ਼ ਦੁ ਟ	130903036200	10736638900	130669674800	233361400	0018

12. सब्जियों का निष्पादन के ढंग-

वर्तमान में विभाग में कोई उपादान कार्यक्रम प्रचलित नहीं है।

13. संगठन द्वारा प्रदत्त छट, अधिकार –पत्र तथा अधिकतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण-

—शन्य—

14. इलेक्ट्रानिक प्रारूप में सचनाओं की उपलब्धता—

उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप निबद्ध होने के बाद उसकी प्राप्ति के संबंध में अवगत कराया जायेगा।

15. सचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नागरिकों को प्रदत्त सविधाएँ—

क्र० सं०	कार्य	कार्यवाही किसके स्तर से	समयावधि
1.	सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना	अ0पु0अ0 / संबंधित क्षेत्राधिकारी (यदि क्षेत्राधिकारी मुख्यालय पर नहीं बैठते हैं तो संबंधित थाना प्रभारी) कार्यालय	प्रातः 10 बजे से शाम 1700 बजे तक (राजकीय अवकाशों को छोड़कर)
2	सूचना निरीक्षण करने का स्थान	उपरोक्त	उपरोक्त
3	सूचना प्रदान किये जाने का स्थान	उपरोक्त	विलम्बतम 30 दिन तथा जीवन रक्षा एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में 48 घण्टे
4	सूचना निरीक्षण करने हेतु जमा की जाने वाली धनराशि (10 रु० प्रथम घण्टा, प्रथम घण्टा के पश्चात 5 रु० प्रति 15 मिनट)	पुलिस कार्यालय की आंकिक शाखा में नगद, लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक	उपरोक्त
5	सूचना प्राप्त करने हेतु जमा कराई जाने वाली राशि का विवरण (10 रु० प्रति आवेदन पत्र और गरीबी की रेखा के नीचे के व्यवितयों को निःशुल्क)	उपरोक्त	उपरोक्त

समय से सूचना उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में 250 रु0 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना (25000 रु0 अनधिक) भी देय होगा।

16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम

जनपद इलाहाबाद पुलिस में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित प्रकार से की गयी है:-

उपरोक्त सम्बन्ध में जनपद इलाहाबाद की सूचना निम्नवत् है—

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	जनसूचना अधिकारी / सहायक जनसूचना अधिकारी का नाम, पदनाम, पता, मो० नं०, टेली० नं० व फैक्स नं०	प्रथम अपीलीय अधिकारियों का नाम, पदनाम, पता, मो०नं०, टेली० नं०, फैक्स नं०	कालम ३ व ४ में उल्लिखित अधिकारी के नियुक्त अधिकारी का पदनाम, पता, मो०नं०, टेली० नं० व फैक्स नं०
1	पुलिस उपमहानिरीक्षक कार्यालय	श्री विनोद कुमार मिश्र, नोडल पुलिस अधिकारी जनसूचना / अपर पुलिस अधीक्षक गंगापार इला० नवाब यूसुफ रोड सिविल लाइन्स इला० सीयूजी नं० 9454401015, आवास नं० 2600777, कार्यालय नं० 2641902 फैक्स नं० 2250600	सुरेश कुमार सिंह पुलिस महानिरीक्षक इलाहाबाद परिक्षेत्र, इलाहाबाद राजकीय आवास, थार्नहील रोड इला० सीयूजी नं० 9454400139, कार्यालय नं० 2624825, 2424630	—
2	क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम स०ज०स० अधिकारी	पुलिस उपाधीक्षक सीयूजी नं० 9454401273, आवास —कमिशनर कम्पाउण्ड इला०	—	—
3	क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, इला०	उपाधीक्षक, सीयूजी नं० 9454401274, पुलिस लाइन्स, इलाहाबाद।	—	—
4	क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय, इलाहाबाद	सीयूजी नं० 9454401275, 9415203037 सर्किट हाउस कालोनी, इलाहाबाद।	—	—
5	क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ, इलाहाबाद	उपाधीक्षक, सीयूजी नं० 9454401277, राजकीय आवास म्योर रोड, इला०	—	—
6	क्षेत्राधिकारी नगर पंचम, इलाहाबाद	सहायक पुलिस अधीक्षक, (आई०पी०एस०) सीयूजी नं० 9454401278, आवास पुलिस लाइन, इलाहाबाद।	—	—
7	क्षेत्राधिकारी हण्डिया, इलाहाबाद	पुलिस उपाधीक्षक, इलाहाबाद, सीयूजी नं० 9454401282, आवास थाना हण्डिया, इलाहाबाद।	—	—
8	क्षेत्राधिकारी फूलपुर, इलाहाबाद	पुलिस उपाधीक्षक, इलाहाबाद, सीयूजी नं० 9454401285, आवास चौदपुर सलोरी, इलाहाबाद।	—	—
9	क्षेत्राधिकारी सोरावं इलाहाबाद।	पुलिस उपाधीक्षक, सीयूजी नं० 9454401280 आवास—पुलिस लाइन्स, इलाहाबाद।	—	—
10	क्षेत्राधिकारी करछना इलाहाबाद	पुलिस उपाधीक्षक, इलाहाबाद, सीयूजी नं० 9454401283, आवास पुलिस लाइन, इलाहाबाद।	—	—
11	क्षेत्राधिकारी मेजा, इलाहाबाद	पुलिस उपाधीक्षक, इलाहाबाद, सीयूजी नं० 9454401284, आवास तहसील परिसर मेजा, इलाहाबाद।	—	—
12	क्षेत्राधिकारी बारा इलाहाबाद	पुलिस उपाधीक्षक, इलाहाबाद, सीयूजी नं० 9454401279, आवास सर्किट हाउस कालोनी, इलाहाबाद।	—	—

13	क्षेत्राधिकारी यातायात / कार्यालय	पुलिस उपाधीक्षक, आवास 42वीं वाहिनी नैनी, इलाहाबाद, फोन नं 0 2641902	—	—
14	क्षेत्राधिकारी आंकिक, इलाहाबाद	पुलिस उपाधीक्षक, सीयूजी नं 0 9454401277, राजकीय आवास म्योर रोड, इला	—	—
15	क्षेत्राधिकारी प्रज्ञान इलाहाबाद।	पुलिस उपाधीक्षक, इलाहाबाद सीयूजी नं 0 9454401722, आवास माघमेला गोदाम कालोगी, इलाहाबाद कार्यालय फोन नं 0 2491097	—	—
16	मुख्य अग्नि शमन अधिकारी इलाहाबाद।	सीयूजी नं 0 9415908483, आवास फायर स्टेशन सिविल लाइन, इलाहाबाद। कार्यालय फोन नं 0 2600453	—	—

(विनोद कुमार मिश्र)
जनसूचना अधिकारी,
कार्यालय पुलिस उपमहानिरीक्षक
इलाहाबाद।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

जनपद—इलाहाबाद

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) (बी) के अनुसार जनपद इलाहाबाद के पुलिस विभाग के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाती है—

1— पुलिस बल के संगठन कार्य तथा कर्तव्यों का विवरण

पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 3 के अनुसार जिले में पुलिस का अधीक्षण उस राज्य सरकार में निहित में होगा जिसके अधीन ऐसा जिला होगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जैसा प्राधिकृत हो उसके सिवाय कोई व्यक्ति, अधिकारी या न्यायालय राज्य सरकार द्वारा किसी पुलिस कर्मचारी को अधिक्रमित या नियंत्रित करने के लिये सहमत नहीं किया जाएगा।

पुलिस का मूल कर्तव्य कानून व्यवस्था व लोक व्यवस्था को स्थापित रखना तथा अपराध नियंत्रण व निवारण तथा जनता से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करना है। समाज के समस्त वर्गों में सदभव स्थापित रखने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करना, महत्वपूर्ण व्यक्ति व संस्थानों हेतु सुरक्षा करना तथा समस्त व्यक्तियों के जान व माल की सुरक्षा करना है। लोक जमावों और जुलूसों को विनियमित करना तथा अनुमति देना व सार्वजनिक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाये रखना है।

जनपद पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करती है जनपद में कुल 05 अपर पुलिस अधीक्षक, 14 पुलिस उपाधीक्षक व 39 थानाध्यक्षों के पद सृजित हैं। अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ / पंचम / प्रज्ञान / सी०एफ०ओ० कार्य करते हैं। अपर पुलिस अधीक्षक गंगापार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी हंडिया, फूलपुर तथा सोरांव, क्षेत्राधिकारी कार्यालय / पासपोर्ट कार्य करते हैं। अपर पुलिस अधीक्षक, जमुनापार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी

करछना, बारा, मेजा/लाइन्स/आंकिक कार्य करते हैं। अपर पुलिस अधीक्षक यातायात के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी यातायात कार्य करते हैं एवं अपर पुलिस अधीक्षक (अपराध) के द्वारा समस्त जनपद के अपराधों का पदेन पर्यवेक्षण रहता है।

1.1— जनपद में पुलिस का संगठन

जनपद में पुलिस का संगठन निम्नलिखित प्रकार से है—

अपर पुलिस अधीक्षक	क्षेत्राधिकारी	थाना क्षेत्र
1	2	3
अपर पुलिस अधीक्षक नगर	क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम	कोतवाली
		शाहगंज
		खुल्दाबाद
		करैली
	क्षेत्राधिकारी द्वितीय	सिविल लाइन्स
		कैन्ट
		धूमनगंज
	क्षेत्राधिकारी तृतीय	मुट्ठीगंज
		कीडगंज
		अतरसुइया
	क्षेत्राधिकारी चतुर्थ	कर्नलगंज
		जार्जटाउन
		शिवकुटी
	क्षेत्राधिकारी पंचम	दारागंज,
		झूसी
		महिला थाना
अपर पुलिस अधीक्षक गंगापर	क्षेत्राधिकारी पंचम	झूसी
	क्षेत्राधिकारी हण्डया	हण्डया
		उतराँव
		सरायमरेज
	क्षेत्राधिकारी फूलपुर	फूलपुर
		थरवई
		बहरिया
		सरायइनायत
	क्षेत्राधिकारी सोरांव	सोरांव
		मऊआइमा
		नबावगंज
		होलागढ़
अपर पुलिस अधीक्षक जमुना पार	क्षेत्राधिकारी करछना	करछना
		घूरपुर
		नैनी
		ओद्योगिक क्षेत्र
	क्षेत्राधिकारी मेजा	मेजा
		माणडा

		कोराव
		खीरी
	क्षेत्राधिकारी बारा	बारा
		शंकरगढ़
		लालापुर
		कौधियारा
अपर पुलिस अधीक्षक यातायात	क्षेत्राधिकारी यातायात	सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र की यातायात व्यवस्था
अपर पुलिस अधीक्षक अपराध		कार्य वितरण अभी नहीं हुआ है

1.2—जनपद में स्थित विभिन्न इकाइयों के कार्यों के पर्यवेक्षण अधिकारी—

क्र0सं0	इकाई का नाम	पर्यवेक्षक क्षेत्राधिकारी	पर्यवेक्षक पुलिस अधीक्षक
1	2	3	4
1	वायरलेस शाखा	सहायक रेडियो अधिकारी	पुलिस उप महानिरीक्षक
2	स्थानीय अभिसूचना, इकाई	क्षेत्राधिकारी एल0आई0यू0	पुलिस उप महानिरीक्षक
3	फायर सर्विस	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	पुलिस उप महानिरीक्षक
4	नगर नियन्त्रक कक्ष	क्षेत्राधिकारी नगर—प्रथम	अपर पुलिस अधीक्षक नगर
5	यातायात पुलिस	क्षेत्राधिकारी यातायात	अपर पुलिस अधीक्षक यातायात
6	एनटी ट्रेनिंग सेल		पुलिस अधीक्षक यमुनापार
7	अवैध मादक पदार्थ		अपर पुलिस अधीक्षक नगर
8	पुलिस लाइन्स	क्षेत्राधिकारी लाइन्स	अपर पुलिस अधीक्षक यमुनापार
9	भवन	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	अपर पुलिस अधीक्षक यमुनापार
10	फील्ड यूनिट	क्षेत्राधिकारी चतुर्थ	अपर पुलिस अधीक्षक जमुनापार
11	पत्रव्यवहार शाखा	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	अपर पुलिस अधीक्षक गंगापार
12	आंकिक शाखा	क्षेत्राधिकारी अंकिक	अपर पुलिस अधीक्षक जमुनापार
13	विझॉच प्रकोष्ठ	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	अपर पुलिस अधीक्षक जमुनापार
14	महिला सहायता प्रकोष्ठ	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	अपर पुलिस अधीक्षक जमुनापार
15	डी0सी0आर0बी0	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	अपर पुलिस अधीक्षक जमुनापार
16	न्यायालय प्रकरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	अपर पुलिस अधीक्षक जमुनापार
17	सम्मन सेल	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	अपर पुलिस अधीक्षक गंगापार
18	मानवाधिकार प्रकोष्ठ	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	अपर पुलिस अधीक्षक गंगापार
19	अंगुरस्ठ छाप प्रकोष्ठ	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	अपर पुलिस अधीक्षक जमुनापार
20	परिवार परामर्श केन्द्र	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	अपर पुलिस अधीक्षक जमुनापार
21	पासपोर्ट सेल	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	अपर पुलिस अधीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक

पुलिस अधिनियम की धारा 22 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ रहेगा और उसे जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है। पुलिस अधिकन्यम 1861 की धारा 23 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह पुलिस विभाग के संचालन हेतु विहित विभिन्न नियमों एवं कानूनों तथा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसे विधिपूर्वक जारी किये गये सब आदेशों एवं वारण्टों का पालन एवं निष्पादन करें, लोक शांति को प्रभावित करने वाले गुप्त वार्ता का संग्रह करें, अपराधों व लोक न्यूसेन्स का निवारण करें, अपराधियों का पता लगाये और न्यायालय के समक्ष लाये।

2— अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य।

पुलिस अधिनियम, पुलिस रेगुलेशन, द०प्र०सं०, अन्य अधिनियमों तथा विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत पुलिस के अधिकारियों/ कर्मचारियों के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य हैं—

2.1—पुलिस अधिनियम।

धारा	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य
7	आन्तरिक अनुशासन बनाये रखने हेतु राजपत्रित अधिकारियों को किसी समय अधीनस्थ पदों के ऐसे किसी अधिकारी को दण्डित करने की शक्ति होती है जो कि अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिल एवं उपेक्षावान पाये जायें।
17	विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में जब यह प्रतीत हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव, बलवा या शान्ति भंग हुई हो या होने की गम्भीर संभावना हो विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति होती है।
22	पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ माने जाते हैं तथा उन्हें जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है।
23	प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्वक जारी किये गये सब आदेशों का पालन व निष्पादन करे, लोक शान्ति को प्रभावित करने वाली गुप्त वार्ता का संग्रह करे, अपराधों व लोक न्यूसेन्स का निवारण करें, अपराधियों का पता लगाये तथा उन सब व्यक्तियों को गिरफ्तार करे जिनको गिरफ्तार करने के लिए वैधतः प्राधिकृत है तथा जिनको गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान है। इसके लिए उसे बिना वारण्ट किसी शराब की दुकान, जुआघर या भ्रष्ट या उदण्ड व्यक्तियों के समागम के अन्य स्थान में प्रवेश करना और उसका निरीक्षण करना विधिपूर्ण होगा।
25	लावारिस सम्पत्ति को पुलिस अधिकारी अपने भार साधन में लें तथा इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को दें तथा नियमानुसार उस सम्पत्ति को निस्तारित करेंगे।
30	लोक जमावों और जुलूसों को विनियमित करने और उसके लिए अनुमति देने की शक्ति।
30 (क)	उपरोक्त अनुमति की शर्तों के उल्लंघन करने पर थाने के भार साधक अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों को जुलूस या किसी जमाव का रोकने या बिखर जाने के आदेश देने की शक्ति।
31	सार्वजनिक सड़कों व मार्गों, आम रास्तों, घाटों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर व्यवस्था बनाये रखने का कर्तव्य।
34	किसी व्यक्ति द्वारा किसी ढोर का बध करने, उसे निर्दयता से मारने या यातनादेने, ढोर गाड़ी से यात्रियों को बाधा पहुंचाने, मार्ग पर गन्दगी व कुड़ा फेकने, मतवाले या उपद्रवी व्यक्तियों व शरीर का अशिष्ट प्रदर्शन करने पर किसी पुलिस अधिकारी के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को बिना वारण्ट के अभिरक्षा में ले ले।
34 (क)	उपरोक्त अपराध के शमन करने की शक्ति राजपत्रित पुलिस अधिकारियों में निहित है।
47	ग्राम चौकीदारों पर प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का दायित्व।

2.2—पुलिस रेगुलेशन —

प्रस्तर	कर्तव्य
12 से 16 पुलिस अधीक्षक	<p>पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस बल के प्रधान होते हैं वे अधीनस्थ पुलिस बल के दक्षता, अनुशासन एवं कर्तव्यों के पालन के लिए दायित्वाधीन होते हैं। मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स के मध्य सभी संव्यवहार पुलिस अधीक्षक के माध्यम से ही किये जाते हैं।</p> <p>पुलिस अधीक्षक यदि मुख्यालय पर उपस्थित है तो जनता की समस्या सुनने के लिए कार्यालय में बैठेंगे। उन्हें स्वतन्त्रतापूर्वक वैचारिक संस्चना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए सूचना के जितने साधन होंगे तदनुरूप उनकी दक्षता होगी। पुलिस पेंशनर्स से उनका संपर्क होना चाहिए और उन्हें विर्तिदिष्ट रीति से जिले में थानों व पुलिस लाइन का निरीक्षण करना चाहिए। आबकारी विषयों पर आयोजित होने वाले वार्षिक समारोह में पुलिस अधीक्षक की व्यक्तिगत मौजूदगी एवं पर्यवेक्षण आवश्यक है।</p>

	पड़ोसी जनपदों के पुलिस अधीक्षकों से यथासम्भव वर्ष में एक बार भेंट आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक द्वारा शासकीय आदेश की पुस्तिका में जिले का प्रभार सौंपे जाने वाले रापत्रित अधिकारी द्वारा गोपनीय ज्ञापन तैयार किये जाने संबंधित अंतर्विष्ट अनुदेशों का अनुसारण किया जाना चाहिए।
17 सहायक पुलिस अधीक्षक एवं उपाधीक्षक	सहायक पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर किसी भी उस कार्य को किया जाता है, जो व्यक्तिगत रूप से विधि व नियमों द्वारा पुलिस अधीक्षक के लिए बाध्यकारी न हो।
18 से 23 प्रतिसार निरीक्षक	प्रतिसार निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाइन के भार साधक अधिकारी होते हैं जो कि जवानों की साज सज्जा, अनुशासन, प्रशिक्षण के उत्तरदायी होंगे। आयुध व गोला बारूद की सुरक्षित अभियान के लिए उत्तरदायी होते हैं।
24 रिजर्व सबइंस्पेक्टर	प्रतिसार निरीक्षक की सहायता हेतु नियुक्त होते हैं जो गार्ड एवं स्कोर्ट को निर्देशित करने, यातायात नियंत्रण तथा कानून एवं व्यवस्था के संबंध में प्रतिसार निरीक्षक द्वारा आदेशित प्रत्येक आवश्यक कार्य को करते हैं।
40 से 43 सर्किल इंस्पेक्टर	सर्किल इंस्पेक्टर के कर्तव्यों के सम्बन्ध में उल्लेख है, जिसमें उसका प्रमुख कर्तव्य जांच पड़ताल की देख-भाल और अपराध का निवारण करना, पुलिस थाना क्षेत्र में निवारक और अन्वेषण कार्यों में सामन्जस्य रखना, थानों का निरीक्षण करना, सभी महत्वपूर्ण विषयों, घटना स्थलों का निरीक्षण व अन्वेषण में मार्गदर्शन करना, पुलिस अधीक्षक को प्रत्येक आवश्यक घटना की सूचना देना, लाइसेन्सी दुकानों का निरीक्षण करना, अधीनस्थ पुलिस के आचरण की निगरानी करना, अपराधों का दमन और सामन्जस्य बनाये रखने के उत्तरदायित्व से निरन्तर आबद्ध रहना। (वर्तमान में सर्किल इंस्पेक्टर का पद विभाग में नहीं है इन कार्यों का निर्वहन क्षेत्राधिकारी के द्वारा यथा निर्देशित रूप में किया जाता है।)
43 से 50 थानाध्यक्षों	थानाध्यक्ष अपने प्रभार की सीमा के अन्तर्गत पुलिस प्रशासन का संचालन करता है तथा बल की सभी शाखाओं पर प्राधिकार रखता है। वह सभी रिजिस्टरों, अभिलेखों, विवरणियों और रिपोर्टों की शुद्धता के लिये अधीनस्थों के प्रति दायित्वाधीन होगा। उसे क्षेत्र के सभी सभान्त व्यक्तियों से सुपरिचित एवं उनके प्रति मैत्रीपूर्ण सहयोग सुनिश्चित करना चाहिये। उसे थाने की परिधि के अन्दर बुरे व्यक्तियों की निगरानी समुचित तरीके से करते रहना चाहिये। थाने पर किसी भी अधिकारी के न उपस्थित होने पर सीनियर कान्स्टेबिल थाने का भार साधक अधिकारी होगा किन्तु वह तपतीश नहीं करेगा। थानाध्यक्ष द्वारा थाने का चार्ज लेने पर पुलिस फार्म नं 299 भरकर पुलिस अधीक्षक को सूचना भेजेंगे।
51	थाने के द्वितीय अफसर का कर्तव्य प्रातः कालीन परेड कराना, भारसाधक अधिकारी द्वारा सौंपे गये समस्त निर्देशों को अधीनस्थों को बताना अन्वेषण करना होता है।
55	हेड मोहर्रिं के कर्तव्य <ul style="list-style-type: none"> ➤ रोजनामचा आम और अपराधों की प्रथम सूचना लिखना। ➤ हिन्दी रोकड़ बही (पुलिस फार्म नं 224) ➤ यदि पुलिस अधीक्षक आदेश दें तो धारा 174 द०प्र०सं० के अन्तर्गत पंचायतनामा लिखना।
61 से 64 बीट आरक्षी	कान्स० नागरिक पुलिस द्वारा जनता की समस्याओं पर नम्रता पूर्वक विचार करना चाहिए। उनका मूल कर्तव्य अपराधों की रोकथाम करना तथा मालखना एवं थाने के अन्य सम्पत्तियों की रक्षा करेगा। बीट कान्स० के रूप में संदिग्ध अपराधियों, फरार अपराधी तथा खानाबदोश अपराधियों की सूचना प्रभारी अधिकारी को देगा।
65 से 69 सशस्त्र पुलिस	सशस्त्र पुलिस के रूप में खजानों, हवालातों के संरक्षक, कैदियों और सरकारी सम्पत्ति की रास्ते में देखभाल, आयुद्ध भण्डार, अपराध दमन तथा खतरनाक अपराधियों की गिरफ्तारी तथा उनका पीछा करना मूल दायित्व है।
79 से 83	घुड़सवार पुलिस द्वारा उत्सवों या अन्य आयोजनों में भीड़ नियंत्रण का कार्य किया

घुड़सवार	जाता है।
89 से 96 चौकीदार	ग्राम चौकीदार द्वारा आपने प्रभाराधीन गाँवों की देखरेख करना, अपराध एवं अपराधियों की सूचना देना व विधि के प्राधिकार के अधीन अपराधियों को गिफ्तार कराने का दायित्व होता है।

2.3 दण्ड प्रक्रिया संहिता

द०प्र०सं० की अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्तव्य

धारा

- 36 पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस थाना क्षेत्र में नियुक्त हैं उसमें सर्वत्र उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के अन्दर थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा किया जाता है।
- 41 बिना वारण्ट की गिरफ्तारी निम्नलिखित दशाओं में करने की शक्तियों
 9. संज्ञेय अपराध की दशा में।
 10. कब्जे में गृह भेदन का उपकरण
 11. उद्घोषित अपराधी
 12. चुराई गयी सम्पत्ति की संभावना।
 13. पुलिस अधिकारी के कर्तव्य पालन में बाधा।
 14. सशस्त्र बलों का भगोड़ा।
 15. भारत के बाहर भारत में दण्डनीय किया गया अपराध।
 16. छोड़े गये सिद्धदोष बन्दी द्वारा नियम उल्लंघन पर वांछित अपराधी।
- 42 नाम व निवास बताने से इन्कार करने पर गिरफ्तारी।
- 46 गिरफ्तारी वचन से, छूकर और आवश्यकतानुसार बल प्रयोग करके की जाएगी।
- 47 उस संस्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्टि हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है।
- 48 गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति।
- 49 गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत पुलिस अधिक अवरुद्ध नहीं किया जायेगा जितना की उसके निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है।
- 50 गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना।
- 51 गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की तलाशी।
- 52 गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से आक्रामक आयुधों को अधिग्रहण करने की शक्ति।
- 53 पुलिस अधिकारी के आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना।
- 54 गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना।
- 56 गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अनावश्यक विलम्ब के बिना अधिकारिता मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना।
- 57 गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को 24 घण्टे से अधिक पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध न रखना।
- 58 बिना वारण्ट गिरफ्तारियों की सूचना कार्यकारी मजिस्ट्रेट को देना।
- 60 अभिरक्षा से भागे अभियुक्तों को सम्पूर्ण भारत में कहीं भी गिरफ्तार की शक्ति।
- 100 बन्द स्थान के भार साधक व्यक्ति, उस अधिकारी को जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा है, तलाशी लेने देंगे।
- 102 ऐसी वस्तुओं को अभिग्रहीत करने की शक्ति जिनके सम्बन्ध में चोरी की हुई या होने का सन्देह हो।
- 129 उपनिरीक्षक व उससे उच्च समस्त अधिकारियों को पुलिस बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर-बितर करने की शक्ति।
- 130 ऐसे जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग।

131	जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के राजपत्रित अधिकारियों की शक्ति।
132	धारा 129, 130, 131 के अधीन सद्भावना पूर्वक किये गये कार्यों के सन्दर्भ में अभियोजन से संरक्षण।
149	प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किये जाने का निवारण करेगा।
150	संज्ञेय अपराधों के किये जाने की परिकल्पना की सूचना।
151	उक्त के सन्दर्भ में बिना वारण्ट गिरफ्तारी का अधिकार।
152	लोक सम्पत्ति की क्षति रोकने का अधिकार।
153	खोटे बॉट मामों का निरीक्षण / अधिग्रहण।
154	संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भार साधक अधिकारी के निर्देशानुसार लेखबद्ध की जायेगा। इत्तिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को निःशुल्क दी जायेगी। भार साधक अधिकारी द्वारा इत्तिला को अभिलिखित करने से इंकार करने पर किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इत्तिला डाक द्वारा दी जा सकती है।
155	असंज्ञेय मामलों में थाने के भार साधक अधिकारी को ऐसी इत्तिला का सार संबंधित पुस्तिका में प्रविष्टि करायेगा और इत्तिला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए निर्दिष्ट करेगा।
156	संज्ञेय मामलों अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।
160	अन्वेषण के अन्तर्गत साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।
161	पुलिस द्वारा साक्षियों का परीक्षण किये जाने की शक्ति।
165	अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए किसी स्थान में ऐसी चीज़ के लिए तलाशी ली जा सकती है जो अन्वेषण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो। तलाशी एवं जप्ती के कारणों को लेखबद्ध किया जायेगा।
166	अन्वेषणकर्ता अन्य पुलिस अधिकारी से भी तलाशी करवा सकता है।
167	जब 24 घण्टे के अन्दर अन्वेषण न पूरा किया जा सके तो अभियुक्त का रिमाण्ड लेने की शक्ति।
169	साक्ष्य अपर्याप्त होने पर अभियुक्त को छोड़ा जाना।
170	जब साक्ष्य पर्याप्त हो तो मामलों को मजिस्ट्रेट के पास विचारण के लिए भेज दिया जाना।
172	अन्वेषण में की गयी कार्यवाहियों को केस डायरी में लेखबद्ध किया जाना।
173	अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी द्वारा सशक्त मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजना।
174	आत्म हत्या आदि पर पुलिस द्वारा मृत्यु समीक्षा करना और रिपोर्ट देना।
175	धारा 174 के अधीन कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारी को अन्वेषण के प्रयोजन से व्यक्तियों को शमन करने की शक्ति।
176	पुलिस अभिरक्षा में मृत व्यक्ति की मृत्यु समीक्षा मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी।

2.6 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानव अधिकार संरक्षण संबंधी निर्देश

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी०के०० बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के बाद के निर्णय में गिरफ्तारी या निरुद्धीकरण के प्रकरणों में पुलिस जनों के निम्नलिखित दायित्व अवधारित किये गये हैं।

1. गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारकर्ता पुलिस अधिकारी को अपने पद सहित नाम पट्टिका धारण की जानी चाहिए। गिरफ्तारी का सम्पूर्ण विवरण एक रजिस्टर में अंकित किया जाये।
2. गिरफ्तारी की फर्द गिरफ्तारी के मौके पर ही तैयार की जायेगी जो क्षेत्र के सभान्त व्यक्ति अथवा गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य द्वारा सत्यापित होगी। गिरफ्तार व्यक्ति के प्रति पर हस्ताक्षर होगे व एक प्रति उसे

- निःशुल्क दी जायेगी।
3. पुलिस अभिरक्षा में उसे अपने रिश्तेदार या मित्र से मिलने दिया जायेगा तथा उसकी गिरफतारी की सूचना उसके निकट संबंधी को दी जायेगी।
 4. गिरफतार किये गये व्यक्ति के रिश्तेदार को निरुद्ध रखने के स्थान के बारे में बताया जायेगा।
 5. गिरफतार किये गये व्यक्ति को अवगत कराया जायेगा कि उसे अपनी गिरफतारी के संबंध में सूचित करने हेतु वह अधिकृत है।
 6. गिरफतारी की सूचना को थाने के गिरफतारी रजिस्टर में ही अंकित किया जायेगा।
 7. गिरफतार किये गये व्यक्ति के अनुरोध पर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।
 8. गिरफतार किये गये व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा की प्रत्येक 48 घण्टे पर प्रशिक्षित डाक्टर से चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।
 9. गिरफतारी के सभी अभिलेखों की प्रतियाँ क्षेत्रीय दण्डाधिकारी के पास भेजी जायेगी।
 10. जॉच काल में गिरफतार व्यक्ति को अपने अधिवक्ता से मिलने की अनुमति दी जा सकती है।
 11. गिरफतारी की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष में नोटिस बोर्ड पर भी अंकित की जाएगी।

2.7 अपर पुलिस अधीक्षक के कर्तव्य एवं दायित्व

पुलिस महानिदेशक उ०प्र०० के परिपत्र संख्या 35/2005 दिनांक 9 जुलाई के द्वारा जनपद नियुक्ति के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक की शक्तियों और दायित्वों का निर्धारण किया गया है।

2.5.1 कर्तव्य

2.5.1.1 संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही संबंधी:-

1. संगठित अपराधियों तथा भाड़े पर हत्या, फिरौती हेतु अपहरण, रोड होल्ड अप, बैंक डकैती, आटोलिफ्टर, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले, हवाला व्यापार करने वाले, नक्सलवादी गैंग एवं राष्ट्र विरोधी तत्व, माफिया आदि को चिन्हित कर उनकी गैंगवार सूची तैयार करना एवं तत्संबंधी सभी सूचनायें एकत्र कर उन्हें पंजीकृत करने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करना।
2. पंजीकृत अपराधियों का डोजियर तैयार करना।
3. संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्ययोजना तैयार करके जनपदीय पुलिस अधीक्षक के अनुमोदन से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराना।
4. संगठित अपराधियों की गिरफतारी होने पर विस्तृत पूछ—ताछ आख्या तैयार करना।

2.5.1.2 सक्रिय एवं वांछित अपराधी सम्बन्धी:-

1. सक्रिय एवं वांछित अपराधियों की सूची तैयार करना, हिस्ट्रीशीट खुलवाना, गिरफतारी हेतु कार्ययोजना बनाकर दबिश दिलवाना।
2. फ्राड अपराधियों के विरुद्ध पुरस्कार घोषित करवाना।

2.5.1.3 अपराधिक अभिसूचना का एकत्रीकरण:-

1. पेशेवर अपराधियों की अभिसूचना एकत्रिकरण हेतु स्रोत बनाना।
2. जेल में बन्द पेशेवर अपराधियों की जानकारी करना।
3. जेल से छूटने वाले पेशेवर अपराधियों की निगरानी।
4. अन्य माध्यमों से अपराधिक अभिसूचना एकत्रीकरण।

2.5.1.4 विशेष अपराधों के संबंध में:-

1. समस्त विशेष अपराधों के घटना स्थल का निरीक्षण।
2. क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचनाओं की पर्यवेक्षण आख्या।
3. क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचना वाले एस०आर० केस, राजनीतिक हत्या, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की हत्या, बलात्कार के साथ हत्या, ऐसी हत्या जो सामान्य कानून को प्रभावित करती हो, डकैती, फिरौती, हेतु अपहरण, हत्या सहित लूट, सनसनीखेज लूट, पुलिस अभिरक्षा से पलायन, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, (गैंगस्टर एक्ट के केसों को छोड़कर) शेष समस्त एस०आर० केस की क्रमागत आख्या का अनुमोदन (प्रथम व अन्तिम को छोड़कर) अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा

		किया जायेगा।	
य—		क्षेत्र के थाना प्रभारियों एवं क्षेत्राधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित करना।	
र—		फिल्स पिकेट एवं गश्त की योजना बनाकर प्रभावी व्यवस्था करना।	
ल—		क्षेत्र के समस्त थानों का दो माह में एक बार अर्दली रूम करना।	
2.5.1.5		अभियोजनः—	
		न्यायालय में लंबित वादों की प्रभावी पैरवी, पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिंग की मासिक गोष्ठी तथा सेशन ट्रायल अभियोगों में विमुक्ति आख्या का विश्लेषण करना।	
2.5.2		अपर पुलिस अधीक्षकों के अधिकार	
2.5.2.1		स्थानान्तरण संबंधी—	
		पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के अद्वृशासकीय पत्र संख्या एक—252—82 दिनांक 08.01.1985 के प्रस्तर 5 के बिन्दु सं0 4 में निहित निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही स्थानान्तरण के संबंध में की जायेगी।	
2.5.2.2		वार्षिक मन्तव्यः—	
		शासनादेश संख्या: 1460 / छ:—पु—1—99—51 / 99 के अनुसार वार्षिक मन्तव्य का अंकन करना।	
2.5.2.3		दण्ड सम्बन्धीः—	
		अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रचलित नियमावली के अनुरूप अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जांच करायी जा सकती है परन्तु जांच आख्याओं पर दण्ड पत्रावली खुलवाने का अधिकार जनपदीय पुलिस अधीक्षक का ही होगा।	
2.4		संसद व विधानमण्डल द्वारा समय समय पर पारित अन्य विविध अधिनियमों और शासनादेशों द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ तथा उनसे अपेक्षित कर्तव्यः—	
		संसद व विधानमण्डल द्वारा समय समय पर पारित अन्य अधिनियमों व शासन व उच्चाधिकारी स्तर से समय—समय पर निर्गत आदेशों व निर्देशों द्वारा भी पुलिस बल को दिशा—निर्देश न प्राप्त होते रहते हैं जिनके आधार पर पुलिस बल से अपेक्षित कार्यों का सम्पादन किया जाता है।	
3.		निर्णय लेने की प्रक्रिया की कार्यविधि के पर्यवेक्षण व उत्तरदायित्व के स्तर	
3.3		अनुसंधान/विवेचना	
क्र0 सं0	कार्यवाही	कार्य स्तर	अवधि
1.	प्र0सू0रि0 का पंजीकरण	154द0प्र0सं0 के अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा निर्देशानुसार लेखबद्ध की जायेगी। इत्तिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को निः शुल्क दी जायेगी। भार साधक अधिकारी द्वारा इत्तिला को अभिलिखित करने से इन्कार करने पर किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इत्तिला डाक द्वारा दी जा सकती है।	अविलम्ब
2.	साक्षियों का परीक्षण	161 द0प्र0सं0 के अनुसार	यथाशीघ्र
3.	अन्वेषण द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण	द0प्र0सं0 के अनुसार	यथाशीघ्र
4.	पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण	विशेषाअपराधों की स्थिति में संबंधित क्षेत्राधिकारी व अन्य पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया जाता है।	यथाशीघ्र
5.	साक्ष्य का संकलन	द0प्र0सं0 के अनुसार	कार्यवाही यथाशीघ्र

6.	नक्शा नजरी तैयार करना	द0प्र0सं0 के अनुसार	निरीक्षण के समय
7.	अभियुक्तों की गिरफतारी	"	"
8.	संस्वीकृति का लिखा जाना	"	"
9.	पुलिस / न्यायिक अभिरक्षा का रिमाण्ड प्राप्त करना	"	"
10.	तलाशी	"	"
11.	निरुद्धि	"	"
12.	अभियोग दैनिकी का तैयार किया जाना	"	"
13.	आरोप पत्र का दाखिल करना	"	"

3.1 नियन्त्रण कक्ष

जनपद के नियन्त्रण कक्ष कमाण्ड और कन्ट्रोल संघटक के रूप में जनपद के तंत्रिका तन्त्र की तरह कार्य करता है जो कानून व्यवस्था, अपराध, यातायात समस्या व अन्य संगत समस्याओं की सूचना प्राप्त करता है तथा स्थानीय पुलिस को उस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश देता है। बाढ़ व अन्य दैवीय आपदाओं के सम्बन्ध में तत्परता से कार्य करता है। जनपद में वर्तमान में निम्नलिखित नियन्त्रण कक्ष स्थापित हैं।

कक्ष सं0	नियन्त्रण कक्ष	टेलीफोन नं0	कार्य
1	जिला नियन्त्रण कक्ष	100, 9454402863	जनपद के संबंध में सूचनाओं को प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही हेतु संबंधित को तत्काल अवगत कराया जाता है।
2	नगर नियन्त्रण कक्ष	100, 9454402863	नगर नियन्त्रण कक्ष में चार चीता मोबाइल विभिन्न क्षेत्रों में नियोजित है जो किसी सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंच कर स्थिति को नियन्त्रित करते हैं।
3	फायर नियन्त्रण कक्ष	101	फायर नियन्त्रण कक्ष में फायर सर्विस की गाड़ियां उपलब्ध रहती हैं। पूरी एक टीम प्रत्येक समय टर्न आउट की स्थिति में रहती है जो किसी भी आग लगने की सूचना पर 05 मिनट के अन्दर पर अपने गनतव्य को रवाना होती है।

इन नियन्त्रण कक्षों पर 24 घन्टे कन्ट्रोल रूम आपरेटर की नियुक्ति रहती है। इन पर दी गयी सूचनाओं को तत्काल लागबुक में लाग किया जाता है तथा संबंधित को कार्यवाही हेतु सूचित किया जाता है। वर्षाकाल में बाढ़ नियन्त्रण कक्ष की भी स्थापना आवश्यकतानुसार की जाती है।

3.4 शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

3.2.1 थाना पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया

कक्ष सं0	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि
1	थाने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी प्राप्ति स्वीकार करना	थानाध्यक्ष / दिवसाधिकारी / उपस्थित कां0 कलर्क द्वारा	तत्काल
2	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाले का नाम आगन्तुक रजिस्टर में अंकित करना	दिवसाधिकारी / उपस्थित कां0 कलर्क द्वारा	अविलम्ब
3	प्रार्थना पत्र की जनशिकायत रजिस्टर में अंकित करना	उपस्थित कां0 कलर्क द्वारा	अविलम्ब
4	जाँच अधिकारी नियुक्त करना व जाँच हेतु सौंपना	थाना प्रभारी द्वारा	1 दिवस
5	जाँच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर	जाँच अधिकारी द्वारा	5 दिवस

	जाँच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना		
6	थानाध्यक्ष द्वारा जाँच की समीक्षा करना	थानाध्यक्ष द्वारा	1 दिवस
7	जाँच रिपोर्ट पर अग्रेतर कार्यवाही यदि आवश्यक हो, कराना।	थानाध्यक्ष द्वारा	अविलंब
8	जाँच रिपोर्ट का रखरखाव	सम्बन्धित कां० कलर्क द्वारा	01 वर्ष तक

3.3.2 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

क्रम सं०	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि
1	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय की प्रधान लिपिक शाखा में उसकी प्राप्ति स्वीकार करना	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
2	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं या इस कार्य हेतु निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा लिफाफे को खोला जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी (क्षेत्राधिकारी मुख्यालय) द्वारा	1 दिवस
3	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना।	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	1 दिवस
4	प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर में अंकित करना	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
5	सत्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर या तो स्वयं जाँच हेतु रखना या सम्बन्धित थानाध्यक्ष को जाँच हेतु भेजना	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा	2 दिवस
6	क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कां० कलर्क द्वारा आर्डर बुक करना	क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कां० कलर्क द्वारा	अविलम्ब
7	सत्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर या तो स्वयं जाँच हेतु रखना या सम्बन्धित उपनिरीक्षक/बीट आरक्षी को जाँच हेतु भेजना	थानाध्यक्ष द्वारा	2 दिवस
8	जाँच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जाँच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना	जाँच अधिकारी द्वारा	8 दिवस
9	थानाध्यक्ष द्वारा जाँच रिपोर्ट की समीक्षा करके सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित करना	थानाध्यक्ष द्वारा	अविलम्ब
10	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा जाँच सही पाये जाने पर जाँच रिपोर्ट को दाखिल दफतर किया जाना	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा	अविलम्ब
11	जाँच रिपोर्ट का रखरखाव	क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कां० कलर्क द्वारा	02 वर्ष तक

3.3.3 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक को शासन, आयोगों व अन्य उच्च अधिकारीगणों के स्तर से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया :-

क्रम सं०	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि
1	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन करके संबंधित अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी या थानाध्यक्ष को जाँच हेतु आदेशित करना	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा	01 दिवस
2	प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर में अंकित	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब

	करना व संबंधित को जाँच हेतु प्रेषित करना		
3.	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर स्वयं जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना व रिपोर्ट देना।	क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष द्वारा	07 दिवस में
4.	क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष कार्यालय के कां० कलर्क द्वारा आर्डर बुक करना	क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष/ कार्यालय के कां० कलर्क द्वारा	अविलम्ब
5.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जाँच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर संबंधित को रिपोर्ट प्रेषित करना।	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा	2 दिवस
6.	जाँच रिपोर्ट का रखरखाव	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के गोपनीय कार्यालय के कां० कलर्क द्वारा	02 वर्ष तक

3.3.4 थाना पंचायत दिवस में थाना स्तर पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

(उ०प्र० शासन के पत्र संख्या:2021 पी/छ:-पु-३ / 2005, दिनांक 21.6.2005 गृह (पुलिस) अनुभाग थाना पंचायत दिवस में प्राप्त जनसमस्याओं के निस्तारण की प्रक्रिया)

जन समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निस्तारण किया जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शासन द्वारा यह अनुभव किया जा रहा है कि अधिकारियों से मिलने के समय केवल पीड़ित पक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करता है, परन्तु उसकी समस्या का समाधान तब तक सम्भव नहीं हो सकता है जब तक कि दोनों पक्षों को एक साथ बुलाकर उनका पक्ष जानकर साम, दण्ड, भेद की नीति के पंचायती तरीके से सुलझाने का प्रयास न किया जाय। इसके लिये थाना सर्वाधिक उपयुक्त स्थल हो सकता है, क्योंकि अधिकांश समस्यायें भूमि विवाद, सरकश व्यक्तियों द्वारा उत्पीड़न, शारीरिक हिंसा तथा जोर दबरदस्ती से सम्बन्धित होती है।

3. थाना स्तर पर उभय पक्ष तथा राजस्व एवं पुलिस विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में पक्षकारों की एक साथ सुनवाई कर पंचायती तरीके से अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही त्वरित निदान सम्भव हो सकता है।
4. थाना स्तर पर जन सामान्य के प्रति संवेदनशीलता का अभाव होने और लोगों के मन में थाना जाने के प्रति भय की भावना विद्यमान होने के कारण यह आवश्यक है कि इस प्रकार की कार्यवाही के दिन प्रत्येक थाने पर एक राजपत्रित अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर थानाध्यक्ष व पुलिस के विरुद्ध भी यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उक्त अधिकारी उसका संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक/जिलाधिकारी को अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं, इससे लोगों का थाने पर जाने में संकोच हटेगा तथा उनमें थाना जाने के प्रति व्याप्त भय की भावना भी समाप्त होगी और थाने में प्रभुत्व एवं अधिकारिता के माहौल में पंचायती ढंग से समस्याओं को निपटाने का प्रयास अपेक्षाकृत अधिक परिणामदायक हो सकता है।
3. इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु थाना पंचायत दिवस का आयोजन कराये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। इस सम्बन्ध में निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-
 - क. प्रत्येक शनिवार को थाना पंचायत दिवस का आयोजन प्रातः 10 बजे से किया जाय और उस दिन समस्त राजस्व एवं पुलिस कर्मी थाने पर उपस्थित रहेंगे।
 - ख. थाना पंचायत दिवस के अवसर पर उपस्थित होकर नेतृत्व प्रदान करने हेतु राजस्व एवं पुलिस विभाग के समस्त राजपत्रित अधिकारियों का एक रोस्टर बनाया जाय तो प्रत्येक तैमास बदला जाया करेगा।
 - ग. थाना पंचायत दिवस के अवसर पर प्राप्त शिकायतों में उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित कराकर राजस्व एवं पुलिस विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में उनका पक्ष जानकर आपसी सहमति से समस्या का निराकरण किया जायेगा। ऐसे निस्तारित प्रत्येक मामले का इन्द्राज जी०डी० में किया जायेगा, ताकि भविष्य में इसी सम्बन्ध में पुनः शिकायत का अवसर उत्पन्न होने पर उक्त इन्द्राज के आधार पर वैधानिक कार्यवाही करना सम्भव हो सके।

- घ. जिन मामलों में मौका मुवायना की आवश्यकता हो, उसमें 12.00 बजे के बाद पुलिस व राजस्व कर्मियों की टीमें गठित कर मौके पर भेजी जायेगी। महत्वपूर्ण प्रकरणों में थानाध्यक्ष, तहसीलदार, उप जिला मजिस्ट्रेट तथा क्षेत्राधिकारी की टीमें समस्या का निराकरण करेंगे।
- ड. थाना पंचायत दिवस में प्रधानों की भी उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाये। इससे समस्याओं के निराकरण में सुविधा रहेगी।
- च. थाना पंचायत दिवस का पूरा लाभ जनसामान्य को मिल सके, इसके लिये सभी सम्भव उपायों द्वारा इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाय।
- छ. इस सम्बन्ध में प्रगति समीक्षा जिलाधिकारी एवं मंडलायुक्त के स्तर पर की जायेगी। उनके द्वारा शासन को भी प्रति माह अवगत कराया जायेगा।

3.3.5 फायर सर्विस इकाई द्वारा किये जाने वाले निरीक्षणों की प्रक्रिया

क्र0 सं0	प्रतिष्ठान	पत्र/आदेश प्राप्ति का स्थान	निरीक्षण (द्वारा)	समयावधि
1	पेट्रोल/डीजल पम्प	जिलाधिकारी कार्यालय से	अग्निशमन अधिकारी	15 दिवस
2	पेटी/डीलर (फुटकर डीजल/पेट्रोल)	जिलाधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारी कार्यालय से	प्रभारी अग्निशमन अधिकारी	उपरोक्त
3	गैस एजेन्सी	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त
4	विस्फोटक पदार्थ	जिलाधिकारी कार्यालय से	उपरोक्त	उपरोक्त
5	सिनेमा हाल	जिलाधिकारी/मनोरंजनकर अधिकारी कार्यालय से	उपरोक्त	उपरोक्त
6	होटल/लाज/ रेस्टोरेन्ट धर्मशाला	जिलाधिकारी/पर्यटन अधिकारी कार्यालय से	उपरोक्त	उपरोक्त
7	व्यावसायिक भवन	कार्यालय विकास प्राधिकरण/ आवास विकास निगम	उपरोक्त	उपरोक्त
8	फैक्ट्री	कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र	उपरोक्त	उपरोक्त

3.3.6 जनपद इलाहाबाद में नियमन

3.3.6.1 जनपद इलाहाबाद नगर क्षेत्र में भारी व्यवसायिक वाहनों के प्रवेश व संचालन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश:-

(अ) भारी व्यावसायिक वाहन

8. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जो भारी वाहन कानपुर की तरफ से वाराणसी लखनऊ अथवा रीवां रोड की तरफ, लखनऊ से कानपुर या वाराणसी की तरफ अथवा वाराणसी से आने वाले कानपुर अथवा लखनऊ की तरफ जाना चाहते हैं सबका प्रवेश नगर क्षेत्र में समय 06.00 से 10.30 तक एवं 12.30 से 18.00 बजे तक पूर्णतः वर्जित है। प्रतिबन्धित समय के उपरान्त समस्त वाहन बिना रोक टोक के आते जाते हैं रविवार को यह प्रतिबन्ध नहीं है।
9. कानपुर की तरफ से आने वाली भारी वाहन लोकसेवा जी0टी0 जवाहर होते हुए वाराणसी अथवा रीवा रोड को एवं लखनऊ जाने हेतु लोक सेवा, तेलियरगंज होते हुए जाते हैं।
10. वाराणसी की तरफ से आने वाले व्यवसायिक वाहन जी0टी0 जवाहर लोकसेवा, हाई कोर्ट की तरफ से कानपुर व लखनऊ जाने के लिए लोकसेवा से तेलियरगंज की तरफ से तथा रीवां रोड जाने के लिए बिना रोक टोक के जी0टी0 जवाहर चौराहे होकर बांगड़ धर्मशाला से चले जाते हैं।
11. लखनऊ की तरफ से वाराणसी जाने हेतु तेलियरगंज लोकसेवा जी0टी0 जवाहर की ओर से अथवा फाफामऊ से बांये सहसो होते हुए चली जाती है। कानपुर जाने के लिए लोकसेवा से हाईकोर्ट की तरफ से या रीवां रोड जाने हेतु लोकसेवा जी0टी0 जवाहर से बांगड़ धर्मशाला से होते हुए चले जाते हैं।
12. रीवा की तरफ से वाराणसी जाने हेतु बेरोक टोक के बांगड़ जी0टी0 जवाहर होते हुए लखनऊ जाने हेतु जी0टी0 जवाहर लोकसेवा तेलियरगंज होते हुए एवं कानपुर जाने हेतु जीटी जवाहर लोकसेवा हाईकोर्ट हेतु चले जाते हैं।
13. कानपुर से वाराणसी जाने वाले वाहन जी0टी0 रोड बाईपास से चले जाते हैं। प्रयास किया जा रहा है कि वाराणसी से कानपुर व कानपुर से वाराणसी की ओर जाने वाले भारी वाहन शहर में प्रवेश न करने पाये।

(ब) यात्री वाहनों के संबंध में:-

(प) परिवहन निगम की बसों के संबंध में :-

- (अ) सिविल लाइन्स डिपो— शहर क्षेत्र से वाराणसी तथा जौनपुर जाने के लिए मेडिकल चौराहा, जी0टी0 सीमेन्टी, जी0टी0 जवाहर से शास्त्री ब्रिज होते हुए, लखनऊ/प्रतापगढ़/फैजाबाद/सुल्तानपुर जाने हेतु लोकसेवा आयोग, तेलियरगंज, फाफामऊ होते हुए रोडबेज की बसें जाती हैं।
- (ब) लीडर रोड डिपो— कानपुर/झाँसी/दिल्ली जाने के लिए पानी की टंकी चौफटका, धूमनगंज होते हुए चली जाती है।

(स) जीरो रोड बसेः— मिर्जापुर/रीवां/म०प्र० की तरफ जाने वाली समस्त बसे रामबाग, बांगड़ धर्मशाला, न्यू ब्रिज नैनी होते हुए चली जाती है।

(प) टैम्पो/टैक्सी स्टैण्ड व रूट

स्टैण्ड

कचहरी चौराहा:-

1. कचहरी, म्योहाल, लोक सेवा, मिश्र भवन, हनुमान मंदिर पूर्वी, मेडिकल चौराहा से रामबाग
2. कचहरी से म्योहाल, धोबी घाट, हाईकोर्ट, पानी टंकी रेलवे स्टेशन व चौफटका, धूमनगंज, मुण्डेरा को जाती है।
3. कचहरी से लक्ष्मी टाकीज चौराहा, बैंक रोड, तेलियरगंज।

रेलवे स्टेशन:-

रेलवे स्टेशन, जानसेनगंज, रामबाग बैरहना, आलोपीबाग होकर जाती है। वह पानी टंकी चौफटका, धूमनगंज, बमरौली तक जाती है। रेलवे स्टेशन से जानसेनगंज, लोकसेवा, म्योहाल कचहरी।

रामबाग:-

रामबाग बागड़ धर्मशाला, लेप्रोगी तिराहा, नैनी तक जाते हैं।

नगरीय एवं उप नगरीय बस सेवा:-

जे०एन०एन० यू०आर०ए० के अन्तर्गत लो फ्लोर बसें अंदावा से बम्हरौली तथा रेमण्ड से फाफामऊ तक चलती हैं एवं इसी योजना के अन्तर्गत मिनी बसें कचहरी से हनुमानगंज, कचहरी से कोरांव, शंकरगढ़, हण्डिया, कुण्डा आदि जगहों को जाती हैं। पूर्व में प्रचलित महानगर बस सेवा को जनपद की परिवहन विभाग की डिपो से सम्बद्ध कर दिया गया है।

नगर क्षेत्र में एकल दिशा यातायात व्यवस्था :-

निरंजन टाकिज की तरफ से आने वाला यातायात जानसेनगंज चौराहे से रेलवे स्टेशन की ओर एवं बायें स्वामी विवेकानन्द मार्ग की ओर जा सकेगा किन्तु नेताजी सुभाष मार्ग पर नहीं जायेगा। घण्टाघर चौराहे से जानसेनगंज की तरफ जाने वाला यातायात जानसेनगंज चौराहे से बाये रेलवे स्टेशन सामने निरंजन टाकिज एवं दाहिने विवेकानन्द मार्ग की ओर जा सकता है। इस मार्ग से किसी तरफ का यातायात घण्टाघर की ओर नहीं जायेगा।

जीरो रोड से स्वामी विवेकानन्द मार्ग जाने के लिए हिन्दी साहित्य सम्मेलन मार्ग का प्रयोग किया जायेगा।

घण्टाघर से जी०टी० रोड की ओर आने वाला यातायात बिसाता पटरी की ओर से आयेगा। जीटी रोड से घण्टाघर की ओर जाने वाला यातायात बिसाता पटरी की तरफ से जायेगा।

3.3.6.2 मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध व जुर्माना

क्र. सं.	अपराध का विवरण	धारा	अधिकतम जुर्माना व सजा
1	मोटर चालक द्वारा बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना	3 / 181	250—500
2	किसी अवयस्क द्वारा मोटर गाड़ी चलाना या उससे चलवाना	4 / 181	500 व 3 माह का कारावास व दोनों
3	बिना लाइसेंस गाड़ी चलवाना	5 / 181	1000 व 3 माह करावास या दोनों
4	बिना पंजीकरण गाड़ी को चलाना	39 / 192	2000—3000 जुर्माना या 6 माह का कारावास या दोनों
5	बिना फिटनेस कराये गाड़ी चलाना	56 / 192	2000—3000 या 6 माह का कारावास या दोनों
6	परमिट के नियमों का उल्लंघन करना या बिना परमिट गाड़ी चलाना	66 / 192	2000—3000 या 6 माह का कारावास या दोनों
7	गति सीमा से अधिक गाड़ी चलाना	112 / 183	400—1000
8	एकल दिशा मार्गों के नियमों का उल्लंघन करना	115 / 194	1000—2000
9	वैधानिक प्रतिबन्धों का उल्लंघन करना या यातायात नियमों का उल्लंघन करना	115 / 194	1000—2000
10	शांति क्षेत्र में आज्ञाओं का उल्लंघन करना (वर्जित क्षेत्र)	115 / 194	1000—2000

11	प्रतिबन्धित क्षेत्र में गाड़ी खड़ी करना	115 / 194	1000–2000
12	बिना किसी संकेत के स्टेयरिंग का बायी तरफ होना	120 / 177	100–300
13	यातायात चिन्हों का पालन न करना	119 / 177	100–300
14	बिना संकेत के गाड़ी चलाना	121 / 177	100–300
15	खतरनाक दशा में गाड़ी खड़ी करना जिससे यातायात बाधित हो	122 / 177	100–300
16	गाड़ी की छत बोनट पायदान पर बैठकर यात्रा करना या ले जाना	123 / 177	100–300
17	बिना टिकट यात्री वाहन में यात्रा करना	124 / 178	200–300
18	किसी दुपहिया वाहन पर दो सवारी से अधिक बैठाना	128 / 177	150–300
19	बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चालाना	129 / 177	150–300
20	किसी मोटर चालक से लाइसेंस व गाड़ी के कागज मांगने पर पेश न करना	130 / 177	150–300

21	किसी कन्डेक्टर के द्वारा उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांगने पर पेश न कर पाना	130 / 177	150–300
22	किसी टैक्सी या तिपहिया टैम्पो द्वारा सवारी ले जाने से इन्कार करना	178(3)	50–200
23	पुलिस अधिकारी द्वारा गाड़ी रोकने पर न, रोकना	132 / 179	250–500
24	स्टाप लाइन का उल्लंघन	17 / 177	100–300
25	दोषपूर्ण नम्बर प्लेट का वाहन में लगा होना	16 / 177	100–300
26	अधिक धुआँ वाहन से निकलना	190(2)	1000–2000
27	बिना इन्श्योरेंस के वाहन चलाना	146 / 196	100 व 3 माह का कारावास या दोनों
28	भार वाहन में पशुओं को ले जाना	59 / 177	150–300
29	भार वाहन में अधिक यात्री बैठाकर चलाना	46 / 177	150–300
30	पुलिस द्वारा दिये गये संकेतों का उल्लंघन	119 / 177	300–500
31	बांये से गाड़ी को ओवरट्रैक करना	110 / 177	100–300
32	बेतहाशा खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना	184 / 202	1000–2000 2 वर्ष कारावास या दोनों
33	शराब या अन्य किसी मादक पदार्थ का सेवन करके वाहन चलाना	185 / 202	1000–2000 2 वर्ष का कारावास या दोनों
34	मालिक की बिना अनुमति के गाड़ी ले जाना अथवा चलाना	197 / 202	1000–2000 2 वर्ष कारावास या दोनों
35	चालक द्वारा अपने दाहिने बैठाकर वाहन चलाना	125 / 177	100–300
36	गाड़ी के रनिंग बोर्ड में सवारी लादना, पायदान, छत पर, बोनट पर या गाड़ी के बाहर लटकाकर चलना	123 / 177	100–300

उपरोक्त धाराओं में किसी भी वाहन के अभिलेखों को चेक करने तथा संगत अपराध के अनुसार चालान करने की शक्ति जनपद के हेठों (प्रोन्नति वेतनमान) एवं उसके ऊपर के समस्त अधिकारियों में निहित है। अधिनियम के अन्तर्गत उक्त धाराओं के उल्लंघन पर मौके पर ही संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा चालान किया जाता है। तीन प्रतियों में चालान की प्रविष्टियां की जाती है जो कि तीन विभिन्न रंगों की होती है। लाल रंग की प्रति को न्यायालय/क्षेत्राधिकारी कार्यालय भेजा जाता है, पीले रंग की प्रति को वाहन चालक को दिया जाता है तथा सफेद प्रति को कार्यालय में रिकार्ड के रूप में रखा जाता है। जनपद में उक्त अधिनियमों में समायोजन संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा 15 दिवस तक किया जाता है। 15

दिवस के अन्दर यदि वाहन चालक समायोजन कराने हेतु उपस्थित नहीं होता है तो संबंधित प्रपत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यालय भेज दिये जाते हैं। साथ ही वाहनों की चेकिंग एवं उनका समायोजन/समन शुल्क जमा करने का अधिकार समस्त थाना प्रभारियों को दे दिया गया है। समन शुल्क से प्राप्त धन पुलिस कार्यालय के आंकिक शाखा में जमा कराया जाता है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या परमिट आदि के बिना उपयोग किये गये वाहनों को निरुद्ध किया जाता है जिनका समायोजन केवल संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही होता है।

3.3.7 स्थानीय अभिसूचना ईकाई द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया

3.3.7.1 एफ0आर0ओ0 (विदेशी पंजीकरण अधिकारी) के संबंध में

जनपद के प्रभारी पुलिस अधीक्षक एफ0आर0ओ0 होते हैं जिनके पाक/बांगलादेश व विदेशी नागरिकों के संबंध में अलग-अलग कर्तव्य हैं।

(अ) विदेशी शाखा/विदेशी नागरिकों के संबंध में:-

पाकिस्तान व बांगलादेश को छोड़कर अन्य देशों के नागरिक विदेशी कहलाते हैं विदेशी नागरिकों के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, विदेशी पंजीकरण अधिकारी के हैसियत से कार्य करते हैं। जनपद में विदेशी नागरिक 02 प्रकार के बीजा अवधि पर आते हैं। एक तो 180 दिन से कम के बीजा पर दूसरे 180 दिन के अवधि के अधिक के बीजा पर विदेशी जो आते हैं उनका पंजीकरण निम्न प्रकार होता है।

(1) 180 दिन से कम का बीजा लेकर जनपद में आये विदेशियों का पंजीकरण नहीं होता है केवल सूचना विदेशियों द्वारा या जिनके यहां ठहरे हैं के द्वारा दी जाती है।

(2) 180 दिन से अधिक के बीजा अवधि पर आये विदेशियों का 14 दिवस के अन्दर पंजीकरण होता है जिसकी सूचना गृह मंत्रालय नई दिल्ली व पुलिस अधीक्षक (एफ0) वि0शा0 अभि0 वि0 उ0प्र0 को प्रेषित की जाती है।

विदेशियों के निवास वृद्धि का अधिकार भी एफ.आर.ओ. निहित होता है।

(ब) पाकिस्तानी/बांगलादेशी नागरिकों के संबंध में :-

पाक बांगलादेशी नागरिकों के मामले में एफ0आर0ओ0 सिविल अथॉरिटी की हैसियत से कार्य करते हैं। जनपद में आये हुए पाक नागरिकों का पंजीकरण करके ठहरे हुए अवधि में उनके निगरानी कराते हुए समय से पाक रखाना करने की जिम्मेदारी भी सिविल अथॉरिटी/एस0एस0पी0 की होती है।

पाक/बांगलादेशी नागरिकों की बीजा वृद्धि करने के संबंध में सभी अधिकार शासन को प्रदत्त है। सिविल अथॉरिटी द्वारा संस्तुति सहित अग्रसारित करने पर एल0टी0वी0 पर रह रहे पाक नागरिकों को एक्सटेन्सन शासन स्तर पर प्राप्त होता है वर्तमान में एस0टी0वी0 पर (180 दिन से कम) आये हुए पाक नागरिकों की बीजा वृद्धि पर शासन द्वारा रोक लगायी गयी है।

पाक/विदेशी मामलों से संबंधित कार्यवाही एल0आई0यू0 कार्यालय में स्थित पाक/विदेशी शाखा से सम्पादित की जाती है जिसमें प्रभारी तौर पर एक उ0नि0 की नियुक्ति होती है।

3.3.7.2 पासपोर्ट

(अ) कार्यवाही का चरण:- पासपोर्ट आवेदन करने वाले व्यक्ति अपना आवेदन पत्रों को निम्न स्थानों पर जमा कर सकते हैं।

3. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी कार्यालय, लखनऊ।
4. कार्यालय जिलाधिकारी, इलाहाबाद।

जमा आवेदन पत्रों को संबंधित जनपद के पुलिस प्रमुख को प्रेषित किया जाता है। आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात् संबंधित जनपद के पुलिस अधिकारियों (उ0नि0 व हे0कां0(प्रो0)) द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के एक प्रति जिसमें आवेदन करने वाले व्यक्ति के वैयक्तिक विवरण अंकित होते हैं की जांच की जाती है तथा वैयक्तिक विवरण पत्र के दूसरे प्रति को आतंकवादी व अन्य राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के विषय में जानकारी करने हेतु अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ प्रेषित किया जाता है। अभि0 मुख्यालय से प्राप्त जांच आख्या तथा जनपद के थानों व एल0आई0यू0 से प्राप्त जांच आख्या के आधार पर एक अलग आख्या बनाकर नोडल अधिकारी (जी0ओ0) के हस्ताक्षर द्वारा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ या जिलाधिकारी कार्यालय प्रेषित किया जाता है।

पासपोर्ट कार्यालय द्वारा प्राप्त जांच आख्या के आधार पर वरीयतानुसार पासपोर्ट जारी किये जाते हैं जो डाकखाना के माध्यम से आवेदक को प्राप्त कराये जाते हैं।

(ब) कार्यवाही किसके द्वारा अपेक्षित :— आवेदन पत्र जमा होने के पश्चात् निम्न स्तर पर कार्यवाही होती है।

(1) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी/ जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा संबंधित जनपदों के पुलिस प्रभारियों को

वैयक्तिक विवरण पत्र जांच हेतु उपलब्ध कराये जाते हैं।

- (2) जनपद पुलिस / एल0आई0य० / अभिसूचना मुख्यालय द्वारा जांच की जाती है।
- (3) जांच आख्या नोडल अधिकारी (जी0ओ0) के हस्ताक्षर से पासपोर्ट कार्यालय प्रेषित की जाती है।
- (स) कार्यवाही की अवधि:-

जनपद में प्राप्त पासपोर्ट आवेदन पत्रों की पुलिस/अभिसूचना जाँच रिपोर्ट 20 दिन के अन्दर पासपोर्ट कार्यालय को प्रेषित किया जाने का निर्देश है। इसके पश्चात् पासपोर्ट कार्यालय द्वारा वरीयता के आधार पर पासपोर्ट जारी किये जाने का प्राविधान है।

3.3.8 सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने से संबंधित प्रक्रिया

शासनादेश संख्या 1773/छ-पु-2-2001-700(1)/2001 दिनांक 25.04.01 के अनुसार गनर/शैडो की अनुमन्यता हेतु जीवन भय का सही आकलन करने के लिये जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित होती है जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक (अभिसूचना) स्थानीय अभिसूचना ईकाई सदस्य होते हैं।

जिन व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक हो, जनपदीय समिति द्वारा उनके जीवन भय का आकलन कर स्थानीय स्तर पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था निम्नलिखित मानकों के आधार पर उपलब्ध करायी जाती है।

3.3.7.1 सुरक्षा व्यवस्था संबंधी मानक

श्रेणी	सुरक्षा का स्तर	व्ययभार का प्रतिशत
सांसद/विधायक	(क) एक सुरक्षाकर्मी (ख) औचित्य पाये जाने पर एक अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी सादे वस्त्रों में	(क) निःशुल्क (ख) 25 प्रतिशत पर
निर्वर्तमान सांसद/विधायक	औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी	10 प्रतिशत पर
प्रदेश स्तरीय शासकीय निगमों के अध्यक्ष/जिला पंचायत अध्यक्ष नगर प्रमुख/कुलपति	औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी	10 प्रतिशत पर
प्रदेश स्तर पर पंजीकृत मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष	औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी	10 प्रतिशत पर
अन्य किसी व्यक्ति को आवश्यकतानुसार जनपदीय समिति की संस्तुति पर	औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षाकर्मी	10 प्रतिशत पर
जघन्य अपराध होने पर पैरवी करने वाला/गवाह	औचित्य पाये जाने पर सुरक्षा कर्मी की सामान्य व्यवस्था	समिति के निर्णय के अनुसार

शासनादेश सं0-2301/6-पु0-2-2004-700(1)-2001 दिनांक 18.06.04 द्वारा जिला पंचायत अध्यक्षों को पदेन एक गनर निःशुल्क देने का प्राविधान है।

किसी महानुभाव द्वारा सुरक्षा हेतु आवेदन पत्र देने पर जनपदीय समिति द्वारा उसके जीवन भय का आकलन किया जायेगा जनपदीय समिति की संस्तुति पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा एक माह के लिये सुरक्षाकर्मी स्वीकृत किया जा सकता है जिसे आवश्यकता पड़ने पर एक माह दो बार यानी कुल 3 माह तक बढ़ायी जा सकती है। इससे अधिक अवधि के लिये सुरक्षा की आवश्यकता होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से जनपदीय समिति की संस्तुति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी जिस पर विचारोपरान्त शासन द्वारा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जायेगा।

जनपद स्तर पर प्रदत्त सुरक्षा व्यवस्था (मान0 सांसद/विधायक/मामंत्री गण उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के मान0 न्यायमूर्ति एवं श्रेणी बद्ध संरक्षित महानुभावों को अनुमन्य सुरक्षा व्यवस्था को छोड़कर) की समीक्षा जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक माह की जाती है।

भुगतान पर सुरक्षाकर्मी देने से पूर्व कम से कम एक माह का व्यय भार अग्रिम जमा कराया जायेगा यदि उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व संरक्षित व्यक्ति द्वारा अग्रिम व्यय भार जमा नहीं कराया जाता है तो जमा करायी गयी धनराशि की अवधि समाप्त होते ही सुरक्षा कर्मी वापस ले लिया जाता है।

100 प्रतिशत निजी व्ययभार पर सुरक्षा कर्मी प्रदत्त करने पर ₹0 16130/- प्रतिमाह तथा 10 प्रतिशत पर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने पर ₹0 1613/- प्रतिमाह धनराशि पुलिस मुख्यालय उ0प्र0 इलाहाबाद के निर्देशानुसार पुलिस कार्यालय की आंकिक शाखा में जमा करायी जाती है।

3.3.9 शस्त्र लाइसेन्स संस्तुति किये जाने की प्रक्रिया

क्र0 सं0	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1.	जिलाधिकारी कार्यालय से शस्त्र प्रार्थना पत्र की प्राप्ति, सम्बन्धित एस0डी0एम0 / ए0सी0एम0 कार्यालय से	अपर पुलिस अधीक्षक	कार्य दिवस / कार्यालय अवधि में किसी भी समय
2	संबंधित थाने को अपराधिक इतिहास व आमशोहरत तथा सत्यापन हेतु जांच किया जाना	संबंधित प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष	15 दिवस में
3	डीसीआरबी द्वारा जनपद में किये जगये अपराध के संबंध में जांच किया जाना	प्रभारी डीसीआरबी	03 दिवस में
4	संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच किया जाना	संबंधित क्षेत्राधिकारी	06 दिवस में
5	अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच किया जाना	अपर पुलिस अधीक्षक	06 दिवस में
6	जिलाधिकारी कार्यालय को लाइसेन्स प्रार्थना पत्र संस्तुति/असंस्तुति सहित भेजा जाना	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नियुक्त कर्मी द्वारा	अविलम्ब

शस्त्र लाइसेन्स के नवीनीकरण के लिये आवेदक संबंधित थाने में प्रार्थना पत्र देता है, थानाध्यक्ष की आख्या के आधार पर जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा शस्त्र लाइसेन्स का नवीनीकरण किया जाता है। यह प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि के पश्चात् अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

3.3.10 विभिन्न प्रकार के चरित्र प्रमाण—पत्र निर्गत किये जाने की प्रक्रिया

3.3.10.2 प्राइवेट वेरीफिकेशन

क्र0 सं0	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1.	आवेदक द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2.	चरित्र प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित 20 रु0 शुल्क के रूप में लिया जाना	आंकिक कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
3.	चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	1 दिवस
4.	संबंधित थाने पर जांच व सत्यापन	संबंधित थानाध्यक्ष / उ0नि0 द्वारा	06 दिवस में
5.	एल0आई0यू0 द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	क्षेत्राधिकारी एल0आई0यू0 द्वारा	06 दिवस में
6.	चरित्र सत्यापन निर्गत किया जाना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा	01 दिवस में

3.3.10.2 पुलिस वेरीफिकेशन

क्र0 सं0	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1	पुलिस विभाग में चयनित पुलिस कर्मियों के सत्यापन पुलिस कर्मी के नियुक्ति स्थल से कर्मी के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में

2	चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
3	संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	संबंधित थानाध्यक्ष/उ0नि0 द्वारा	03 दिवस में
4.	एल0आई0यू0 द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	क्षेत्राधिकारी एल0आई0यू0 द्वारा	03 दिवस में
5.	चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

3.3.10.3 सर्विस वेरीफिकेशन

क्र0 सं0	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1	सरकारी विभाग में चयनित सरकारी कर्मियों के सत्यापन सरकारी कर्मी के नियुक्ति स्थल से कर्मी के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2	चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
3	संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	संबंधित थानाध्यक्ष/उ0नि0 द्वारा	03 दिवस में
4.	एल0आई0यू0 द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	क्षेत्राधिकारी एल0आई0यू0 द्वारा	03 दिवस में
5.	चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजना जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

3.3.10.4. मिलिट्री सर्विस वेरीफिकेशन

क्र0 सं0	कार्य	किसे स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1.	मिलिट्री विभाग में चयनित सैन्य कर्मियों के सत्यापन सैन्य कर्मी के नियुक्ति स्थल से कर्मी के मूल निवास सिल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2.	चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	तत्काल
3.	संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	संबंधित थानाध्यक्ष/उ0नि0 द्वारा	03 दिवस में
4.	एल0आई0यू0 द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	क्षेत्राधिकारी एल0आई0यू0 द्वारा	03 दिवस में
5.	चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

3.3.10.5 ठेकेदारी वेरीफिकेशन

क्र0 सं0	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1	जिलाधिकारी कार्यालय से आवेदन पत्र मय शपथ—पत्र के पुलिस कार्यालय में प्राप्त	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2	चरित्र प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित 20 रु0 शुल्क के रूप में लिया जाना	आंकिक कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
3	चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
4	संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा सत्यापन को संस्तुति/असंस्तुति करना	संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा	07 दिवस में
5	एल0आई0यू0 द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	क्षेत्राधिकारी एल0आई0यू0 द्वारा	07 दिवस में
6	चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

4. कर्तव्यों के सम्पादन हेतु अपनाये जाने वाला मानदण्ड

4.1 जनपद स्तर पर विभिन्न प्रकार की जांचों के लिए निर्धारित किये गये मापदण्ड

क्र०सं०	कार्य	कार्यवाही हेतु निर्धारित मापदण्ड
1	अनुसंधान/विवेचना	दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं प्रचलित नियमों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में
2.	थानों पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना	07 दिवस
3	पुलिस अधीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना	15 दिवस
4	पुलिस अधीक्षक को विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना	12 दिवस
5	फायर सर्विस ईकाई द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण	15 दिवस
6	पासपोर्ट की जाँच	उ०प्र० शासन के पत्र सं० 616भा/छ: वीजा अनुभाग-4-2005- 17/2/64/99 दिनांक 21-10-2005 के अनुसार 20 दिवस में
7	शस्त्र लाइसेन्स की संस्तुति किया जाना	30 दिवस
8	प्राइवेट वेरीफिकेशन	14 दिवस
9	पुलिस वेरीफिकेशन	06 दिवस
10	सर्विस वेरीफिकेशन	06 दिवस
11	मिलीट्री सर्विस वेरीफिकेशन	06 दिवस
12	ठेकेदारी वेरीफिकेशन	21 दिवस

4.2 पुलिस आचरण के सिद्धान्त

14. भारतीय संविधान में पुलिस जन की सम्पूर्ण निष्ठा व संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गये अधिकारों का पूर्ण सम्मान करना।
15. बिना किसी भय पक्षपात अथवा प्रतिशोध की भावना के समस्त कानूनों का दृढ़ता व निष्पक्षता से निष्पादन करना।
16. पुलिस जन को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों की परिसीमाओं पर पूरा नियंत्रण रखना।
17. कानून का पालन कराने अथवा व्यवस्था बनाये रखने के काम में जहां तक सम्भव हो समझाने बुझाने का प्रयास यदि बल प्रयोग करना अनिवार्य हो तो कम से कम बल प्रयोग करना।
18. पुलिस जन का मुख्य कर्तव्य अपराध तथा अव्यवस्था को रोकना।
19. पुलिस जन को यह ध्यान में रखना कि वह जनसाधारण का ही अंग है तथा वे वही कर्तव्य कर रहे हैं जिनकी विधान ने समान नागरिकों से अपेक्षा की है।
20. प्रत्येक पुलिस जन को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सफलता पूरी तरह से नागरिक सहयोग पर आधारित है।
21. पुलिस जन को नागरिकों के कल्याण का ध्यान उनके प्रति सहानुभूति व सद्भाव हृदय में रखना।
22. प्रत्येक पुलिस जन द्वारा विषम परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन एवं धैर्य बनाये रखना और दूसरों की सुरक्षा हेतु अपने प्राणों तक को उत्सर्ग कराने के लिए तत्पर रहना।
23. हृदय से विशिष्टता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, आत्मगौरव व साहस से जनसाधारण का विश्वास जीतना।
24. पुलिस जन को व्यक्तिगत तथा प्रशासनिक जीवन में विचार, वाणी व कर्म में सत्यशीलता व ईमानदारी बनाये रखना।
25. पुलिस जन को उच्चकोटि का अनुशासन रखते हुए कर्तव्य का विधि अनुकूल सम्पादन करना।
26. सर्वधर्म सम्भाव एवं लोकतांत्रिक राज्य के पुलिस जन होने के नाते समस्त जनता में सौहार्द व भाई चारे की भावना जागृत करने हेतु सतत प्रयत्नशील रहना।

5. कर्तव्यों के निर्माण हेतु अपनाये जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, निर्देशिका व अभिलेख

क्र0सं0 अधिनियम, नियम, रेग्युलेशन का नाम

68. पुलिस अधिनियम 1861
69. भारतीय दण्ड संहिता 1861
70. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973
71. उत्तर प्रदेश पुलिस रेग्युलेशन 1861
72. उत्तर प्रदेश पुलिस कार्यालय मैनुअल 1861
73. साक्ष्य अधिनियम 1872
74. आर्म्स एक्ट 1959
75. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955
76. अनु0जाति व अनु0जनजाति0 अधिनियम 1989
77. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949
78. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (उ0प्र0 संशोधन अधिनियम 1978)
79. चोर बाजारी नियम 1980 और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980
80. खाद्य अपमिश्रण नियम 1954
81. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
82. पशु अतिचार अधिनियम 1861
83. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988
84. बन्दी अधिनियम 1900
85. सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867
86. किशोर न्याय अधिनियम 1986
87. दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961
88. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980
89. स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985

90. स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988
91. बन्दियों की शिनाख्त अधिनियम 1930
92. लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1980
93. विस्फोटक अधिनियम 1984
94. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908
95. कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984
96. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958
97. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956
98. महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिशोध अधिनियम 1986
99. भारतीय वन अधिनियम 1927
100. वन संरक्षण अधिनियम 1980
101. विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 2004
102. बन्दी न्यायालयों में उपस्थिति अधिनियम 1955
103. विष अधिनियम 1919
104. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993
105. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया विनियम 1994
106. रेल अधिनियम 1989
107. रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957
108. रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1966
109. पुलिस बल (अधिकारों पर निर्बन्धन) अधिनियम 1966
110. पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम 1922
111. राज्य सशस्त्र पुलिस बलों (कानूनों का विस्तार) अधिनियम 1952
112. केबिल दूरदर्शन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995
113. ब्याज अधिनियम 1978
114. उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम 1986
115. उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970
116. उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग 1999
117. उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण नियमावली 1970
118. उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976
119. उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सशस्त्र आरक्षक वर्ग अधिनियम 1948
120. उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावी क्षेत्र अधिनियम 1983
121. उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा नियमावली 1979
122. उत्तर प्रदेश अग्नि शमन सेवा अधिनियम 1944
123. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील नियमावली) 1991
124. उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील नियमावली) 1999
125. उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955
126. उत्तर प्रदेश गोवध निवारण नियमावली 1964
127. उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम 1964
128. उत्तर प्रदेश गोशाला नियमावली 1964
129. उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग अधिनियम 1994
130. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000
131. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
132. वित्तीय हस्त पुस्तिका
133. समय—समय पर निर्गत शासनादेश
134. उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत परिपत्र व अन्य निर्देश
- इसके अतिरिक्त तत् समय प्रचलित अन्य विधियां भी पुलिस कार्य प्रणाली को सशक्त एवं विनियमित करती है।
6. **विभाग द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों की श्रेणी**
- 6.2 **विभिन्न थानों व अन्य कार्यालयों में रखे जाने वाले अभिलेख**

क्र० सं०	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1	प्रथम सूचना रिपोर्ट	अपराधों के संबंध में दी गई सूचनाएं एवं विवेचक के संबंध में	सभी पुलिस थानों पर	तीन साल
2	दैनिकी सामान्य	सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस अधिनीकन/कर्मचारीगण की रवानगी वापसी ड्यूटी का विवरण	सभी पुलिस थानों व पुलिस लाइन में	एक साल थाने पर उसके बाद 5 साल तक पुलिस कार्यालय के रिकार्ड रूम में
3	सभी स्टैण्डिंग आर्डर	पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस अधिनीकन/कर्मचारी दिये गये निर्देशों का विवरण	सभी शाखा व थानों पर	स्थायी रूप से रखा जाएगा राजपत्रित अधिनीकन के आदेश पर ही नष्ट होगी
4	भगोड़ा (मफरूर) रजिस्टर	सभी फरार अपराधियों का विवरण	सभी थानों पर	5 वर्ष
5	रोकड़ बही	धनराशि की आमद व खर्च का विवरण	सभी थाने/पुलिस लाइन में	एक वर्ष थाना इकाई उसके बाद 9 वर्ष तक पुलिस आफिस रिकार्ड रूम में
6	आरोप पत्र	अभियोगों में प्रेषित पुलिस रिपोर्ट	सभी पुलिस थाने पर	एक साल
7	चिक खुराक	अभियुक्तों के भोजन व्यय किराया व्यय आदि की प्रतिपूर्ति है	सभी थाने पर	तीन साल
8	356 द0प्र0सं० के अधीन दोष सिद्ध अपराधी रजिस्टर	उक्त नियमानुसार दोष सिद्ध अपराधियों का विवरण	"	जब सभी कैदियों की अवधि समाप्त हो चुकी हो
9	432 द0प्र0सं० के अधीन सशर्त मुक्त किये गये कैदी रिकार्ड रजिस्टर	"	"	"
10	गोपनीय साप्ताहिक रिपोर्ट	थाना क्षेत्र की साम्प्रदायिक राजनैतिक व अन्य गतिविधियों की गोपनीय सूचना	"	एक साल
11	अपराध रजिस्टर	थानाक्षेत्र में हुए अपराधिक घटनाओं का विवरण	सभी थाने पर	पांच साल
12	चौकीदारों का अपराध नोट बुक	चौकीदार के ग्राम में घटित घटनाओं का विवरण	सूची चौकीदारों के पास	चौकीदार को जब तक नई नोट बुक प्रदान न की जाय
13	ग्राम अपराध रजिस्टर (रजिनो 8)	उस गांव में घटित होने वाले अपराध का विवरण	सभी थानों पर	स्थायी रूप में
14	डिफाल्टर रजिस्टर	कर्मचारी की त्रुटि व उसके लिए दी गई हिदायत का उल्लेख	सथी थानों/पुलिस लाइन में	एक साल पूर्ण होने के बाद

15	केस डायरी	विवेचना में कृत कार्यवाही का विवरण	सभी थानों/विवेचकों के पास	पांच साल
16	अन्तिम रिपोर्ट	अभियोग में विवेचनोपरान्त प्रेषित रिपोर्ट	सभी थाने पर	एक साल
17	अगुष्ठ छाप रजिस्टर	अपराधियों का नाम पता जिसका अगुष्ठछाप लिया गया है।	सथी थाने पर	स्थायी रूप से
18	चिक गैरदस्तन्दाजी	अहस्तक्षेपीय अपराधों की सूची	”	तीन साल
19	गिरोह रजिस्टर	पंजीकृत गैगो का विवरण	सभी थाने पर व डीसीआरबी में	पूर्ण होने के पांच साल तक
20	मरम्मत रजिस्टर	मरम्मत के लिये प्राप्त धन व उसके व्यय का विवरण	सभी थानों पर	दो साल
21	जांच पर्ची 'अ'	थानाक्षेत्र के दुराचारियों के बाहर जाने पर जारी किया जाने वाला पत्र	”	तीन साल
22	जांच पर्ची 'ब'	थानाक्षेत्र में मिलने वाले संदिग्ध आचरण के व्यक्तियों के लिये जारी पत्र	”	”
23	सूची हिस्ट्रीशीट	दुराचारियों का विवरण	”	स्थायी रूप से
24	पंचायतनामा जिल्ड	अस्वाभाविक मृत्यु की जांच का विवरण	सभी थानों पर	एक साल
25	निरीक्षण पुस्तिका	निरीक्षण का विवरण	सभी थानों पर व शाखाओं में	पांच साल
26	माल मसरुका रजिस्टर	चोरी/लूटी गई एवं बरामद सम्पत्ति का विवरण	सभी थानों पर	पांच साल
27	रिमाण्डशीट पु0प्रपत्र	अभियुक्तों को रिमाण्ड के लिए अनुरोध पत्र	सभी थानों पर	एक साल
28	मजिस्ट्रेटों के लिए निरीक्षण पुस्तिका	मजिस्ट्रेटों के द्वारा निरीक्षण के दौरान उल्लेख	सभी थानों पर	पूर्णता से 5 साल तक
29	109 धारा के अन्तर्गत कार्यवाही	संदिग्ध अपराधियों को पाबन्द कराने हेतु	”	दो वर्ष
30	110 सीआरपीसी के अन्तर्गत कार्यवाही	अभ्यस्त अपराधियों को पाबन्द कराने हेतु	”	”
31	थानाध्यक्ष की गोपनीय पुस्तिका	क्षेत्र की गोपनीय अभिसूचनायें	”	स्थाई
32	परिपत्र अनुदेशों की फाइल	परिपत्रों संबंधी निर्देश	”	”
33	परिपत्र अनुदेशों की फाइल	परिपत्रों संबंधी निर्देश	”	”
34	अपराधी जनजातियों का रजिस्टर	अपराधियों जनजातियों के संबंध में	समस्त थानों पर	उनके मृत्यु तक
35	सक्रिय अपराधी रजिस्टर	क्षेत्राधिकारी द्वारा अनुमोदित क्षेत्र के सक्रिय अपराधों की सूची	”	निगरानी उचित समझे जाने तक
36	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	”	5 वर्षों तक
37	आर्डर बुक न्यायालय	कोर्ट प्रोसीजर की सूची	”	5 वर्षों तक
38	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	”	5 वर्षों तक

39	भवन रजिस्टर	थाने की खसरा खतौनी व भवनों के संबंध में।	"	स्थायी
40	गुमशुदगी रजिस्टर	गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में।	"	स्थायी
41	गिरफ्तारी रजिस्टर	गिरफ्तार व्यक्तियों के संबंध में सूचना	"	5 वर्षों तक
42	जमानत रजिस्टर	गिरफ्तार व्यक्तियों के संबंध में सूचना	"	5 वर्षों तक
43	काज लिस्ट रजिस्टर	न्यायालय द्वारा अभियोजन की तिथियों व कार्यवाही का विवरण	"	5 वर्षों तक
44	जनशिकायत रजिस्टर	थाना कार्यालय/अन्य कार्यालय में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र	समस्त थानों/कार्यालय में	2 वर्षों तक
45	किरायेदार सत्यापन रजिस्टर	क्षेत्र के किरायेदारों के सत्यापन के संबंध में	समस्त थानों पर	स्थायी
46	नियुक्ति रजिस्टर	थाने पर नियुक्त रहे कर्मचारियों के संबंध में	"	स्थायी
47	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	समस्त कार्यालयों में	1 वर्ष तक

6.2 क्षेत्राधिकारी स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख

क्र0 सं0	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1.	अपराध रजिस्टर	सर्किल में पंजीकृत अभियोगों व केस डायरियों का संक्षिप्त विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	05 वर्ष तक
2.	जेड रजिस्टर	केस डायरियों को न्यायालय भेजने के दिनांक सहित संक्षिप्त विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	स्थायी
3.	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	05 वर्ष तक
4.	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक
5.	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	05 वर्ष तक
6.	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	01 वर्ष तक
7.	विशेष अपराध पत्रावलियाँ	विशेष अपराधों का विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	05 वर्ष तक
8	जाँच पत्रावलियाँ	शिकायतों की जाँच के संबंध में	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	05 वर्ष तक

6.4 अपर पुलिस अधीक्षक स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख

क्र0	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/शाखा जहाँ	अवधि जब तक
------	-------------------	-----------------------	----------------	------------

सं0			उपलब्ध होगी	उपलब्ध होगी
1.	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	05 वर्ष तक
2.	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक
3.	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	05 वर्ष तक
4.	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	05 वर्ष तक
5.	नियुक्ति रजिस्टर	क्षेत्र के थानों पर नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	स्थायी
6.	जाँच पत्रावलियाँ	शिकायतों की जाँच के संबंध में	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	05 वर्ष तक

6.5 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख

क्र0 सं0	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1.	राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय सेवा	राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय सेवा अभिलेख	आशुलिपिक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोपनीय कार्यालय में	स्थायी
2.	हिस्ट्रीशीट इन्डेक्स	जनपद के दुराचारियों का विवरण	वाचक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	स्थायी
3.	पुरस्कार रजिस्टर	जनपद के पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियों की सूची	वाचक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	05 वर्ष तक
4.	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	शिकायत प्रकोष्ठ कार्यालय में	05 वर्ष तक
5.	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	प्रधान लिपिक कार्यालय	अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक
6.	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	वाचक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	05 वर्ष तक
7	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	वाचक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	01 वर्ष तक

8	नियुक्ति रजिस्टर	क्षेत्र के थानों पर नियुक्ति कर्मचारियों के संबंध में	वाचक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	स्थायी
9.	सर्विस बुक / चरित्र पंजिका	समस्त रैंकों के कर्मचारियों के सेवा इतिहास	प्रधान लिपिक कार्यालय	स्थायी
10	कैश बुक / पे-बिल रजिस्टर	समस्त भुगतानों के लेन-देन के संबंध में	आंकिक शाखा	स्थायी
11	आक्रिमिकता निधि रजिस्टर	आक्रिमिकता निधि पर भारित व्ययों के संबंध में	आंकिक शाखा	स्थायी
12	स्टाक रजिस्टर	सामान्य भण्डार की मदों का क्रय व वितरण	पुलिस लाइन	स्थायी
13	हिन्दी आदेश पुस्तिका	समस्त आदेश जिनका प्रभाव वित्तीय भार पर पड़ता है	पुलिस लाइन	40 वर्षों तक

14. जनता की परामर्शदात्री समितियां

जनपदीय पुलिस में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर नीति निर्धारण में विचार हेतु निम्नलिखित व्यवस्था विद्यमान है—

क्र0 सं0	समिति का नाम	समिति का गठन	भूमिका एवं दायित्व	गोष्ठियों की आवृत्ति
1.	ग्राम सुरक्षा समिति	प्रत्येक गांव में 15 से 20 व्यक्तियों की समिति थानाध्यक्ष द्वारा गठित की जाती है	गांव में घटित होने वाले अपराध एवं अपराधियों की सूचना पुलिस को देना व अपराधियों से मुकाबला करना	समय—समय पर
2	पुलिस पेन्शनर्स बोर्ड	जनपद के पुलिस पेंशनर्स के द्वारा गठित होती है	पुलिस पेंशनर्स के कल्याण हेतु पैरवी करना	त्रैमासिक
3	उद्योग बन्धु	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के उद्यमियों की बैठक	उद्योगों के विकास में आने वाली कानून व्यवस्था की समस्या के समाधान हेतु	त्रैमासिक
4	जिला सड़क सुरक्षा समिति	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा से संबंधित समस्त विभागों के अधिकारियों की समिति	दुर्घटनाओं के निवारण हेतु	त्रैमासिक
5	जिला स्तरीय पत्रकार समिति	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद के पत्रकारों की समिति	पत्रकारों की पुलिस से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु	त्रैमासिक
6	शांति समिति	क्षेत्र के सम्प्रान्त नागरिकों की समिति	सम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने हेतु	आवश्यकतानु सार
7	मेला समिति	मेले से संबंधित सम्प्रान्त व्यक्तियों की समिति	प्रमुख मेलों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु	मासिक
8	सासंद विधायकगण गोष्ठी	समस्त सांसद व विधायकगण की गोष्ठी	शिकायतों के निस्तारण व सुझाव / परामर्श के लिये	मासिक

8. बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकाय

पुलिस संगठन में इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्रचलित नहीं है।

9. अधिकारियों तथा कर्मचारियों की टेलीफोन डायरेक्ट्री

जनपद इलाहाबाद के पुलिस अधिकारियों के टेलीफोन नम्बर

पदनाम अधिकारीण	आवास नं०	कार्यालय नं०	सी.यू.जी. मो. नं०
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	0532—2440700	0532—2641902	9454400248
1. अपर पुलिस अधीक्षक नगर	2556695	2240438	9454401014
2. अपर पुलिस अधीक्षक गंगापार	2600777	2641902	9454401015
3. अपर पुलिस अधीक्षक यमुनापार		2641902	9454401013
4. अपर पुलिस अधीक्षक यातायात	2266784	2641902	9454401201
5. अपर पुलिस अधीक्षक अपराध	—	2641902	—
1. क्षेत्राधिकारी नगर —प्रथम	—	—	9454401273
2. क्षेत्राधिकारी नगर—द्वितीय	—	—	9454401274
3. क्षेत्राधिकारी नगर—तृतीय	—	—	9454401275
4. क्षेत्राधिकारी नगर—चतुर्थ	—	2641902	9454401277
5. क्षेत्राधिकारी नगर—पंचम		2641902	9454401278
6. क्षेत्राधिकारी / कार्यालय / यातायात	—	2641902	9454401279
7. क्षेत्राधिकारी हण्डिया	—	—	9454401282
8. क्षेत्राधिकारी फूलपुर	—	—	9454401281
9. क्षेत्राधिकारी सोरांव	—	—	9454401280
10. क्षेत्राधिकारी करछना	—	—	9454401283
11. क्षेत्राधिकारी मेजा	—	—	9454401284
12. क्षेत्राधिकारी बारा	—	—	9454401285
13. क्षेत्राधिकारी प्रज्ञान	—	2461097	9454401722
14. क्षेत्राधिकारी आंकिक	—	—	

थाना प्रभारियों का विवरण

क्रम सं	पद	थाना	टेलीफोन नम्बर	
			कार्यालय	सीयूजी
40.	प्र0निरीक्षक	कोतवाली	2240900	9454402839
41.	थानाध्यक्ष	शाहगंज	2242660	9454402851
42.	प्र0निरीक्षक	खुल्दाबाद	2655603	9454402837
43.	थानाध्यक्ष	करैली	2550510	9454402832
44.	प्र0निरीक्षक	सिविल लाइन्स	2560904	9454402822
45.	थानाध्यक्ष	धूमनगंज	2233007	9454402824
46.	थानाध्यक्ष	कैण्ट	2423004	9454402821
47.	थानाध्यक्ष	कीडगंज	2458464	9454402834
48.	थानाध्यक्ष	मुट्ठीगंज	2413736	9454402845
49.	थानाध्यक्ष	अतरसुइया	2242100	9454402818
50.	प्र0निरीक्षक	कर्नलगंज	2460205	9454402835
51.	थानाध्यक्ष	शिवकुठी	2250850	9454402853
52.	थानाध्यक्ष	जार्जटाउन	2468482	9454402825
53.	प्र0निरीक्षक	दारागंज	2500751	9454402841
54.	थानाध्यक्ष	महिला थाना	2560903	9454402841
55.	थानाध्यक्ष	झूंसी	2569100	9454402830
56.	प्र0निरीक्षक	हण्डिया	05332-284010	9454402827
57.	थानाध्यक्ष	उतरांव	05332-239395	9454402856
58.	थानाध्यक्ष	सराय ममरेज	05332-280564	9454402850
59.	थानाध्यक्ष	सराय इनायत	05332-220427	9454402849
60.	प्र0निरीक्षक	फूलपुर	05332-251224	9454402848
61.	थानाध्यक्ष	बहरिया	05332-220212	9454402819
62.	प्र0निरीक्षक	थरवई	2647164	9454402855
63.	थानाध्यक्ष	सोरांव	05335-282393	9454402854
64.	प्र0निरीक्षक	मऊआइमा	05335-233482	9454402843
65.	थानाध्यक्ष	होलागढ़	05335-233443	9454402828
66.	थानाध्यक्ष	नवाबगंज	05335-231406	9454402847
67.	प्र0निरीक्षक	नैनी	2697261	9454402846
68.	थानाध्यक्ष	करचना	05333-232597	9454402831
69.	थानाध्यक्ष	औद्योगिक क्षेत्र	2686848	9454402829
70.	थानाध्यक्ष	घूरपुर	0533-283452	9454402826
71.	थानाध्यक्ष	मेजा	0534-239749	9454402844
72.	थानाध्यक्ष	माण्डा	0534-234413	9454402842
73.	थानाध्यक्ष	कोरांव	0534-232481	9454402838
74.	थानाध्यक्ष	खीरी	0534-236353	9454402836
75.	थानाध्यक्ष	बारा	05333-284408	9454402820
76.	थानाध्यक्ष	शंकरगढ़	05333-222202	9454402852
77.	थानाध्यक्ष	कौंधियारा		9454402833
78.	थानाध्यक्ष	लालापुर	05335-245291	9454402840

10. अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन / पारितोषिक

10.1 सशस्त्र व नागरिक पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन

क्रम सं०	पद	वेतनमान	ग्रेड पे	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता	वर्दी भत्ता
1	पुलिस उपमहानिरीक्षक	₹९ 37400.67000	8900	.	150	3200 7 वर्ष पर
2	अपर पुलिस अधीक्षक	₹९ 15600.39100	7600	400	120	3200 7 वर्ष पर
3	पुलिस उपाधीक्षक	₹९ 15600.39100	5400	400	120	3200 7 वर्ष पर
4	निरीक्षक	₹९ 9300.34800	4600	550	30	1500 5 वर्ष पर
5	उप निरीक्षक	₹९ 9300.34800	4200	550	30	1500 5 वर्ष पर
6	मुख्य आरक्षी	₹९ 5200.20200	2000	700	30	1200 प्रति वर्ष
7	आरक्षी	₹९ 5200.20200	1900	700	30	1200 प्रति वर्ष
8	अनुचर	₹९ 4440.7400	1300	700	30	1000 प्रति वर्ष

10.2 रेडिया शाखा के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन

क्रम सं०	पद	वेतनमान	ग्रेड पे	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता	वर्दी भत्ता
1	सहायक रेडियो अधिकारी	₹९ 15600.39100	7600	400	120	3200 7 वर्ष पर
2	रेडियो निरीक्षक	₹९ 9300.34800	4600	550	30	1500 5 वर्ष पर
3	रेडियो अनुरक्षण अधिकारी / रेडी केन्द्र अधिकारी	₹९ 9300.34800	4200	550	30	1500 5 वर्ष पर
4	हेड आपरेटर	₹९ 9300.34800	4200	550	30	1200 प्रति वर्ष
5	सहायक परिचालक	₹९ 9300.34800	4200	550	30	1200 प्रति वर्ष
6	अनुचर / सन्देशवाहक	₹९ 4440.7400	1300	700	30	1000 प्रति वर्ष

10.3 फायर सर्विस के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन

क्रम सं०	पद	वेतनमान	ग्रेड पे	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता	वर्दी भत्ता
1	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	₹९ 15600.39100	7600	400	120	3200 7 वर्ष पर
2	अग्नि शमन अधिकारी	₹९ 9300.34800	4600	550	30	1500 5 वर्ष पर
3	द्वितीय अग्निशमन अधिकारी	₹९ 9300.34800	4200	550	30	1500 5 वर्ष पर
4	लीडिंग अग्निशमन अधिकारी	₹९ 5200.20200	2000	700	30	1200 प्रति वर्ष
5	फायरमैन	₹९ 9300.34800	1900	700	30	1200 प्रति वर्ष
6	अनुचर	₹९ 4440.7400	1300	700	30	1000 प्रति वर्ष

10.4 लिपिक वर्गीय अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन / पारितोषिक

क्रम सं०	पद	वेतनमान	ग्रेड पे	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता	वर्दी भत्ता
1	एस0आई० (एम०)	₹९३००.३४८००	४२००	५५०	३०	१५०० ५ वर्ष पर
2	ए०एस०आई०(एम)	₹५२००.२०२००	४२००	७००	३०	१२०० प्रति वर्ष
3	उर्दू अनुवादक सह प्रधान सहायक	₹९३००.३४८००	४२००	कृ	कृ	

10.5 परिवहन शाखा के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक

क्रम सं०	पद	वेतनमान	ग्रेड पे	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता	वर्दी भत्ता
1	उ०नि० परिवहन शाखा	₹९३००.३४८००	४२००	५५०	३०	१५०० ५ वर्ष पर
2	मुख्य आरक्षी	५२००.२०२००	२०००	७००	३०	१२०० प्रति वर्ष
3	आरक्षी चालक	५२००.२०२००	१९००	७००	३०	१२०० प्रति वर्ष
4	चतुर्थ श्रेणी	₹४४४०.७४००	१३००	७००	३०	१००० प्रति वर्ष

10.6 स्थानीय अभिसूचना इकाई के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक

क्रम सं०	पद	वेतनमान	ग्रेड पे	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता	वर्दी भत्ता
3	पुलिस उपाधीक्षक अभिसूचना	₹१५६००.३९१००	५४००	४००		३२०० ७ वर्ष पर
4	निरीक्षक अभिसूचना	₹९३००.३४८००	४६००	५५०		१५०० ५ वर्ष पर
5	उप निरीक्षक अभिसूचना	₹९३००.३४८००	४२००	५५०		१५०० ५ वर्ष पर
6	मुख्य आरक्षी अभिसूचना	५२००.२०२००	२०००	७००		१२०० प्रति वर्ष
7	आरक्षी अभिसूचना	५२००.२०२००	१९००	७००		१२०० प्रति वर्ष
8	अनुचर	₹४४४०.७४००	१३००	७००		१००० प्रति वर्ष

11. बजट विवरण वित्तीय वर्ष 2009–2010 दिनांक 31.03.2009 तक

लक्ट छज्जैफे वर्करैफे ठन्कलम्च मच्छवप्पन्त्र तम्भजा . थक जभ डल्हज्जे वे डे रि.2010

जल्द	व्यक्ति	ठन्कलम्च	मच्छवप्पन्त्र ,वर्करैफे	चल्लण मच्छवण ,न्या	तम्भ छप्पल	तम्भ छप्पल
ब्यक्ति	स्स्प्याम्वे	डल्हज्जे	डल्हज्जे	डल्हज्जे	डल्हज्जे	ठन्कलम्च
लतदज . ;026द्व भउम कमचतजउमदज ;च्यसपबमद्व						
कव्त → ;2551द्व वल्हैच्यध्यग्गल्ह . न्याए स्स ठ व						
डरवत भंक ;2052द्व म्व्यज त्प ज . लम्हस्त रैम्टर्ड्वै						
^नइ.डरवत ;00द्व						
डपदवत भंक ;800द्व .						
^नइ भंक . 03 कमजंपसमक भंक . 00						
छ ट	01	179546866700	2454396700	178449940700	1096926700	0761
च्ल						
^अ ज्ज स		179546866700	2454396700	178449940700	1096926700	0761

डरवत भंक ;205द्व च्लप्प

^नइ डरवत ;00द्व

डपदवत भंक ;001द्व क्स्म्यज्जठ |छक |कडप्पेप्पैज|ज्जठ

^नइ भंक . 03 कमजंपसमक भंक . 00

छ ट	01	99000700	0700	0700	99000700	100700
छ ट	03	103800700	0700	0700	108800700	100700
क्ष प						
छ ट	09	105000700	0700	0700	105000700	100700
म्सम्बजतपबपजल						
म्साचप						
छ ट	15	106000700	43700	10600700	0700	0700
अ ज्ज स छ ट		179965666700	2454439700	178555940700	1409726700	078

डरवत भंक ;2055द्व च्लप्प

इ . डरवत ;00द्व

डपदवत भंक ;003द्व म्व्यज|ज्जठ |छक ज्ज|छप्पल

इ भंक . 04 कमजंपसमक भंक . 00

छ ट	01	7042526700	531619700	6897873700	144653700	2705
छ ट	03	1569650700	278549700	1714303700	.144653700	.9722
क्ष प						
छ ट	04	35000700	20087700	34979700	21700	0706
ज्ज प						
छ ट	06	883208700	0700	704827700	178381700	20720
व्यीमत स्सवूद्वबम						
छ ट	08	1000700	1000700	1000700	0700	0700
वीपिबम म्साचमदेमे						
छ ट	11	2000700	2000700	2000700	0700	0700
^जंपवदंतल — थ्वत्ते						
छ ट	12	2000700	1995700	1995700	5700	0725
वीपिबम थ्वत्ते — मुन्प						
छ ट	42	1500700	1500700	1500700	0700	0700
व्यीमत म्साचमदेमे						
छ ट	51	24800700	0700	24800700	0700	0700

ਟ |ਕਪ ਟਲ|ਲ।

ਜ਼ਿ.ਸ. ਛਟ	189527350 ^ੴ 00	3291189 ^ੴ 00	187939217 ^ੴ 00	1588133 ^ੴ 00	0 ^ੴ 84
ਜ਼ਿ.ਸ. ਛਟ	189527350 ^ੴ 00	3291189 ^ੴ 00	187939217 ^ੴ 00	1588133 ^ੴ 00	0 ^ੴ 84
ਜਲਦੀ	ਲਾਬੋਂ	ਠਨਕਲਮੁ	ਮਚਹੁਰਿਤ	ਠਨਕਲਮੁ	ਲਡੀ ਛੇਡਲ
ਵਕਾ	ਸੱਸ਼ੋਸ਼੍ਯ	ਡਲਾਜ਼ੁ	ਡਲਾਜ਼ੁ	ਡਲਾਜ਼ੁ	ਲਡੀ ਛੇਡਲ
ਛ ਟ ਚੁਲ	01	6057080 ^ੴ 00	568974 ^ੴ 00	6056990 ^ੴ 00	90 ^ੴ 00
ਛ ਟ ਕਪ ਾ	03	1413204 ^ੴ 00	137376 ^ੴ 00	1413204 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00
ਛ ਟ ਜ਼ਪ ਾ	04	146000 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00	145733 ^ੴ 00	267 ^ੴ 00
ਛ ਟ ਜ਼ਤਦੇਮਿਤ ਜ਼ਪ ਾ	05	8800000	0 ^ੴ 00	6770 ^ੴ 00	2030 ^ੴ 00
ਛ ਟ ਕੀਮਿਤ ਸਸਵੂਦਬਮੇ	06	1458011 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00	1458011 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00
ਛ ਟ ਵੀਪਿਬਸ ਮਾਚਸਦੇਮੇ	07	2500 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00	2500 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00
ਛ ਟ “ਨੇਚਮਦੇਮ” ਮਤਅਪਬਮੇ ਮਾਚ	23	1600 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00	8000 ^ੴ 00	8000 ^ੴ 00
ਛ ਟ ਟ ਕਪ ਟਲ ਲ।	51	4500 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00	4500 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00
“ਕ ਜ਼ਜ.ਸ. ਛ ਟ	198633445 ^ੴ 00	3997539 ^ੴ 00	197034925 ^ੴ 00	1598520 ^ੴ 00	0 ^ੴ 80

ਡਰਵਤ ਭੰਕ ,2055ਵੰ ਕੱਸੁ

“ਨਿ.ਡਰਵਤ ,00ਵੰ

ਡਪਦਵਤ ਭੰਕ ,108ਵੰ ਮਾਫਨ |ਤਜੈ ਕੱਸੁ

“ਨਿ ਭੰਕ . 03 ਕਮਯਾਪਸਮਕ ਭੰਕ . 00

ਛ ਟ ਚੁਲ	15	546000 ^ੴ 00	108 ^ੴ 00	546000 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00
“ਕ ਜ਼ਜ.ਸ. ਛ ਟ	198633445 ^ੴ 00	3997539 ^ੴ 00	197034925 ^ੴ 00	1598520 ^ੴ 00	0 ^ੴ 80	
ਛ ਟ ਚੁਲ	01	641967000 ^ੴ 00	50420032 ^ੴ 00	640256049 ^ੴ 00	1710951 ^ੴ 00	0 ^ੴ 27
ਛ ਟ ਹਮੇ	02	169000 ^ੴ 00	200 ^ੴ 00	169000 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00
ਛ ਟ ਕਪ ਾ	03	153614000 ^ੴ 00	21855966 ^ੴ 00	1585007129 ^ੴ 00	.1393129 ^ੴ 00	.0 ^ੴ 91
ਛ ਟ ਜ਼ਪ ਾ	04	27080700 ^ੴ 00	65966 ^ੴ 00	27080697 ^ੴ 00	3 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00
ਛ ਟ ਜ਼ਤਦੇਮਿਤ ਜ਼ਪ ਾ	05	1000000 ^ੴ 00	125651 ^ੴ 00	1000000 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00
ਛ ਟ ਕੀਮਿਤ ਸਸਵੂਦਬਮੇ	06	71525500 ^ੴ 00	679677 ^ੴ 00	71843049 ^ੴ 00	.317549 ^ੴ 00	.0 ^ੴ 44
ਛ ਟ ਵੀਪਿਬਸ ਮਾਚਸਦੇਮੇ	08	5007070 ^ੴ 00	698930 ^ੴ 00	5007070 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00
ਛ ਟ ਸੱਸਮਬਜਤਪਬਪਜਲ	09	11409364 ^ੴ 00	4216283 ^ੴ 00	11409364 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00
ਛ ਟ ਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਗੱਜਮਰਾ ਮਾਚਣ	10	11273460 ^ੴ 00	919354 ^ੴ 00	1127346 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00	0 ^ੴ 00
ਛ ਟ ਜ਼ਜਾਪਵਦਤਲ – ਥਵਤਤੇ	11	2672971 ^ੴ 00	9855 ^ੴ 00	2625858 ^ੴ 00	47113 ^ੴ 00	1 ^ੴ 76

ਲੱਕ ਛੇ ਪੈ ਕਰੋਪੈ ਠਨਕਲਮੁ ਮਚਲਕਪਜ਼ਤ ਤੱਤਾ . ਥੰ ਜਾਂ ਡਲੁਜਾ ਲੈ ਦ ਵੰ.2010

ਲੱਕ	ਲੱਸ਼ਪ	ਠਨਕਲਮੁ	ਮਚਲਕਪਜ਼ਤ ,ਕੱਟਲ	ਚਲਣ ਮਚਲਕਪ ,ਨਵ	ਲੱਡ ਲੱਫਲ	ਲੱਡ ਲੱਫਲ
	ਕਲ	ਸੁਲਜ਼ਕ	ਡਲੁਜਾਦੁ	ਡਲੁਜਾਦੁ	ਠਨਕਲਮੁ	
ਛ ਟ	01	6057080400	568974400	6056990400	90400	0400
ਛ ਟ	03	1413204400	137376400	1413204400	0400	0400
ਛ ਟ	04	146000400	0400	145733400	267400	0418
ਛ ਟ	05	8800400	0400	6770400	2030400	23407
ਛ ਟ	06	1458011400	0400	1458011400	0400	0400
ਭੀਮਤ ਸਸਵੂਦਬਮੇ						
ਛ ਟ	08	2500400	0400	2500400	0400	0400
ਵੱਧਿਬਮ ਮਾਚਮਦੇਮੇ						
ਛ ਟ	23	16000400	0400	8000400	8000400	50400
“ਨੇਚਮਦੇਮ”ਮਤਅਪਬਮੇ ਮਾਚ						
ਛ ਟ	51	4500400	0400	0400	0400	0400
ਟ ਕਲ ਲ।						
“ਅ ਜਾਂ ਸ਼ ਛ ਟ		19863345400	3997539400	197034925400	1598520400	0400

ਡੁਰਵਤ ਭੰਕ ,2055ਵੰ ਚਲਣ

“ਨਿ.ਡੁਰਵਤ ;00ਵੰ

ਡਪਦਵਤ ਭੰਕ ,108ਵੰ “ਜ |ਜ ਮ |ਕਫਨ |ਤਜੰਨ੍ਹ ਚਲਣ

“ਨਿ ਭੰਕ . 03 ਕਮਯਾਪਸਮਕ ਭੰਕ . 00

ਛ ਟ	15	546000400	108400	546000400	0400	0400
ਕਲਬੀਮ ਵਿਚਯਤਵਸ						
“ਅ ਜਾਂ ਸ਼ ਛ ਟ		199179445400	3997649400	197580925400	1598520400	0400

ਡੁਰਵਤ ਭੰਕ ,2055ਵੰ ਚਲਣ

“ਨਿ.ਡੁਰਵਤ ;00ਵੰ

ਡਪਦਵਤ ਭੰਕ ,108ਵੰ ਕੈਪਟਲ ਚਲਣ

“ਨਿ ਭੰਕ . 03 ਕਮਯਾਪਸਮਕ ਭੰਕ . 00

ਛ ਟ	01	641967000400	50420032400	640256049400	1710951400	0427
ਛ ਟ	02	169000400	200400	169000400	0400	0400
ਹਮੇ						
ਛ ਟ	03	153614000400	21855966400	1555007129400	.1393129400	.0491
ਕਲ ਾ						
ਛ ਟ	04	27080700400	65966400	27080697400	3400	0400
ਜਾਂ ਾ						
ਛ ਟ	05	1000000400	125651400	1000000400	0400	0400
ਜਤਾਂਦੇਮਿਤ ਜਾਂ ਾ						
ਛ ਟ	06	71525500400	679677400	71843049400	.317549400	.0444
ਭੀਮਤ ਸਸਵੂਦਬਮੇ						
ਛ ਟ	08	5007070400	698930400	5007070400	0400	0400
ਵੱਧਿਬਮ ਮਾਚਮਦੇਮੇ						
ਛ ਟ	09	11409364400	4216283400	11409364400	0400	0400
ਸਸਮਬਜਤਪਬਪਯਲ ਮਾਚਣ						
ਛ ਟ	10	11273460400	919354400	1127346400	0400	0400
ਜਮਤ ਜਾਂਦਯਮਤ ਮਾਚਣ						
ਛ ਟ	11	2672971400	9855400	2625858400	47113400	1476
“ਜਾਂਜਪਵਦਨਲ — ਥਵਤਾਏ						

ક્રાંતિક કવરોફ રન્કિલમ્બ મચ્છવજીત તસ્વીર . થક જાણ ડાલું છે ડા.2010						
જલ્દી	લશ્રેષ્ઠ	રન્કિલમ્બ	મચ્છવજીત, કન્ટાળ	ચલ્લણ મચ્છવજીત, ન્યૂઝિલ્ન	લડ પણીલ	લડ પણીલ
બ્યક્સ	સ્પેશિયલ	ડાલું	ડાલું	ડાલું	ટાઈ	ટાઈ
છ ટ	51	1500૦૦૦	૦૦૦	679૦૦૦	821૦૦૦	54૦૭૩
ટાઈ	ટાઈ					
૧૫ જૂનાનું છ ટ	177677943૦૦૦	96443709૦૦૦	1175681949૦૦૦	1995994૦૦૦	૦૦૧૭	
દરવત ભંક ,2055દ્વારા ચ્યાન્સ						
નિઃદરવત ,00દ્વારા						
દપદવત ભંક ,109દ્વારા ટપ્સ્ટ્રીલ્ન ચ્યાન્સ						
નિઃ ભંક . 05 કમાંપસમક ભંક . 00						
છ ટ	01	27316313૦૦૦	2368863૦૦૦	2731631૦૦૦	૦૦૦	૦૦૦
ચલ						
છ ટ	03	6707220૦૦૦	1115964૦૦૦	6707220૦૦૦	૦૦૦	૦૦૦
ક્રાંતિક						
છ ટ	04	66500૦૦૦	૦૦૦	66320૦૦૦	180૦૦૦	૦૦૨૭
જ્ઞાન						
છ ટ	05	5900૦૦૦	૦૦૦	4669૦૦૦	1231૦૦૦	૨૦૦૮૬
જ્ઞાનદેમિત જ્ઞાન						
છ ટ	06	3096650૦૦૦	25520૦૦૦	3074653૦૦૦	21977૦૦૦	૦૦૭૧
વ્યોમત સાસસ્યદાદમે						
છ ટ	15	19108000૦૦૦	2828952૦૦૦	19107972૦૦૦	૨૮૦૦	૦૦૦
ચન્તર્બીમ ચ્યાન્સ						
છ ટ	51	96900૦૦૦	૦૦૦	96000૦૦૦	૯૦૦૦૦	૦૦૯૩
ટાઈ	ટાઈ					
૧૫ જૂનાનું છ ટ	1234075426૦૦૦	102783008૦૦૦	1232055096૦૦૦	2020330૦૦૦	૦૦૧૬	
દરવત ભંક ,2055દ્વારા ચ્યાન્સ						
નિઃદરવત ,00દ્વારા						
દપદવત ભંક ,110દ્વારા ટપ્સ્ટ્રીલ્ન ચ્યાન્સ						
નિઃ ભંક . 03 કમાંપસમક ભંક . 00						
છ ટ	01	11051885૦૦૦	૦૦૦	10780000૦૦૦	271885૦૦૦	૨૦૪૬
ચલ						
છ ટ	42	20530૦૦૦	૦૦૦	20524૦૦૦	૬૦૦	૦૦૦૩
વ્યોમત સાચમદામે						
૧૫ જૂનાનું છ ટ	1245147841૦૦૦	102783008૦૦૦	1242855620૦૦૦	2292221૦૦૦	૦૦૧૮	
દરવત ભંક ,2055દ્વારા ચ્યાન્સ						
નિઃદરવત ,00દ્વારા						
દપદવત ભંક ,110દ્વારા ટપ્સ્ટ્રીલ્ન ચ્યાન્સ						
નિઃ ભંક . 03 કમાંપસમક ભંક . 00						
છ ટ	42	454923૦૦૦	136702૦૦૦	454923૦૦૦	૦૦૦	૦૦૦
વ્યોમત સાચમદામે						
૧૫ જૂનાનું છ ટ	1245602764૦૦૦	102919710૦૦૦	1243310543૦૦૦	2292221૦૦૦	૦૦૧૮	
દરવત ભંક ,2055દ્વારા ચ્યાન્સ						
નિઃદરવત ,00દ્વારા						
દપદવત ભંક ,113દ્વારા સ્ટ્રીટ છ ચ્યાન્સ ચ્યાન્સ						
નિઃ ભંક . 04 કમાંપસમક ભંક . 00						

લાટ છજીએ વર્કરોફ ઠન્કાલમંડ મચ્છવપજ્જન્ત્વ ત્સ્ક્રિપ્ટ . થક જમ્બ ડલ્ફિન વે ડાય.2010

ઝલ્ક્ય	લંશ્રણ	ઠન્કાલમંડ	મચ્છવપજ્જન્ત્વ, કન્ટાઇલ	ચ્લેણ મચ્છવપગ, ન્યાર	ત્સ્ક્રિપ્ટ	ત્સ્ક્રિપ્ટ
દિવનું	અસ્ટ્રેજન્ય	ડલ્ફિનન્દું	ડલ્ફિનન્દું	ડલ્ફિનન્દું	ઠન્કાલમંડ	ઠન્કાલમંડ
છ ટ ચંલ	01	2372010ણ્ણ૦	143323ણ્ણ૦	2370806ણ્ણ૦	1204ણ્ણ૦	0ણ્ણ૫
છ ટ વળ પણ	03	596922ણ્ણ૦	69257ણ્ણ૦	596922ણ્ણ૦	0ણ્ણ૦	0ણ્ણ૦
છ ટ ચણ પણ	06	165170ણ્ણ૦	1622ણ્ણ૦	162522ણ્ણ૦	2648ણ્ણ૦	1ણ્ણ૬૦
છ ટ વ્યીમત સસસંદુદ્ધમે	08	3000ણ્ણ૦	3000ણ્ણ૦	3000ણ્ણ૦	0ણ્ણ૦	0ણ્ણ૦
છ ટ ચંજપવદતલ - થતારે	11	600ણ્ણ૦	600ણ્ણ૦	600ણ્ણ૦	0ણ્ણ૦	0ણ્ણ૦
છ ટ વિપિબમ થનતાર - મુનપણ વ્યીમત સાચમદેમે	12	570ણ્ણ૦	570ણ્ણ૦	570ણ્ણ૦	0ણ્ણ૦	0ણ્ણ૦
ઓફ જાણ છ ટ	1248741036ણ્ણ૦	103138082ણ્ણ૦	1246444963ણ્ણ૦	2296073ણ્ણ૦	0ણ્ણ૧૮	

દરવત ભંક ,2055દ્વારા ચ્લેણ

નિઃદરવત ,00દ્વા

દપદવત ભંક ,113દ્વારા ચ્લેણ ચ્લેણ ચ્લેણ

નિઃ ભંક . 04 કમજાંપસમક ભંક . 02

વળ પણ

ઓફ જાણ છ ટ	1248741036ણ્ણ૦	1031308082ણ્ણ૦	1246444963ણ્ણ૦	2296073ણ્ણ૦	0ણ્ણ૧૮
------------	----------------	----------------	----------------	-------------	--------

દરવત ભંક ,2055દ્વારા ચ્લેણ

નિઃદરવત ,00દ્વા

દપદવત ભંક ,113દ્વારા ચ્લેણ ચ્લેણ ચ્લેણ

નિઃ ભંક . 05 કમજાંપસમક ભંક . 00

છ ટ વ્યીમત સાચમદેમે	42	132000ણ્ણ૦	118530ણ્ણ૦	132000ણ્ણ૦	0ણ્ણ૦	0ણ્ણ૦
------------------------	----	------------	------------	------------	-------	-------

ઓફ જાણ છ ટ	1248873036ણ્ણ૦	103256612ણ્ણ૦	1246576963ણ્ણ૦	2296073ણ્ણ૦	0ણ્ણ૧૮
------------	----------------	---------------	----------------	-------------	--------

દરવત ભંક ,2055દ્વારા ચ્લેણ

નિઃદરવત ,00દ્વા

દપદવત ભંક ,113દ્વારા ચ્લેણ ચ્લેણ ચ્લેણ

નિઃ ભંક . 06 કમજાંપસમક ભંક . 00

છ ટ લતાંજાધારારોલાંજાદ	20	19258ણ્ણ૦	19258ણ્ણ૦	19258ણ્ણ૦	0ણ્ણ૦	0ણ્ણ૦
---------------------------	----	-----------	-----------	-----------	-------	-------

ઓફ જાણ છ ટ	1248892294ણ્ણ૦	103275870ણ્ણ૦	1246596221ણ્ણ૦	2296073ણ્ણ૦	0ણ્ણ૧૮
------------	----------------	---------------	----------------	-------------	--------

દરવત ભંક ,2055દ્વારા ચ્લેણ

નિઃદરવત ,00દ્વા

દપદવત ભંક ,113દ્વારા ચ્લેણ ચ્લેણ ચ્લેણ

નિઃ ભંક . 07 કમજાંપસમક ભંક . 00

ક્રાંતિક કવાઈ રન્કલમ્બ મચ્છવજીત તસ્વિદું . થક જાણ ડાલું છે ડા.2010

જલદી	લદશ્રી	રન્કલમ્બ	મચ્છવજીત, કન્ટાક્ટ	ચલ્લણ મચ્છવજીત	તસ્વિદું પ્રાપ્તિ	તસ્વિદું એફિલ
બ્લક	સ્ટેજન્યુ	ડાલું	ડાલું	ટાઇટલ	ટાઇટલ	ટાઇટલ
છ ટ	42	121673ાંદો	30799ાંદો	121661ાંદો	12ાંદો	0ાંદો
વ્યોમિત માચમદેસે						

“અં જ્વાંસ છ ટ 1249013967ાંદો 103306669ાંદો 1246717882ાંદો 2296085ાંદો 0ાંદો

દરવત ભંક ,2055દ્વારા ચ્યાન્સ
“નિઃદરવત ,00દ્વારા
દપદવત ભંક ,113દ્વારા ચ્યાન્સ ચૈલ્લણ
“નિઃ ભંક . 09 વમજાંપસમક ભંક . 00
છ ટ 42 223421ાંદો 52327ાંદો 223421ાંદો 0ાંદો 0ાંદો
વ્યોમિત માચમદેસે

“અં જ્વાંસ છ ટ 1249237388ાંદો 103358996ાંદો 1246941303ાંદો 2296085ાંદો 0ાંદો

દરવત ભંક ,2055દ્વારા ચ્યાન્સ
“નિઃદરવત ,00દ્વારા
દપદવત ભંક ,113દ્વારા ચ્યાન્સ ચૈલ્લણ
“નિઃ ભંક . 03 વમજાંપસમક ભંક . 00
છ ટ 01 1645741ાંદો 39606ાંદો 1638784ાંદો 6957ાંદો 0ાંદો
ચલ
છ ટ 03 375020ાંદો 0ાંદો 375020ાંદો 0ાંદો 0ાંદો
કળ પણ
છ ટ 06 195280ાંદો 0ાંદો 195280ાંદો 0ાંદો 0ાંદો
વ્યોમિત સસવૂદબમે
છ ટ 29 18000ાંદો 18000ાંદો 18000ાંદો 0ાંદો 0ાંદો
દનોંિત
છ ટ 12 99400ાંદો 98200ાંદો 98200ાંદો 1200ાંદો 1ાંદો
વ્યોમિત અનતર - મુનપણ
વ્યોમિત માચમદેસે

“અં જ્વાંસ છ ટ 1251570829ાંદો 103514802ાંદો 1249266587ાંદો 2304242ાંદો 0ાંદો

દરવત ભંક ,2055દ્વારા ચ્યાન્સ
“નિઃદરવત ,00દ્વારા
દપદવત ભંક ,800દ્વારા
“નિઃ ભંક . 03 વમજાંપસમક ભંક . 00
છ ટ 01 2733502ાંદો 251594ાંદો 2733502ાંદો 0ાંદો 0ાંદો
ચલ
છ ટ 03 631572ાંદો 56169ાંદો 631572ાંદો 0ાંદો 0ાંદો
કળ પણ
છ ટ 04 8800ાંદો 0ાંદો 8793ાંદો 7ાંદો 0ાંદો
જણ પણ
છ ટ 06 708599ાંદો 749ાંદો 708599ાંદો 0ાંદો 0ાંદો
વ્યોમિત સસવૂદબમે
છ ટ 08 3800ાંદો 0ાંદો 3800ાંદો 0ાંદો 0ાંદો
વ્યોમિત માચમદેસે
મસમબજાંપબપજલ માચણ
છ ટ 11 800ાંદો 0ાંદો 800ાંદો 0ાંદો 0ાંદો
જંજપવદંતલ - થયતરું

ક્રતા છેંફે કવરોફે રન્કલમ્બ મચ્છવજ્જ્ઞ ત્રસ્ત્ર . થક જા ડલ્ફિઝ છ ડ દ 2010

જલ્દ	લદ્ધિપ્ર	રન્કલમ્બ	મચ્છવજ્જ્ઞ ,કન્ટાલ	ચલ્લણ મચ્છવજ્જ્ઞ	ત્રસ્ત પ્રાણી	ત્રસ્ત પ્રાણી
	લખ	સ્થળનામ	ડલ્ફિઝન્દુ	ડલ્ફિઝન્દુ	ટન્કલમ્બ	ટન્કલમ્બ
છ ટ	12	900૦૦૦	0૦૦૦	900૦૦૦	0૦૦૦	0૦૦૦
	વીપીબમત વિત - મુનપણ					
છ ટ	13	37400૦૦૦	0૦૦૦	37400૦૦૦	0૦૦૦	0૦૦૦
	જમસમચીવદમ માચમદેમે					
છ ટ	42	500૦૦૦	0૦૦૦	500૦૦૦	0૦૦૦	0૦૦૦
	વીમત માચમદેમે					
છ ટ	51	1800૦૦૦	0૦૦૦	0૦૦૦	1800૦૦૦	100૦૦૦
	ટંતકપ ટલલં					
“ફ જ્જાસ છ ટ	1255698502૦૦૦	103823314૦૦૦	1253392453૦૦૦	2306049૦૦૦	0૦૧૮	

ડરવત ભ્રંક ,2055દ્વારાં

“નિઃડરવત ;00દ્વા
ડપદવત ભ્રંક ,800દ્વા .
“નિ ભ્રંક . 05 કમજાંપસમક ભ્રંક . 00
છ ટ 04 3029319૦૦૦ 6835૦૦૦ 3029319૦૦૦ 0૦૦૦ 0૦૦૦
જ્જ પ
છ ટ 08 29745૦૦૦ 30019૦૦૦ 297445૦૦૦ 5૦૦ 0૦૦૦
વીપીબમ માચમદેમે
છ ટ 11 364900૦૦૦ 3222૦૦૦ 364895૦૦૦ 5૦૦ 0૦૦૦
“જંજપવદંતલ - થયતારે
છ ટ 13 179242૦૦૦ 898૦૦૦ 179240૦૦૦ 2૦૦ 0૦૦૦
જમસમચીવદમ માચમદેમે
છ ટ 15 5672000૦૦૦ 21511૦૦૦ 5665345૦૦૦ 6655૦૦૦ 0૦૧૨
ચન્તબીમ વિચમજતવસ
છ ટ 42 5511089૦૦૦ 0૦૦૦ 5510945૦૦૦ 144૦૦૦ 0૦૦૦
વીમત માચમદેમે
“ફ જ્જાસ છ ટ 127072502૦૦૦ 103893799૦૦૦ 1268439642૦૦૦

ડરવત ભ્રંક ,2070દ્વારાં વીમત કાઉપદપેજતંજપઅમ્મતઅપબમ

“નિઃડરવત ;00દ્વા
ડપદવત ભ્રંક ,108દ્વારાં થત્થ ચ્ટ્રાંજ્ઝાંછુ છેક બ્લંડાંસ
“નિ ભ્રંક . 03 કમજાંપસમક ભ્રંક . 00
છ ટ 01 26835301૦૦૦ 1896827૦૦૦ 26518255૦૦૦ 317046૦૦૦ 1૦૧૮
ચંલ
છ ટ 03 6462640૦૦૦ 1009746૦૦૦ 6779686૦૦૦ .317046૦૦૦ .4૦૧
ક્જ પ
છ ટ 04 250000૦૦૦ 150832૦૦૦ 250000૦૦૦ 0૦૦૦ 0૦૦૦
જ્જ પ
છ ટ 05 26954૦૦૦ 0૦૦૦ 26681૦૦૦ 273૦૦૦ 1૦૦૧
જ્તાંદેમિત જ પ
છ ટ 06 2918887૦૦૦ 7020૦૦૦ 2917322૦૦૦ 1565૦૦૦ 0૦૦૫
વીમત એસવૂંડબમે
છ ટ 08 20000૦૦૦ 10000૦૦૦ 20000૦૦૦ 0૦૦૦ 0૦૦૦
વીપીબમ માચમદેમે
છ ટ 09 400000૦૦૦ 0૦૦૦ 400000૦૦૦ 0૦૦૦ 0૦૦૦
મ્સમબજતપબપજલ માચણ
છ ટ 10 10000૦૦૦ 10000૦૦૦ 10000૦૦૦ 0૦૦૦ 0૦૦૦
જમત જંગ્ઝાંજમત માચણ
છ ટ 11 17000૦૦૦ 10000૦૦૦ 17000૦૦૦ 0૦૦૦ 0૦૦૦
જંજપવદંતલ - વિતારે

ક્રાંતિક કુદીપે રન્કયાંમાં મચ્છવજીંત ત્યારા . થાં જાં ડાલજા છે ડા.2010

જલ્દ	લશ્રીપ	રન્કયાંમાં સ્રાવાં	મચ્છવજીંત ;કન્ટાલ	ચલ્લણ મચ્છવાં ;ન્યા	ત્સડ છાફલ	ત્સડ છાફલ
	બ્લક		ડાલજાંદ્ર	ડાલજાંદ્ર		રન્કયાંમાં
છ ટ	01	4000ાંદ્રો	4000ાંદ્રો	4000ાંદ્રો	0ાંદ્રો	0ાંદ્રો
	વીપિબમ વિનત - મુસ્પણ					
છ ટ	13	30000ાંદ્રો	27723ાંદ્રો	29991ાંદ્રો	9ાંદ્રો	0ાંદ્રો3
	જમસમદીવદમ માચમદેમે					
છ ટ	15	390000ાંદ્રો	89994ાંદ્રો	389991ાંદ્રો	9ાંદ્રો	0ાંદ્રો
	ચન્તર્બીમ વીચમજતવસ					
છ ટ	26	89490ાંદ્રો	14490ાંદ્રો	89409ાંદ્રો	81ાંદ્રો	0ાંદ્રો9
	ઢંબીપદમતે - જવસે					
છ ટ	42	6800ાંદ્રો	6800ાંદ્રો	6800ાંદ્રો	0ાંદ્રો	ાંદ્રો
	વીમત માચમદેમે					
છ ટ	44	45000ાંદ્રો	0ાંદ્રો	41803ાંદ્રો	3197ાંદ્રો	7ાંદ્રો10
	જતાપદપદહ માચમદકપજનતમ					
છ ટ	47	4000ાંદ્રો	4000ાંદ્રો	4000ાંદ્રો	0ાંદ્રો	0ાંદ્રો0
	વીઉચનજમતે જાંજપવદમતલ					
છ ટ	51	129600ાંદ્રો	55200ાંદ્રો	129600ાંદ્રો	0ાંદ્રો	0ાંદ્રો0
	ટંતકપ ટલંલ					
``અ જાંસ છ ટ	1308392174ાંદ્રો	107190431ાંદ્રો	130607418ાંદ્રો	2317994ાંદ્રો	0ાંદ્રો18	

દંરવત ભંક ;2255દ્રો છાંસે મ્ન્ટપ્લા |છાં સ્થાત

“નિઃદંરવત ;60દ્રો વ્યાસે છાંસે મ્ન્ટપ્લા |છાં સ્થાત ચલ્લણ |ડડૈ ડપદવત ભંક ;200દ્રો

“નિઃ ભંક . 10 વમજાંપસમક ભંક . 00

છ ટ	42	100000ાંદ્રો	0ાંદ્રો	100000ાંદ્રો	0ાંદ્રો	0ાંદ્રો
	વીમત માચમદેમે					

“અ જાંસ છ ટ

1303492174ાંદ્રો

107190431ાંદ્રો

1306174130ાંદ્રો

2317994ાંદ્રો

0ાંદ્રો18

દંરવત ભંક ;2255દ્રો છાંસે મ્ન્ટપ્લા |છાં સ્થાત

“નિઃદંરવત ;60દ્રો વ્યાસે છાંસે મ્ન્ટપ્લા |છાં સ્થાત ચલ્લણ |ડડૈ ડપદવત ભંક ;800દ્રો

“નિઃ ભંક . 04 વમજાંપસમક ભંક . 00

છ ટ	42	17230ાંદ્રો	5300ાંદ્રો	5300ાંદ્રો	11930ાંદ્રો	69ાંદ્રો4
	વીમત માચમદેમે					

“અ જાંસ છ ટ

1308509404ાંદ્રો

107195731ાંદ્રો

1306179430ાંદ્રો

2329924ાંદ્રો

0ાંદ્રો18

દંરવત ભંક ;4055દ્રો દાચ્ય |સ લ્યાસ |ન છ ચલ્લણ

“નિઃદંરવત ;00દ્રો

ડપદવત ભંક ;00દ્રો જાંજ ચલ્લણ

“નિઃ ભંક . 03 વમજાંપસમક ભંક . 00

છ ટ	25	400000ાંદ્રો	49700ાંદ્રો	396310ાંદ્રો	3690ાંદ્રો	0ાંદ્રો2
	સંહીન ડપતંદ					

“અ જાંસ છ ટ

1308909404ાંદ્રો

107245431ાંદ્રો

1306575790ાંદ્રો

233614ાંદ્રો

વાચ્ય જાંસ છ ટ

1308909404ાંદ્રો

107245431ાંદ્રો

1306575790ાંદ્રો

2333614ાંદ્રો

ਲੱਤ ਛਜ੍ਹ ਪੈ ਕਰੋਪੈ ਠਨਕਲਮ ਮਚਲਕਪਤਾ ਤੰਤਰ . ਥੜ ਯਮ ਡਲਹਜ਼ ਵੇਂ ਦੁ.2010						ਲੱਤ ਛਜ੍ਹ ਪੈ ਕਰੋਪੈ ਠਨਕਲਮ ਮਚਲਕਪਤਾ ਤੰਤਰ . ਥੜ ਯਮ ਡਲਹਜ਼ ਵੇਂ ਦੁ.2010
ਜਲੰਖ	ਲਕਸ਼ਣ	ਠਨਕਲਮ ਸੱਵਯਾਤਰ	ਮਚਲਕਪਤਾ , ਕੱਟਲਾ	ਕੱਟਲਾ ਮਚਲਕਪਤਾ , ਨਵਾ	ਤੁਲਾ ਪਿਛਲੇ	ਤੁਲਾ ਪਿਛਲੇ
ਲੱਤ	ਲੱਤ	ਡਲਹਜ਼ਦੁ	ਡਲਹਜ਼ਦੁ	ਡਲਹਜ਼ਦੁ	ਡਲਹਜ਼ਦੁ	ਠਨਕਲਮ
ਲੱਤ ਯਮ ਲੱਤ		130890940400	10724543100	130657579000	233361400	0018

12. सब्जियों का निष्पादन के ढंग-

वर्तमान में विभाग में कोई उपादान कार्यक्रम प्रचलित नहीं है।

13. संगठन द्वारा प्रदत्त छट, अधिकार –पत्र तथा अधिकतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण—

—शन्य—

14. इलेक्ट्रानिक प्रारूप में सचनाओं की उपलब्धता—

उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप निबद्ध होने के बाद उसकी प्राप्ति के संबंध में अवगत कराया जायेगा।

15. सचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नागरिकों को प्रदत्त सविधाएँ—

क्र० सं०	कार्य	कार्यवाही किसके स्तर से	समयावधि
1.	सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना	अ0पु0अ0 / संबंधित क्षेत्राधिकारी (यदि क्षेत्राधिकारी मुख्यालय पर नहीं बैठते हैं तो संबंधित थाना प्रभारी) कार्यालय	प्रातः 10 बजे से शाम 1700 बजे तक (राजकीय अवकाशों को छोड़कर)
2	सूचना निरीक्षण करने का स्थान	उपरोक्त	उपरोक्त
3	सूचना प्रदान किये जाने का स्थान	उपरोक्त	विलम्बतम 30 दिन तथा जीवन रक्षा एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में 48 घण्टे
4	सूचना निरीक्षण करने हेतु जमा की जाने वाली धनराशि (10 रु० प्रथम घण्टा, प्रथम घण्टा के पश्चात 5 रु० प्रति 15 मिनट)	पुलिस कार्यालय की आंकिक शाखा में नगद, लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक	उपरोक्त
5	सूचना प्राप्त करने हेतु जमा कराई जाने वाली राशि का विवरण (10 रु० प्रति आवेदन पत्र और गरीबी की रेखा के नीचे के व्यवितयों को निःशुल्क)	उपरोक्त	उपरोक्त

समय से सूचना उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में 250 रु0 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना (25000 रु0 अनधिक) भी देय होगा।

16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम

जनपद इलाहाबाद पुलिस में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित प्रकार से की गयी है:-

उपरोक्त सम्बन्ध में जनपद इलाहाबाद की सूचना निम्नवत् है—

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	जनसूचना अधिकारी / सहायक जनसूचना अधिकारी का नाम, पदनाम, पता, मो० नं०, टेली० नं० व फैक्स नं०	प्रथम अपीलीय अधिकारियों का नाम, पदनाम, पता, मो०नं०, टेली० नं०, फैक्स नं०	कालम ३ व ४ में उल्लिखित अधिकारी के नियुक्त अधिकारी का पदनाम, पता, मो०नं०, टेली० नं० व फैक्स नं०
1	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	श्री सुनील कुमार सिंह, नोडल पुलिस अधिकारी जनसूचना / अपर पुलिस अधीक्षक गंगापार इला० नवाब यूसुफ रोड सिविल लाइन्स इला० सीयूजी नं० 9454401015, आवास नं० 2600777, कार्यालय नं० 2641902 फैक्स नं० 2250600	श्री नितिन तिवारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आवास, कचेहरी रोड इला० सीयूजी नं० 9454400139, कार्यालय नं० 2624825, 2424630	—
2	अपर पुलिस अधीक्षक नगर	श्री बृजेश श्रीवास्तव, सीयूजी नं०—9454401014		
3	अपर पुलिस अधीक्षक यमुनापार	श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी । सीयूजी नं०—9454401013		
4	अपर पुलिस अधीक्षक अपराध	श्री मनोज कुमार अवस्थी । सीयूजी नं०—9454405224		
5	अपर पुलिस अधीक्षक प्रोटोकॉल	श्री पूर्णन्दु सिंह सीयूजी नं०—9454405248		
6	अपर पुलिस अधीक्षक यातायात	श्री कुलदीप सिंह । सीयूजी नं०—9454401201		
7	क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम स०ज०स०० अधिकारी	पुलिस उपाधीक्षक सीयूजी नं० 9454401273, आवास —कमिशनर कम्पाउण्ड इला०	—	—
8	क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, इला०	उपाधीक्षक, सीयूजी नं० 9454401274, पुलिस लाइन्स, इलाहाबाद ।	—	—
9	क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय, इलाहाबाद	सीयूजी नं० 9454401275, 9415203037 सर्किट हाउस कालोनी, इलाहाबाद ।	—	—
10	क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ, इलाहाबाद	उपाधीक्षक, सीयूजी नं० 9454401277, राजकीय आवास म्योर रोड, इला०	—	—
11	क्षेत्राधिकारी नगर पंचम, इलाहाबाद	सहायक पुलिस अधीक्षक, (आई०पी०एस०) सीयूजी नं० 9454401278, आवास पुलिस लाइन, इलाहाबाद ।	—	—
12	क्षेत्राधिकारी हण्डिया, इलाहाबाद	पुलिस उपाधीक्षक, इलाहाबाद, सीयूजी नं० 9454401282, आवास थाना हण्डिया, इलाहाबाद ।	—	—
13	क्षेत्राधिकारी फूलपुर, इलाहाबाद	पुलिस उपाधीक्षक, इलाहाबाद, सीयूजी नं० 9454401285, आवास चॉदपुर सलोरी, इलाहाबाद ।	—	—
14	क्षेत्राधिकारी सोरावं इलाहाबाद ।	पुलिस उपाधीक्षक, सीयूजी नं० 9454401280 आवास—पुलिस लाइन्स, इलाहाबाद ।	—	—
15	क्षेत्राधिकारी करछना	पुलिस उपाधीक्षक, इलाहाबाद, सीयूजी	—	—

	इलाहाबाद	नं0 9454401283, आवास पुलिस लाइन, इलाहाबाद।		
16	क्षेत्राधिकारी मेजा, इलाहाबाद	पुलिस उपाधीक्षक, इलाहाबाद, सीयूजी नं0 9454401284, आवास तहसील परिसर मेजा, इलाहाबाद।	—	—
17	क्षेत्राधिकारी बारा इलाहाबाद	पुलिस उपाधीक्षक, इलाहाबाद, सीयूजी नं0 9454401279, आवास सर्किट हाउस कालोनी, इलाहाबाद।	—	—
18	क्षेत्राधिकारी यातायात / कार्यालय	पुलिस उपाधीक्षक, आवास 42वीं वाहिनी नैनी, इलाहाबाद, फोन नं0 2641902	—	—
19	क्षेत्राधिकारी आंकिक, इलाहाबाद	पुलिस उपाधीक्षक, सीयूजी नं0 9454401277, राजकीय आवास म्योर रोड, इला0	—	—
20	क्षेत्राधिकारी प्रज्ञान इलाहाबाद।	पुलिस उपाधीक्षक, इलाहाबाद सीयूजी नं0 9454401722, आवास माघमेला गोदाम कालोनी, इलाहाबाद कार्यालय फोन नं0 2491097	—	—
21	मुख्य अग्नि शमन अधिकारी इलाहाबाद।	सीयूजी नं0 9415908483, आवास फायर स्टेशन सिविल लाइन, इलाहबाद। कार्यालय फोन नं0 2600453	—	—

(सुनील कुमार सिंह)
जनसूचना अधिकारी,
कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
इलाहाबाद।